अध्याय-4

निष्पादन लेखापरीक्षा (पीएसयू)

अध्याय-4

निष्पादन लेखापरीक्षा (पीएसयू)

वित्त विभाग

4 जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की कार्यप्रणाली

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड (बैंक) को एक बैंकिंग कंपनी के व्यवसाय के रूप में स्थापित करने और जारी रखने; उधार लेना या देना; ऋण और अग्रिम के तहत पैसा उधार देना; विनिमय, हुंडियों, प्रॉमिसरी नोट्स, ड्राफ्ट, लेडिंग बिल, ऋणपत्र और अन्य साधनों के बिलों को खरीदने, बेचने, एकत्र करने और सौदा करने के लिए; स्टॉक्स, शेयरों, ऋणपत्र, प्रतिभूतियों और सभी प्रकार के निवेश करने के लिए; विदेशी विनिमय सहित विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने के लिए; और सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से निगमित किया गया था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों की एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी, जिनमें से प्रमुख हैं:

प्रमुख बिन्दु

- **बैंक ने निगमित प्रशासन से संबंधित सेबी विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।**

(पैराग्राफ: 4.5.1 एवं 4.5.2)

- **बैंक द्वारा अर्जित लाभ 2013-14 के दौरान ₹1,182.47 करोड़ से घटकर, 2017-18 में ₹202.72 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का बढ़ना था जो 31 मार्च 2013 तक ₹643.77 करोड़ से बढ़कर, 31 मार्च 2018 को ₹6,006.70 करोड़ हो गई थी। सकल अग्रिम के एनपीए की प्रतिशतता भी मार्च 2013 के अंत में 1.62 प्रतिशत से बढ़कर, मार्च 2018 के अंत में, 9.96 प्रतिशत हो गई। 2016-17 के दौरान बैंक को ₹1,632.29 करोड़ की हानि हुई।**

(पैराग्राफ: 4.6)

- **बैंक की ऋण नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली समय रहते एनपीए की पहचान करने में विफल रही।**

(पैराग्राफ: 4.6.1 एवं 4.6.2)

- **यद्पि 2013-14 से 2017-18 के दौरान, निधि जमा में 24.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, लेकिन पिछले चार वर्षों के दौरान, मार्च 2017 के अंत तक, बैंक के जमा की वार्षिक वृद्धि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समग्र राष्ट्रीय औसत से काफी कम थी।**

(पैराग्राफ: 4.7.2)

- **बैंक ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान, अग्रिम में 51.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी, वार्षिक वृद्धि (-)1.78 प्रतिशत और 18.28 प्रतिशत के बीच अस्थिर थी। कुल निवल अग्रिम के लिए असुरक्षित अग्रिम का प्रतिशत, मार्च 2014 के अंत में 20.16 प्रतिशत से बढ़कर, मार्च 2018 के अंत में 27.90 प्रतिशत हो गया था।**

(पैराग्राफ: 4.7.3)

- **समग्र बैंकिंग क्षेत्र के औसत की तुलना में, उद्योग-वार एक्सपोज़र के लिए बैंक का संकेद्रण जोखिम अधिक था।**

(पैराग्राफ: 4.7.4 (i))

- **पर्याप्त सुरक्षा कवर, उचित क्रेडिट मूल्यांकन, प्रतिबंधों की पूर्व या बाद की स्थितियों का पालन, नियमित निगरानी आदि के माध्यम से बैंक के हित की सुरक्षा के बिना, ऋण सुविधाओं की स्वीकृति/ जारी करने से न केवल एनपीए को बढ़ावा दिया बल्कि ₹197.98 करोड़ की हानि/ गैर-वसूली, ₹1,599.14 करोड़ की संदिग्ध वसूली और नमूना-जांच किए गए मामलों में, ₹14.10 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।**

(पैराग्राफ: 4.7.5.2)

- **बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में कमियां पाई गई थीं जिसके कारण, यह अपने कुछ कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान, सुनिश्चित नहीं कर सका।**

(पैराग्राफ: 4.7.6)

- **बैंक की वसूली नीति के विचलन में, एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, नमूना-जांच के मामलों में ₹17.97 करोड़ की मूल राशि को छोड़ना पड़ा।**

(पैराग्राफ: 4.7.9.1)

- **₹671.10 करोड़ की मूल राशि और ₹504 करोड़ के अनपेक्षित ब्याज को छोड़ते हुए, बैंक ने 2014-2018 की अवधि के दौरान, परिसंपत्ति पुन:निर्माण कंपनियों (एआरसी) को दस एनपीए बेचे, आरक्षित मूल्य से नीचे एआरसी को वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री के परिणामस्वरूप, ₹21.89 करोड़ की हानि हुई।**

(पैराग्राफ: 4.7.10)

- **अविवेकपूर्ण निर्णय लेने, गारंटी को इन्वोक न करने और बैंक के हित की असुरक्षा के कारण, गैर-निष्पादित निवेशों की नमूना-जांच में, ₹180.43 करोड़ की संदिग्ध वसूली/ हानि हुई।**

(पैराग्राफ: 4.7.11.2)

- **रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव्स और बैंकिंग एसोसिएट्स की भर्ती में अनियमितताएं देखी गईं।**

(पैराग्राफ: 4.10.1)

- **बैंक ने एक कार्य/ परियोजना पर, 2016-17 और 2017-18 के दौरान, 53.09 प्रतिशत से 83.82 प्रतिशत सीएसआर बजट व्यय किया था और 2015-16 से 2017-18 के दौरान, एकल खंड के तहत 49.33 प्रतिशत से 95.27 प्रतिशत तक व्यय किया था जो सीएसआर नीति का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, बैंक की सीएसआर नीति और कंपनी अधिनियम 2013 के उल्लंघन में, सीएसआर निधि से ₹46.96 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया था।**

(पैराग्राफ: 4.11)

4.1 प्रस्तावना

अक्टूबर 1938 में बैंक को 1977 सम्वत (1920 ई.) के तत्कालीन जम्मू और कश्मीर कंपनी विनियम के प्रावधानों के तहत निगमित किया गया था और 04 जुलाई 1939 से इसने अपना व्यवसाय शुरू किया। जम्मू और कश्मीर राज्य में कंपनी अधिनियम, 1956 के (नवंबर 1956 में) विस्तार के बाद, बैंक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी बन गई और अब कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा शासित की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक को एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में (1971 में) अधिसूचित किया और इसे आरबीआई अधिनियम,1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया है। बैंक को आरबीआई अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा भी विनियमित किया जाता है।

जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना बैंकिंग कंपनी के व्यवसाय जैसा कि उधार लेना, पैसा लेना या देना, पैसे उधार लेना और पैसे को अग्रिम रूप में देना, सरकार या स्थानीय अधिकारियों के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। यह घरेलू, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय समाधान देने का प्रयास भी करता है।

4.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था:

- लक्ष्य की प्राप्ति और जमा में वृद्धि;
- अग्रिम की वृद्धि, अग्रिम की निगरानी प्रणाली की प्रभावकारिता, एनपीए वसूली नीति और एक मुश्त भुगतान योजना का कार्यान्वयन;
- बैंक की निवेश नीति का कार्यान्वयन और आय की तुलना में निवेश की वृद्धि सीमा;

- आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत लक्ष्यों की उपलब्धियां और अग्रणी बैंक के रूप में बैंक का निष्पादन;और
- क्या लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में, बैंक को नियंत्रित करने वाले विभिन्न अधिनियमों/ विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

4.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए बैंक की कार्यप्रणाली पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी और जून 2018 के बीच की गई थी। बैंक के निष्पादन का आकलन करने के लिए, कॉर्पोरेट कार्यालय और पांच क्षेत्रों[1] में अभिलेखों (अग्रिम निधि और एनपीए के आधार पर चयनित) की संवीक्षा की गई। जैसा कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों में चर्चा की गई है कि लेखापरीक्षा में परीक्षण सिर्फ चुने गए नमूना क्षेत्रों से संबन्धित हैं, प्रबंधन अपनी कार्रवाई/ कार्यों के पूरे कार्य क्षेत्र पर इसी तरह के नियंत्रण प्रयोग कर सकता है। प्रबंधन के साथ (फरवरी 2018 में) लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रबंधन को सूचित किया गया और एक एक्ज़िट कांफ्रेस में (दिसंबर 2018 में) चर्चा की गई।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में अग्रिम, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण और निवेश की मुख्य गतिविधियों पर बैंक की एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर राज्य विधानमंडल की पीएसयू समिति (सीओपीयू) द्वारा आंशिक रूप से चर्चा की गई थी। इसकी सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

4.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर किया गया था, जो निम्नलिखित से स्रोतबद्ध हैं:

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश/ मुख्त परिपत्र;
- क्रेडिट पर बैंक की नीतियां, निवेश, एनपीए की वसूली, एक मुश्त भुगतान आदि;
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013;
- भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल (सेबी) के विनियम और समझौते की सूची;
- बैंक द्वारा निर्धारित आंतरिक लक्ष्य और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य;
- केंद्र/ राज्य और अग्रणी बैंक योजनाओं के दिशानिर्देश।

[1] जम्मू सेंट्रल-I, कश्मीर सेंट्रल-I, मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर को कवर करते हुए 272 शाखाएं

4.5 कॉर्पोरेट गवर्नन्स

बैंक का प्रबंधन एक मंडल में निहित है जिसमें अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित 13 निदेशक[2] शामिल हैं। 31 मार्च 2018 तक, बैंक के पास 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 904 शाखाओं को नियंत्रित करने वाले 15 ज़ोनल कार्यालय[3] थे। 2014-18 के दौरान, बैंक ने 220 नई शाखाएँ खोलकर अपने नेटवर्क का विस्तार किया, जबकि एक शाखा बंद की गई थी। बैंक की संगठनात्मक संरचना इस प्रकार है:

चार्ट-4.1: संगठनात्मक संरचना

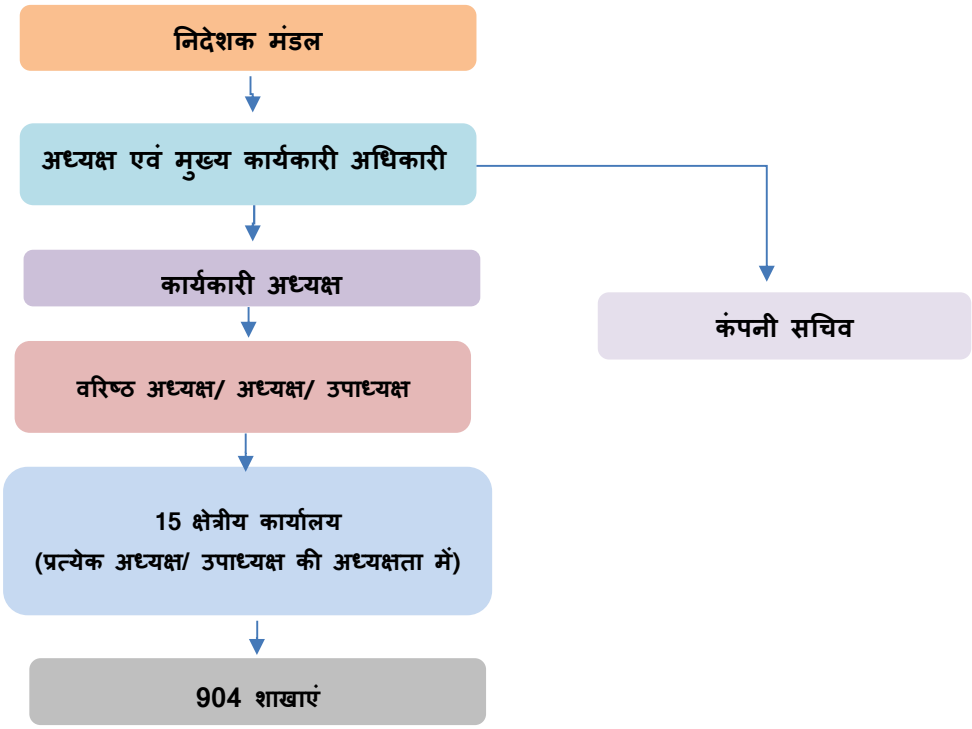

4.5.1 सेबी विनियमों की अननुपालना

एक कंपनी में विभिन्न हितधारक अर्थात निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, कर्मचारी, विक्रेता भागीदार, सरकार और समाज शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे सभी हितधारकों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इसका प्रशासन अपने सभी लेन-देन में सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए।

---

2 चार गैर-स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक; एक आरबीआई नामिती; एक सरकारी नामिती, बैंक का एक कार्यकारी निदेशक और वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा नियुक्त छह स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक

3 कश्मीर-सैंट्रल-I, कश्मीर-सैंट्रल-II, कश्मीर-उत्तर, कश्मीर-दक्षिण-I, कश्मीर-दक्षिण-II, जम्मू-सैंट्रल-I, जम्मू-सैंट्रल-II, जम्मू-उत्तर-I, जम्मू-उत्तर-II, जम्मू-पश्चिम, लद्दाख, उत्तरी-दिल्ली, ऊपरी उत्तर-मोहाली, मुंबई, दक्षिण-बैंगलोर

जम्मू एंड कश्मीर बैंक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक सूचीबद्ध इकाई है। किसी कंपनी के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए, उसे एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होता है जिसे **सूचीबद्ध समझौते** के रूप में जाना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां अच्छे निगम प्रशासन का पालन कर रही हैं। अच्छे निगम प्रशासन का सार निगम प्रशासन पर सूचीबद्ध अनुबंध, सेबी (सूचीबद्ध ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम 2015 (एलओएडंडीआर) के खंड 49 से लिया गया है। यह देखा गया कि बैंक निम्नलिखित मानदंडों से भटक गया:

i) मंडल में स्वतंत्र निदेशक

सेबी (एलओएडंडीआर) विनियम 2015 के सूचीकरण समझौते और विनियमन 17 के खंड 49 के संदर्भ में, जहां निदेशक मंडल (बीओडी) का अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक हैं, मंडल के कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। हालाँकि, बैंक के पास 2013-14, 2014-15 और 2016-17 के दौरान मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं थी जो **तालिका 4.1** में नीचे विस्तृत रूप से दर्शाई गई है:

तालिका-4.1: स्वतंत्र निदेशकों की स्थिति

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या	5	5	5	4	6
स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	शून्य	3	6	2	6

प्रबंधन ने (अगस्त 2018 में) उत्तर दिया कि बैंक के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) के तहत लगाए गए प्रतिबंध के कारण, बैंक 2014-15 और 2016-17 के दौरान आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सका।

यह उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि एओए में संशोधन करने की जिम्मेदारी बैंक के मंडल की है ताकि स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके।

मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव में, अच्छे निगम प्रशासन और निगम विश्वसनीयता को बैंक में सुनिश्चित नहीं किया जा सका, जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

ii) स्वतंत्र निदेशक द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधाएं

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20(1)(बी)(i) और (ii) बैंकिंग कंपनी को किसी भी निदेशक या उसके किसी भी फर्म जिसमें वह भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में इच्छुक हैं; कोई ऋण या अग्रिम देने के लिए प्रतिबंधित करती है। इसके अतिरिक्त, विनियमन 16(1)(बी)(vi)(ई) के अनुसार, एक

स्वतंत्र निदेशक वह है जो सामग्री आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या ग्राहक या सूचीबद्ध इकाई का पट्टाकर्ता या पट्टेदार नहीं है।

निदेशक मंडल ने 10 अगस्त 2016 को अपनी बैठक में, अपने विचार के आधार पर मंडल की नामांकन समिति की सिफारिश पर दो निदेशकों के त्याग पत्र के कारण आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री मोहम्मद अशरफ मीर को नियुक्त किया। परिणामस्वरूप, 17 जून 2017 को आयोजित बैठक में, बैंक के शेयरधारकों ने उन्हें दो वर्ष अर्थात 16 जून 2019 तक की अवधि के लिए बैंक के मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त, मंडल ने (जून 2019 में) स्वतंत्र निदेशक के रूप में दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए उनकी पुन: नियुक्ति की सिफारिश की।

अगस्त 2016 और जून 2019 के बीच में श्री मीर बैंक से निधि आधारित ऋण सुविधाओं[4] का लाभ उठा रहे थे, इस तथ्य के बावजूद बैंक ने उसको मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और 2015 के सेबी विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था। यह इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि मंडल की नामांकन समिति ने बैंक के निर्देशन के लिए उसकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए पूरी सावधानी बरती थी (अगस्त 2016)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि श्री मीर को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के समय बैंक के पास नियोजित पूंजी की सुविधा थी और उनकी नियुक्ति के बाद, सुविधा का नवीकरण नहीं किया गया था और लेखाओं में आहरण क्षमता शून्य कर दी गई थी, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 20(1)(बी)(iii) और धारा 20(2) के अनुरूप है। बैंक के साथ अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक ने बैंक से कोई क्रेडिट सुविधा प्राप्त किए बिना अपने कैश क्रेडिट (सीसी) खाते को करंट डिपॉजिट (सीडी) लेखाओं के रूप में रखा था।

यद्यपि उनकी नियुक्ति के बाद श्री मीर के सीसी खाते का नवीकरण नहीं किया गया था, सीसी खाते की आहरण क्षमता को शून्य नहीं किया गया था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सीसी लेखाओं में नवीनतम डेबिट दिसंबर 2016 और अगस्त 2017 के बीच भी प्राप्त कये गए थे। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2019 तक वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में ₹9.62 लाख की बकाया राशि थी। इसे विनियमन 16(1)(बी)(vi)(ई) के मद्देनजर देखा जा सकता है, जो बताता है कि एक स्वतंत्र निदेशक वह है जो सूचीबद्ध इकाई का ग्राहक नहीं है।

---

[4] नकद क्रेडिट सुविधा, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन और सिक्योर्ड ओवर ड्राफ्ट सहित अगस्त 2016 तक ₹1.64 करोड़ बकाया

iii) गैर-स्वतंत्र निदेशक द्वारा मंडल लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता करना

सूचीबद्ध अनुबंध के खंड 49 और सेबी (एलओएंडडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 18(1)(डी) में निर्धारित किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, 2013-14, 2014-15 और 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक गैर-स्वतंत्र निदेशक था।

चूंकि लेखापरीक्षा समिति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं किया गया था, इसलिए समिति, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर उचित निरीक्षण नहीं कर सकती थी जैसा कि पैरा 4.6.1 और 4.6.2 में चर्चा की गई है।

iv) सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा समिति की चर्चा

सूचीबद्ध अनुबंध के खंड 49 और सेबी (एलओएंडडीआर) विनियम, 2015 में निर्धारित किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के बारे में लेखापरीक्षा शुरू करने से पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करने के साथ-साथ नाजुक क्षेत्र के निर्धारण हेतु पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा आयोजित करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा समिति ने 2014-18 के दौरान लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले, सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नहीं की।

बैंक की लेखापरीक्षा समिति ने 2014-2018 के दौरान लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के बारे में लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नहीं की।

प्रबंधन ने (दिसम्बर 2018 में) कहा कि लेखापरीक्षा हेतु, लेखाओं को उन्हें अग्रेषित करने से पूर्व, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विशेष क्षेत्रों पर पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा आयोजित की गई थी।

लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सीएफओ और प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की बैठक, लेखापरीक्षा समिति के साथ बैठक से अलग होती है, इसमें दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने अपेक्षित होते हैं। इस प्रकार समिति को, लेखापरीक्षा चिंताओं के स्वतंत्र परीक्षण के लिए उपलब्ध अवसर और अभिरूचि के विशिष्ट क्षेत्रों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की राय का उपयोग नहीं किया जा सका।

v) मुखबिर तंत्र की गैर-समीक्षा

उपरोक्त उल्लिखित विनियम लेखापरीक्षा समिति द्वारा 'मुख़बिर तंत्र'[5] के कामकाज की समीक्षा का प्रावधान करते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा समिति ने 2014-2018 के दौरान 'मुख़बिर तंत्र' के कामकाज की समीक्षा नहीं की थी।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि भविष्य में मंडल, बैंक की सभी नीतियों के साथ साथ मुख़बिर नीति की भी समीक्षा करेगा।

vi) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

सेबी (एलओएंडडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 19(1) और (2) और सूचीबद्ध अनुबंध के खंड 49(IV)(ए) के अनुसार, निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक कंपनी नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करेगी और इसका अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

तथापि,वर्ष 2014-15 और 2016-17 के दौरान, एनआरसी का अध्यक्ष एक गैर-स्वतंत्र निदेशक था। इसके अतिरिक्त, एनआरसी को मंडल के निदेशकों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित एक नीति की सिफारिश करनी थी। तथापि, सरकार के नामित निदेशक को पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में एनआरसी द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी जैसा कि रिपोर्ट के पैरा 4.5.3 (ii) में की गई है।

vii) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

सेबी (एलओएंडडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 25 के अंतर्गत आवश्यक है कि स्वतंत्र निदेशक, गैर-स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना वर्ष में कम से कम एक बैठक करेंगे और (क) गैर-स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन (ख) अध्यक्ष का कार्य-निष्पादन और (ग) प्रबंधन और बीओडी के बीच सूचना के प्रवाह के आकलन की समीक्षा करेंगे।

तथापि, स्वतंत्र निदेशकों ने 2018 के दौरान इस तरह की बैठक आयोजित नहीं की और वर्ष 2017-18 के लिए गैर-स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा नहीं की। हमने यह भी देखा कि गैर-स्वतंत्र निदेशकों/ अध्यक्ष के कार्य निष्पादन पर मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा बैंक के मंडल के समक्ष नहीं रखी गई थी।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (VII) (1) में 'एक साल में' शब्द को 'वित्तीय वर्ष में' शब्द से (जुलाई 2017 में)

---

[5] एक संगठन में किसी कर्मचारी अथवा पूर्व कर्मचारी की दृष्टि में हुए किसी कृत्य, जो अनैतिक प्रकृति या अवैध व्यवहार का हो, को उच्च प्रबंधन या किसी बाहरी प्राधिकरण या जनता के समक्ष प्रकट करने की क्रिया

बदल दिया गया था। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की बैठक वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 26 मार्च 2019 को आयोजित की गई थी।

तथापि, स्वतंत्र निदेशकों ने जनवरी 2018 और फरवरी 2019 के बीच की अवधि के दौरान बैठक नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के लिए गैर-स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

viii) स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

सेबी (एलओएंडडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17(10) में निर्धारित किया गया है कि बीओडी स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करेंगे।

तथापि, बैंक के बीओडी ने वर्ष 2016-17 के लिए स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया। यह भी देखा गया कि वर्ष 2015-16 और 2017-18 के लिए स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन पर मूल्यांकन रिपोर्ट को समीक्षा के लिए मंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.5.2 कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन न करना

कंपनी अधिनियम, 2013 के निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था:

i) मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

कंपनी अधिनियम की धारा 134(1) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के वित्तीय विवरणों को मंडल की ओर से हस्ताक्षर करने से पहले निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और सांविधिक लेखापरीक्षकों को भेजा जाना चाहिए। बैंक ने इन प्रावधानों का अनुपालन किए बिना मंडल के समक्ष लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को रखा था।

चूंकि मसौदा वित्तीय विवरणों को मंडल से अनुमोदित नहीं किया गया था, इसलिए बैंक के मंडल को इस तथ्य के बारे में पता नहीं था कि सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा पहचान किए जाने के बाद ही बैंक ने गैर-निष्पादित परिसंपतियों के रूप में अग्रिम पदावनत किए, जैसा कि पैरा 4.6.2. में चर्चा की गई है।

ii) राज्य विधानमंडल में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के प्रावधानों के अंतर्गत जैसा कि अपेक्षित था, बैंक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुति हेतु राज्य सरकार को अपने कार्य और मामलों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट अग्रेषित नहीं कर रहा था। इस प्रकार, राज्य विधानमंडल बैंक में सरकार द्वारा किए गए निवेश के लेखांकन और उपयोग की निगरानी नहीं कर सका।

iii) वार्षिक आम बैठकों की सूचनाएँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136(1) के अनुसार वित्तीय विवरणों की एक प्रति, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और विधि द्वारा आवश्यक प्रत्येक अन्य दस्तावेज अनुलग्नक या वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किए जाएं, जो कि कंपनी द्वारा अपनी आम सभा में प्रस्तुत किए जाने होते हैं, और यह सभी दस्तावेज़ बैठक की तारीख से 21 दिन पहले तक कंपनी के प्रत्येक सदस्य को भेजे जाने आवश्यक है। तथापि, वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का नोटिस भेजते समय भारत के सी एंड एजी की टिप्पणियों को शेयरधारकों को नहीं भेजा गया था।

iv) वार्षिक रिपोर्ट में सीएंडएजी की टिप्पणियों को शामिल नहीं करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) में यथा आवश्यक सी एंड एजी द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी, या अनुपूरक, सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को उसी समय और उसी तरीके से जैसे कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट को वार्षिक आम बैठक में रखा जाता है। तथापि, सीएंडएजी की टिप्पणियां वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई थीं।

प्रबंधन ने (अगस्त 2018 में) कहा कि भारत के सीएंडएजी की टिप्पणियां शेयरधारकों को नोटिस भेजने के समय उपलब्ध नहीं थीं और एजीएम में सभी शेयरधारकों को टिप्पणियाँ उपलब्ध कराई गई और उन्हें बैंक के कंपनी सचिव द्वारा पढ़ी गईं थी।

बैंक ने भारत के सीएंडएजी की टिप्पणियों की प्रतीक्षा किए बिना अपने शेयरधारकों को एजीएम के लिए नोटिस भेजे।

v) मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013[6] की धारा 203 में निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में एक मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) होगा। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने (मई 2017 में) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को न्यूनतम योग्यता और अनुभव के आधार पर, बैंक प्रबंधन संरचना में सीएफओ नियुक्त करने की सलाह दी। नियामक ने निर्धारित किया कि केवल एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट को ही सीएफओ के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

तथापि, बैंक ने 1 अप्रैल 2014 और 16 मई 2015 की अवधि के दौरान किसी सीएफओ की नियुक्ति नहीं की, जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि जुलाई 2017 और जून 2019 के

[6] 1 अप्रैल 2014 से लागू

बीच नियुक्त किए गए सीएफओ अर्हता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे और नियामक द्वारा (मई 2017 में) निर्धारित योग्यता मानदंड पूरा नहीं कर रहे थे।

4.5.3 मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां भी की गईं थी:

i) मंडल की बैठकों में नामित निदेशकों की भागीदारी

जम्मू और कश्मीर सरकार (जीओजेके), बैंक के बहुमत शेयरधारक होने के नाते, बैंक के मंडल में एक नामित निदेशक की नियुक्ति[7] करती है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई, बैंक के मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति[8] भी करता है।

सरकार के नामित निदेशक (प्रधान सचिव, वित्त, जीओजेके) ने 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः 40 प्रतिशत और 55 प्रतिशत मंडल की बैठकों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, आरबीआई के नामित उम्मीदवार ने क्रमशः 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान आयोजित मंडल बैठकों में 64 प्रतिशत, 60 प्रतिशत, 58 प्रतिशत और 67 प्रतिशत भाग लिया था। अभिलेखों से यह भी पता चला है कि सरकार के नामित निदेशक ने मंडल की बैठकों में मंडल द्वारा लिए गए अनुचित निर्णयों जैसे कि सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत अनियमित व्यय, बैंक की ऋण नीति के विचलन में ऋण सुविधाओं को मंजूरी और बैंक आदि की वसूली नीति के उल्लंघन में चूक कर्ताओं के पक्ष में एक मुश्त भुगतान के संबंध में कोई असहमति दर्ज नहीं की गई है जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि सरकार/ आरबीआई स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य होने पर नामित निदेशकों ने मंडल/ समिति की बैठक को शायद छोड़ दिया हो। तथापि, मंडल/ समिति की बैठक के कार्यवृत संबंधित निदेशकों को भेजे जाते हैं।

हालाँकि, नामांकित व्यक्ति के हित का प्रतिनिधित्व करने और उसे सुरक्षित रखने और बैंक की गतिविधियों और कार्यों की निगरानी में प्रहरी की भूमिका निभाने के लिए एक नामित निदेशक की नियुक्ति का उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सका।

---

7 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) यह निर्धारित करती है कि बीओडी सरकारी कंपनी में अपनी शेयर हॉल्डिंग क्षमता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा नामांकित किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता है

8 बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 एबी आरबीआई को बैंक के मंडल में अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति करने हेतु सशक्त करती है

ii) *सरकार के नामित निदेशक को पारिश्रमिक*

सरकार के नामित निदेशक को पारिश्रमिक की अनुमति देने के लिए शेयरधारकों की 78 वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में बैंक के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) को (जुलाई 2016 में) संशोधित किया गया। परिणामस्वरूप, 2016 -17 से 2018-19 के दौरान सरकार के नामित निदेशक को ₹58.80 लाख[9] का पारिश्रमिक[10] दिया गया।

2016-17 से 2018-19 के दौरान सरकार के नामित निदेशक को ₹58.80 लाख के लाभ प्रतिशत के रूप में बैठक शुल्क और कमीशन का भुगतान किया गया।

तथापि, नामांकित निदेशक (प्रमुख सचिव, वित्त, जीओजेके) को पारिश्रमिक का भुगतान विभिन्न सरकारी कंपनियों/ पीएसयू बैंक अर्थात नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि के द्वारा पालन की गई सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त अभिलेखों से पता चला कि शेयरधारकों की एजीएम में एओए का संशोधन मंडल की मंजूरी के बिना किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के पश्चात, बैंक ने (सितंबर 2019 में) एओए को संशोधित करके सरकार द्वारा नामित निदेशक को पारिश्रमिक देना बंद कर दिया और वह अब बैंक के मण्डल में पूर्णकालिक सरकारी रोजगार के सहित है। मामले को मुख्य सचिव, जीओजेके के साथ भी उठाया गया था कि पारिश्रिमिक भुगतान, मूलभूत और अनुपूरक नियम (एफ़आर एंड एसआर) के अनुसार था और क्या नामित निदेशक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक सरकार के संज्ञान में था और इस संबंध में सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया था। उत्तर (दिसंबर 2019 तक) अपेक्षित था।

iii) मंडल के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रस्तावित मदों के रूप में प्रस्तुत करना

कार्यवृत पर नोट्स मंडल द्वारा चर्चा के लिए प्रस्ताव की समझ प्रदान करने के प्रयास में कार्यसूची के प्रत्येक मद की व्याख्या करते हैं। यदि निदेशक अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग तथा सक्रिय रूप से मंडल के विचार-विमर्श में योगदान और प्रमाणित निर्णय लेना चाहते हैं तो, यह आवश्यक है कि वे बैठक से उचित समय पहले पर्याप्त जानकारी प्राप्त करें। यद्यपि कार्यसूची और नोट को निदेशकों के पास भेजे बिना, मंडल को कार्यसूची प्रस्तुत करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रस्तावों को बीओडी के सामने प्रस्तावित मदों के रूप में

---

9 2016-17: ₹16.30 लाख; 2017-18: ₹14.10 लाख; 2018-19: ₹28.40 लाख

10 लाभ के प्रतिशत के रूप में सीटिंग फीस और कमीशन

नहीं रखा जाना चाहिए। तथापि, अभिलेखों से पता चला कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात, ₹100 करोड़ की ऋण सुविधा की मंजूरी, एक कंपनी के पक्ष में रणनीतिक डैब्ट रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज की मंजूरी, सीएसआर के अंतर्गत गोल्फ कोर्स के पुनर्विकास पर पैसा खर्च करने की मंजूरी, एनपीए मामलों में एक मुश्त निपटान, कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अध्यक्ष की कार्रवाई की पुष्टि और उनका नियमितीकरण, भर्ती नियमों में संशोधन आदि को मंडल के समक्ष प्रस्तावित मदों के रूप में रखा गया था। मार्च 2019 में अपनी बैठक में प्रबंधन और बीओडी के बीच सूचना के प्रवाह का आकलन करते हुए, बैंक के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भी प्रस्तावित कार्यसूची मदों पर प्रकाश डाला गया था।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि प्रस्तावित कार्यसूची को न्यूनतम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

बैंक प्रबंधन को बीओडी के सामने प्रस्तावित मदों के रूप में महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखने से बचना चाहिए।

iv) निदेशक मंडल की बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत

स्वतंत्र निदेशकों ने, मार्च 2019 में अपनी बैठक में, इस बात पर प्रकाश डाला कि निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यसूची नोट्स विश्लेषण के साथ अच्छी तरह से संरचित दस्तावेजों के बजाय, अनुचित रूप से वृहत थे और कार्यसूची मदों के महत्व को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त, मंडल के निर्देशों के अनुपालन के लिए तय की गई समय-सीमा बैठकों के कार्यवृत में दर्ज नहीं की गई थी।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि मंडल के सभी निर्णयों का अनुपालन मंडल को अनुवर्ती बैठकों में कार्रवाई की गई नोट्स के माध्यम से सूचित किया जाता है।

बैंक का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कार्यसूची की गुणवत्ता में कई कमियां थी और मंडल के फैसले के अनुपालन के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई थी।

v) बैंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का विभाजन

समुचित जांच एवं संतुलन लाने और मंडल स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को (अप्रैल 2015 में) अलग करने का निर्णय लिया। अध्यक्ष गैर-कार्यकारी होगा और बैंक को समग्र नीति निदेश देगा, जबकि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यकारी प्रमुख होंगे और दैनिक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त, देश के अधिकांश निजी क्षेत्र के बैंकों ने पहले ही अप्रैल 2002 में आरबीआई द्वारा गठित बैंकों/ वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के सलाहकार समूह की

रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों के पद को अलग कर दिया था।

यह पाया गया कि बैंक के निदेशक मंडल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को विभाजित करने के लिए विलंबित सिफारिश (जून 2019 में) की थी जो अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को सुनिश्चित करने में बैंक के अभाववादी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि आरबीआई ने (अप्रैल 2008 में) बैंक को अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों के विभाजन के लिए कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी थी। तथापि, बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी किए गए निदेश से छूट मांगी थी लेकिन उसे आरबीआई से कोई उत्तर नहीं मिला। आरबीआई द्वारा पद पर अनुवर्ती नियुक्तियों को अनुमोदित किया जाता रहा।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि नियामक की सलाह के बावजूद, बेहतर प्रशासन के लिए पदों के विभाजन के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की गई।

4.6 वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम

31 मार्च 2018 तक, ₹95 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी के मुक़ाबले, जो प्रत्येक ₹एक के 95 करोड़ शेयरों में विभाजित की गई, भुगतान की गई पूंजी ₹55.70 करोड़ थी। इसमें से, जीओजेके का हिस्सा ₹32.98 करोड़, संस्थानों[11] का ₹13.74 करोड़ और गैर-संस्थानों[12] का ₹8.98 करोड़ था। 2016-17 और 2017-18 के दौरान, जीओजेके ने ₹250 करोड़ और ₹282 करोड़ की राशि का निवेश किया, जिसके प्रति बैंक ने जीओजेके को ₹एक के अंकित मूल्य वाले 3,65,55,051 और 3,55,25,321 शेयर क्रमशः ₹67.39 और ₹78.38 प्रति शेयर के प्रीमियम पर आवंटित किए। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2015 के अंत तक, जीओजेके की हिस्सेदारी 53.17 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 तक 59.23 प्रतिशत हो गई, जैसा कि नीचे दिए गए **चार्ट-4.2** में दर्शाया गया है:

11 विदेशी संस्थागत निवेशक सहित

12 निवासी और प्रवासी व्यक्तियों सहित और जब्त शेयरों की ₹0.02 करोड़ की राशि सहित

चार्ट-4.2: शेयरहोल्डिंग पैटर्न (प्रतिशत में)

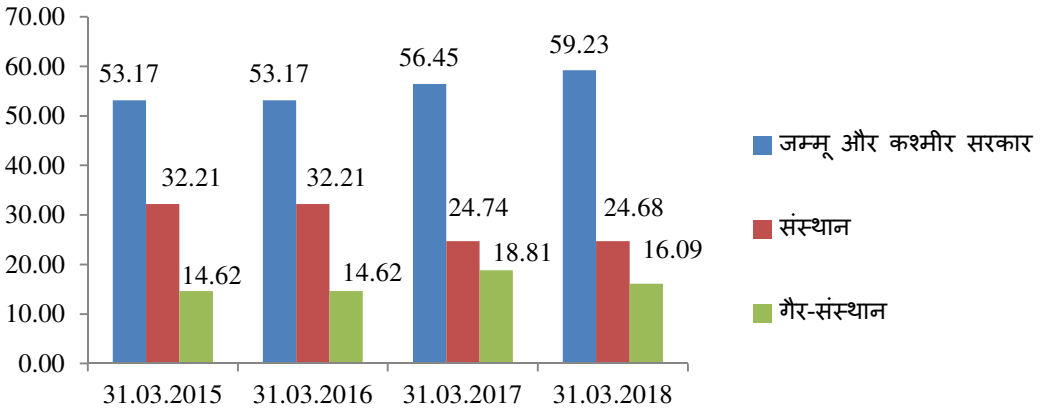

बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी विनियमन अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसार अपने वार्षिक खाते तैयार किए थे।

(ए) वित्तीय स्थिति

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति ***परिशिष्ट-4.1.1.*** में दी गई है।

31 मार्च 2014 तक बैंक का निवल मूल्य[13] ₹5,723.61 करोड़ था, जो 31 मार्च 2016 तक बढ़कर ₹6,423.97 करोड़ हो गया और मार्च 2016-17 के दौरान ₹1,632.29 करोड़ के नुकसान के कारण 31 मार्च 2017 तक ₹5,676.50 करोड़ रह गया। ₹202.72 करोड़ के लाभ और 2017-18 के दौरान प्रीमियम पर शेयरों के आवंटन के कारण 31 मार्च 2018 तक निवल मूल्य बढ़कर ₹6,161.21 करोड़ हो गया। मार्च 2014 के अंत तक बैंक की अचल संपत्ति ₹533.80 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 के अंत तक ₹1,614.59 करोड़ हो गई थी। इस अवधि के दौरान दर्ज की गई ₹1,080.79 करोड़ की वृद्धि में से, ₹634.81 करोड़ की वृद्धि 2016-17 के दौरान बैंक द्वारा किए गए अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण दर्ज की गई।

(बी) कार्य परिणाम

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार बैंक के कार्य परिणाम ***परिशिष्ट-4.1.1.*** में दर्शाए गए हैं। 2013-14 के दौरान बैंक ने ₹1,182.47 करोड़ का मुनाफा कमाया। 2016-17 में एनपीए

- 2017-18 में बैंक ने ₹202.72 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।
- निवल मूल्य 31 मार्च 2014 को ₹5,723.61 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2018 तक ₹6,161.21 करोड़ हो गया।

[13] प्रदत शेयर पूंजी और आरक्षित तथा अधिशेष का जोड़ निवल मूल्य है

के प्रति ₹2,115.93 करोड़ के प्रावधान के कारण इसे ₹1,632.29 करोड़ का नुकसान हुआ। 2017-18 में बैंक ने ₹202.72 करोड़ का लाभ अर्जित किया। बैंक की प्रति शेयर आय 2013-14 में ₹24.39 से घटकर 2017-18 में ₹3.64 हो गई।

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान बैंक की लाभप्रदता नीचे दिए गए **चार्ट-4.3:** में दर्शायी गई है:

चार्ट-4.3: बैंक की लाभप्रदता

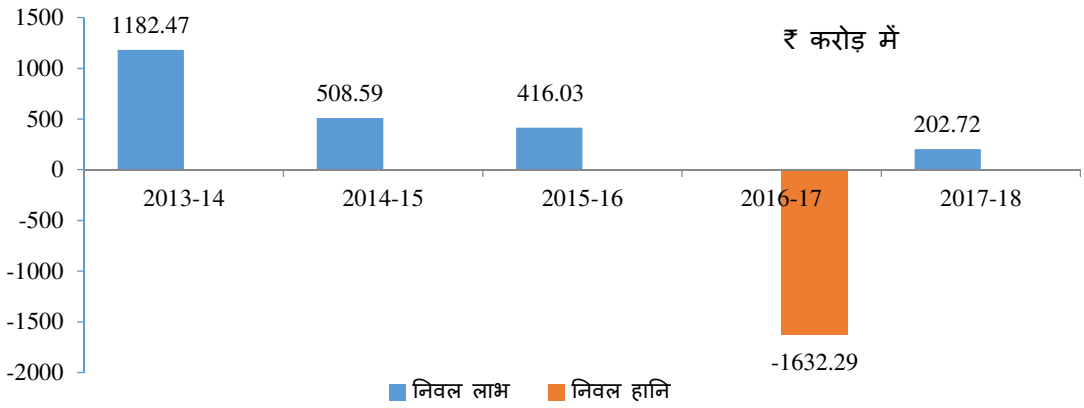

बैंक के सकल एनपीए में वृद्धि के कारण, लाभप्रदता में गिरावट हुई। 01 अप्रैल 2013 को बैंक का सकल एनपीए ₹643.77 करोड़ था, जो 31 मार्च 2017 तक ₹6,000.01 करोड़ और 31 मार्च 2018 को ₹6,006.70 करोड़ हो गया। एनपीए का सकल अग्रिमों के प्रति प्रतिशत, मार्च 2013 के अंत में 1.62 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 के अंत में 9.96 प्रतिशत हो गया। पांच वर्षों की अवधि में एनपीए में वृद्धि के परिणामस्वरूप, बैंक ने उच्च प्रावधान किए जिससे इसकी लाभप्रदता प्रभावित हुई।

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक को आरबीआई द्वारा इंगित विचलन के कारण किए गऐ ₹517.40 करोड़ (2015-16 से संबंधित) अतिरिक्त प्रावधान सहित एनपीए के प्रति ₹2,115.93 करोड़ के प्रावधान के कारण मुख्यत: ₹1,632.29 करोड़ की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, नीचे दिए गए पैरा 4.6.1 में चर्चा के अनुसार, वर्ष 2017-18 के लिए लाभ को अंडर-प्रोविजनिंग के आधार पर ₹85.63 करोड़ अधिक बताया गया है।

4.6.1 गैर-निष्पादित संपतियों के विरुद्ध अंडर-प्रोविजनिंग

आरबीआई द्वारा गठित आय मान्यता प्राप्तिकरण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों (आईआरएसी) से संबंधित प्रावधानों पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक को अग्रिमों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता थी। यदि कोई संपत्ति 90 दिनों के लिए अतिदेय बनी रहती है तो एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन जाती है। इसके अतिरिक्त, (जुलाई 2015) के आईआरएसी मानदंडों के अनुसार, एक बैंक को परिसंपत्ति[14] का वर्गीकरण जैसे कि उप-मानक, संदेहस्पद और हानि जनित परिसंपत्ति के अनुसार एनपीए (बकाया राशि) का प्रावधान करना आवश्यक है।

- संदेहास्पद श्रेणी में, बैंक को 100 प्रतिशत तक उस सीमा तक प्रदान करना था जिस सीमा तक अग्रिम को सुरक्षा के यथार्थवादी वास्तविक मूल्य द्वारा कवर नहीं किया जाता है।
- सुरक्षित हिस्से के लिए, उस अवधि के आधार पर दरों[15] पर प्रावधान किया जाना है, जिस अवधि तक परिसंपत्ति संदिग्ध बनी हुई थी।

31 मार्च 2018 तक एनपीए मामलों की एक नमूना जांच से पता चला कि तीन मामलों में (27 नमूना जांच में से) नीचे दी गई **तालिका-4.2** में यथावार्णित, निर्धारित मानदंडों के अनुसार ₹226.81 करोड़ के प्रावधान किए जाने आवश्यक थे। तथापि, बैंक ने केवल ₹141.18 करोड़ का प्रावधान किया, जिससे ₹85.63 करोड़ की अंडर-प्रोविजनिंग हुई।

---

14 एक परिसंपत्ति जब बारह महीनों की अवधि तक गैर-निष्पादित रहे तब उसे उप-मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बारह महीने से अधिक अवधि तक गैर-निष्पादन परिसंपत्ति को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हानि जनित परिसंपत्ति वह होती है जो बैंक द्वारा या बाह्य/ सांविधिक लेखापरीक्षकों या आरबीआई निरीक्षण द्वारा पहचानी जाए

15 जब संदिग्ध अवधि एक वर्ष तक की हो तो (डीएफ़-I): अग्रिम के सुरक्षित हिस्से का 25 प्रतिशत प्रावधान अपेक्षित होता है; जब संदिग्ध अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष तक की होती है तो (डीएफ़-II): अग्रिम के सुरक्षित हिस्से का 40 प्रतिशत प्रावधान अपेक्षित होता है; जब संदिग्ध अवधि तीन वर्ष से अधिक की हो तो (डीएफ़-III): अग्रिम के सुरक्षित हिस्से का 100 प्रतिशत प्रावधान अपेक्षित होता है

तालिका-4.2: प्रावधानित मामलों के अंतर्गत परीक्षण-जाँच का विवरण

(₹ करोड़ में)

एनपीए का विवरण	मार्च 2018 तक बकाया (एनपीए) (ए)	प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य (बी)	प्रावधान बनाया जाना[16] (सी)	वास्तव में बनाया प्रावधान (डी)	अंडर-प्रोविजन्ड राशि[17] (ई)
मैसर्स ईटीए इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	174.86	76.87	128.74	69.94	58.80
मैसर्स पैराडाइज एवेन्यू	156.47	118.16	85.57	62.59	22.98
मेसर्स त्रम्बू ट्रेडिंग कंपनी	21.61	15.18	12.50	8.65	3.85
कुल	**352.94**	**210.21**	**226.81**	**141.18**	**85.63**

(स्रोत: बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर गणना)

प्रबंधन ने (अगस्त 2018 में) उत्तर दिया कि प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग द्वारा प्रावधान वक्तव्य तैयार किए जा रहे हैं और सुरक्षा विवरण के अनुसार एनपीए खातों के मामले में प्रावधान किया गया है। उन्होंने (दिसंबर 2018 में) कहा कि एनपीए के दो[18] मामलों में, 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक खातों को अंतिम रूप देते समय बैंक डेटाबेस में सुरक्षा विवरण को समय पर अद्यतित नहीं किया गया था। डेटाबेस तब से अद्यतित किया गया है।

परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था, जो कि बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में कमियों को दर्शाता है जैसा कि आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

4.6.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

आरबीआई अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के तहत आईआरएसी मानदंडों का बैंकों द्वारा अनुपालन का निर्धारण करता है। इसके अतिरिक्त, अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर अनुशासन को बढ़ावा देना और आईआरएसी मानदंडों का अनुपालन करने हेतु, आरबीआई ने सभी बैंकों को (अप्रैल 2017 में) वित्तीय विवरणों में समुचित खुलासे करने के निदेश दिऐ जहां (क) संदर्भ अवधि के लिए कर के बाद आरबीआई द्वारा मूल्यांकन की गई अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताओं को प्रकाशित निवल लाभ का 15 प्रतिशत से अधिक हो, या (ख) आरबीआई द्वारा पहचाना गया अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि, या दोनों के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15 प्रतिशत से अधिक हो। बैंक द्वारा वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए एनपीए की रिपोर्टिंग में विचलन था, जैसा कि नीचे **तालिका-4.3** में वर्णित है:

16 सी = (ए-बी) का 100 प्रतिशत + बी का 40 प्रतिशत

17 ई = (सी-डी)

18 मेसर्स पैराडाइज एवेन्यू तथा मेसर्स त्रम्बू ट्रेडिंग कंपनी

तालिका-4.3: बैंक द्वारा एनपीए की रिपोर्टिंग में विचलन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**विवरण**	**2015-16**	**2016-17**
1.	31 मार्च को सकल एनपीए जैसा कि बैंक ने रिपोर्ट किया	4,368.62	6,000.01
2.	31 मार्च को सकल एनपीए जैसा कि आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किया गया है	6,252.32	6,909.00
3.	**सकल एनपीए में विचलन (2-1)**	**1,883.70**	**908.99**
4.	31 मार्च को एनपीए के लिए प्रावधान जैसा कि बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया है	2,111.80	3,425.29
5.	31 मार्च को एनपीए के लिए प्रावधान जैसा कि आरबीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है	2,629.20	3,546.48
6.	**प्रावधान में विचलन (5-4)**	**517.40**	**121.19**
7.	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए कर (पीएटी) के बाद निवल लाभ	416.04	(1,632.29)
8.	प्रावधान में विचलन को ध्यान में रखते हुए कर (पीएटी) के बाद समायोजित (काल्पनिक) निवल लाभ	(101.36)	(1,753.48)

बैंक ने मार्च 2016 के अंत में ₹4,368.62 करोड़ और मार्च 2017 के अंत में ₹6,000.01 करोड़ के सकल एनपीए का खुलासा किया था और क्रमशः ₹2,111.80 करोड़ और ₹3,425.29 करोड़ की राशि के प्रावधान किए थे। तथापि, आरबीआई ने मार्च 2016 के अंत में ₹6,252.32 करोड़ और मार्च 2017 के अंत में ₹6,909 करोड़ के सकल एनपीए का आकलन किया था, जिसके परिणामस्वरूप 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः 43.12 प्रतिशत और 15.15 प्रतिशत का विचलन हुआ। आरबीआई द्वारा इंगित किए गए विचलन के परिणामस्वरूप, बैंक को 2016-17 और 2017-18 के वित्तीय विवरणों में क्रमशः ₹517.40 करोड़ (2015-16 से संबंधित) और ₹121.19 करोड़ (2016-17 से संबंधित) का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, अभिलेखों से पता चला कि 2015-16 में ₹246.89 करोड़, 2016-17 में ₹936.56 करोड़ और 2017-18 ₹305.19 करोड़ के अग्रिम जो कुल एनपीए का 11.56 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 10.90 प्रतिशत था जिसे केवल सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा एनपीए के रूप में इसकी पहचान किऐ जाने के पश्चात ही एनपीए में वर्गीकृत किया गया।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि एनपीए की उचित और समय पर पहचान सुनिश्चित करने के लिए, बैंक के पास एक स्तरीय परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली है, जिसमें मासिक आधार पर, परिसंपत्ति वर्ग के अनुसार, संपत्ति डाउनग्रेड की प्रभावी दिनांक से, लेखे स्वचालित रूप से डाउनग्रेड हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, नियामक नियमों के अनुसार, इन खातों के परिसंपत्ति वर्गीकरण को सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष स्तर पर और ज़ोनज़ में एक विशेष क्रेडिट मॉनिटरिंग सेल (2016 में) स्थापित किया गया था।

तथापि, एक स्तरीय परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली तथा, शीर्ष स्तर पर और ज़ोनज़ में विशेष क्रेडिट मॉनिटरिंग सेल होने के बावजूद, आरबीआई/ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित/ पाए गए संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में भारी विचलन था।

इस प्रकार, बैंक की ऋण नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली यथासमय में एनपीए खातों की पहचान करने में विफल रही जो यह दर्शाती है कि मंडल की लेखापरीक्षा समिति ने बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया था। बैंक को एनपीए खातों की रिपोर्टिंग के अंतर्गत आने वाले अंतराल को पहचानने और सुधारने के लिए वर्तमान परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

4.7 बैंकिंग परिचालन

बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक, ऋण देने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जमा स्वीकार करना है। बैंक सावधिजमा, बचत बैंक जमा, चालू खाता जमा इत्यादि, विभिन्न रूपों के माध्यम से ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है। बैंक द्वारा ग्राहकों को उनकी जमा राशि पर ब्याज भुगतान किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशि जैसे टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिलों की खरीद या डिस्काउंटिंग आदि विभिन्न रूपों में होती है। अग्रित पर ब्याज एक बैंकिंग कंपनी के लिए आय का प्रमुख स्रोत है।

4.7.1 क्रेडिट डिपॉज़िट अनुपात

क्रेडिट डिपॉज़िट (सीडी) अनुपात बैंकिंग क्षेत्र में ऋण की मांग के अनुपात में कुल जमा वृद्धि के संदर्भ में बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य का एक सूचकांक है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान बैंक का सीडी अनुपात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के समग्र राष्ट्रीय औसत से नीचे रहा जिसका वर्णन **चार्ट-4.4** में नीचे किया गया है।

चार्ट-4.4: क्रेडिट डिपॉज़िट अनुपात-तुलना

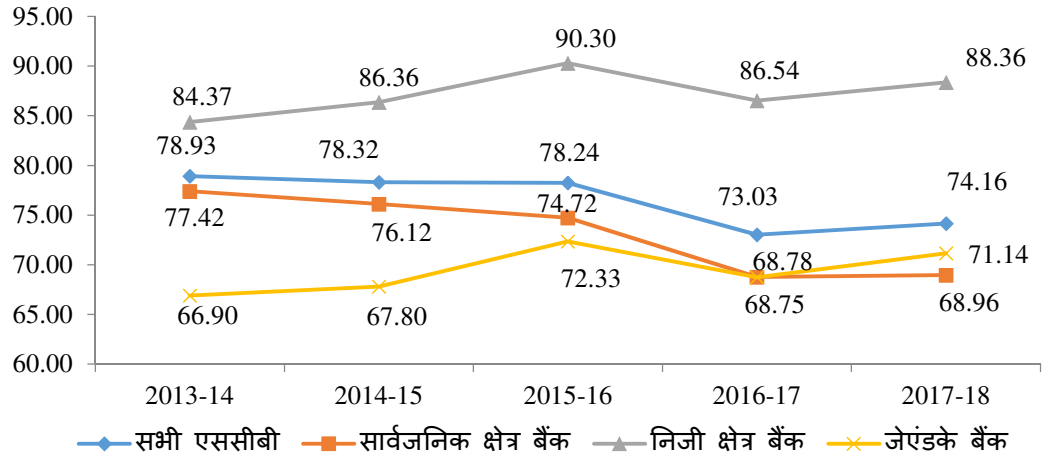

(स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट)

आंकड़ों के ज़ोन-वार विश्लेषण से पता चला है कि 2017-18 के दौरान, जम्मू सेंट्रल-I और कश्मीर सेंट्रल-I में सीडी अनुपात क्रमशः 25.28 प्रतिशत और 52.40 प्रतिशत तक रहा। तुलनात्मक रूप से, 2017-18 के दौरान सीडी अनुपात बेंगलुरु ज़ोन में 350.19 प्रतिशत, मुंबई ज़ोन में 844.21 प्रतिशत और दिल्ली ज़ोन में 230.78 प्रतिशत रहा।

जैसा कि **तालिका-4.5** में दर्शाया गया है, राज्य के भीतर जमा मार्च 2014 में ₹45,193.38 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 में ₹71,472.00 करोड़ हो गया था। तथापि, राज्य के भीतर खराब सीडी अनुपात ने संकेत दिया कि बैंक राज्य के भीतर जमा राशि के लिए राज्य की धनराशि को अग्रिम करने में सक्षम नहीं था। इसके बजाय, राज्य के भीतर से निधियों की उगाही की गई थी और राज्य के बाहर अग्रिम दिए गए थे। इस दृष्टिकोण के साथ, बैंक जम्मू और कश्मीर के आर्थिक परिवर्तन को बढ़ाने और उत्प्रेरित करने के लिए अपनी उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो सका।

प्रबंधन ने 2016-17 के दौरान राज्य के क्षेत्रों में निम्न सीडी अनुपात को वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विमुद्रीकरण के कार्यान्वयन के दौरान बड़ी जमा राशि के अंतर्वाह को जिम्मेदार ठहराया (दिसंबर 2018)।

प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वर्ष 2016-17 में विमुद्रीकरण का प्रभाव सभी एससीबी के लिए स्पष्ट था। तथ्य यह है कि जम्मू और कश्मीर बैंक का सीडी अनुपात पांच साल में से, चार में सभी श्रेणियों की तुलना में सबसे कम रहा।

अनुवर्ती पैराग्राफ में जमा और अग्रिम पर विस्तार से चर्चा की गई है।

4.7.2 जमा

बैंक के जमा की स्थिति और 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्राप्त लक्ष्यों को **तालिका-4.4** और **तालिका-4.5** में दिया गया है।

तालिका-4.4: जमा की वर्ष-वार वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष का 31 मार्च	जमा	साल दर साल वृद्धि	जमाओं की वृद्धि दर (प्रतिशत)		बैंक की जमा राशि का ब्रेक अप	
			जेएंडके बैंक	सभी एससीबी[19]	राज्य के भीतर	राज्य के बाहर
2013-14	69,335.86	5,115.24[20]	7.97	*14.85*	45,193.38 (65.18)	24,142.48 (34.82)
2014-15	65,756.19	(-) 3,579.67	(-) 5.16	*10.55*	48,724.60 (74.10)	17,031.59 (25.90)

19 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट)

20 31 मार्च 2013 के अंत में जमा राशि ₹64,220.62 करोड़ थी

वर्ष का 31 मार्च	जमा	साल दर साल वृद्धि	जमाओं की वृद्धि दर (प्रतिशत)		बैंक की जमा राशि का ब्रेक अप	
			जेएंडके बैंक	सभी एससीबी[19]	राज्य के भीतर	राज्य के बाहर
2015-16	69,390.25	3,634.06	5.53	6.98	52,762.34 (76.04)	16,627.91 (23.96)
2016-17	72,463.10	3,072.84	4.43	10.12	61,416.95 (84.76)	11,046.15 (15.24)
2017-18	80,006.00	7,542.91	10.41	6.12	71,472.00 (89.33)	8,534.00 (10.67)
2013-2018 के दौरान वृद्धि		**15,785.38**	**24.58**			

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

कोष्ठक में आंकड़े राज्य के भीतर/ बाहर कुल जमा राशि के प्रतिशत को दर्शाते हैं

तालिका-4.5: जमाओं का लक्ष्य और उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भौगोलिक	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी	कमी (प्रतिशत)
2013-14	राज्य के भीतर	48,431.00	45,193.38	3,237.62	6.69
	राज्य के बाहर	26,706.00	24,142.48	2,563.52	9.60
	कुल	**75,137.00**	**69,335.86**	**5,801.14**	**7.72**
2014-15	राज्य के भीतर	52,882.00	48,724.60	4,157.40	7.86
	राज्य के बाहर	27,199.00	17,031.59	10,167.41	37.38
	कुल	**80,081.00**	**65,756.19**	**14,324.81**	**17.89**
2015-16	राज्य के भीतर	57,761.00	52,762.34	4,998.66	8.65
	राज्य के बाहर	19,902.00	16,627.91	3,274.09	16.45
	कुल	**77,663.00**	**69,390.25**	**8,272.75**	**10.65**
2016-17	राज्य के भीतर	60,728.00	61,416.95	@	-
	राज्य के बाहर	18,546.00	11,046.15	7,499.85	40.44
	कुल	**79,274.00**	**72,463.10**	**6,810.90**	**8.59**
2017-18	राज्य के भीतर	70,572.00	71,472.00	@	-
	राज्य के बाहर	12,701.00	8,534.00	4,167.00	32.81
	कुल	**83,273.00**	**80,006.00**	**3,267.00**	**3.92**

(स्रोत: बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना) @ - प्राप्त लक्ष्य

2013-18 की अवधि के दौरान बैंक की जमा राशि में 24.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, बैंक के जमा की वृद्धि दर 2013-17 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राष्ट्रीय औसत से कम रही।

- 2013-17 के दौरान बैंक के जमा की वृद्धि दर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीय औसत से कम रही।
- जमा के समग्र लक्ष्य को कवर किए गए किसी भी वर्ष में हासिल नहीं किया गया था, खासकर राज्य के बाहर से।

विश्लेषण से पता चला है कि राज्य के बाहर जमा मार्च 2014 के अंत में ₹24,142.48 करोड़ से घटकर मार्च 2018 के अंत तक ₹8,534 करोड़ रह गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य के बाहर जमा का प्रतिशत जो मार्च 2014 के अंत में अपनी कुल जमा का 34.82 प्रतिशत था, मार्च 2018 के अंत तक घटकर 10.67 प्रतिशत हो गया।

बैंक ने राज्य के भीतर 2016-18 की अवधि में जमा के संघटन के लक्ष्य को प्राप्त किया। तथापि, 2014-18 के दौरान राज्य के बाहर से जमा के लक्ष्यों की प्राप्ति में 9.60 प्रतिशत से 40.44 प्रतिशत के बीच की कमी थी।

2014-15 के दौरान मुंबई जोन में लक्ष्यों की प्राप्ति में 59.97 प्रतिशत कमी आई। मार्च 2018 के अंत में स्थिति में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि 2017-18 के दौरान 58.66 प्रतिशत की कमी थी। दिल्ली और बैंगलोर ज़ोन में, 2016-17 के दौरान क्रमशः 40.81 प्रतिशत और 69.50 प्रतिशत की कमी थी।

2016-17 के प्रति 2017-18 में जमा की वृद्धि दर 10.41 प्रतिशत थी, इसकी तुलना में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा वृद्धि 6.12 प्रतिशत थी। 2016-17 के प्रति, 2017-18 में बैंक में सरकारी जमा राशि ₹1,929.58 करोड़ (34.61 प्रतिशत) बढ़ी और कॉरपोरेट क्षेत्र से ₹3,401.91 करोड़ (15.70 प्रतिशत) जमा हुए।

इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान बैंक ने कम लागत वाली जमाओं को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया था और उच्च लागत वाली थोक जमा रोलओवर नहीं की, जो मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर राज्य के बाहर से उद्ग्रहित किया गया था, जिससे जमा प्रतिशत का हिस्सा जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ राज्य से बाहर की जमा के हिस्से में भी कमी आई।

तथापि, बैंक लगातार वर्षों में राज्य के बाहर से जमा करने के लक्ष्य को कम कर रहा था, लेकिन जमा के न्यूनतम लक्ष्यों को भी हासिल नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, बैंक 2014-18 के दौरान किसी भी वर्ष में जमा के कुल लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा।

4.7.2.1 आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन में सरकारी विभागों के बचत बैंक खाते

'आरबीआई (जमा पर ब्याज दर) दिशा-निर्देश, 2016' के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (मार्च 2016 में) व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता और संगठनों/ एजेंसियों को छोड़कर, संस्थानों के नाम से बचत खाता खोलने के लिए

प्रतिबंधित किया गया था। इसके अतिरिक्त, बैंकों को केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी अनुदान/ सब्सिडी के संबंध में सरकारी विभागों/ निकायों/ एजेंसियों के बचत खाते खोलने की अनुमति दी गई थी।

तथापि, अभिलेखों से पता चला है कि बैंक ने मार्च 2016 के आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन में, बैंक के मुविंग सचिवालय शाखा के साथ जीओजेके के विभागों द्वारा अनुरक्षित बचत खातों के संचालन की अनुमति दी हालांकि ये खाते सरकार द्वारा प्रायोजित किसी कार्यक्रम/ योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी अनुदान/ सब्सिडी के प्रबंधन के लिए संचालित नहीं किए जा रहे थे, बल्कि इन खातो का संचालन राजस्व के संग्रह के लिए किया जा रहा था।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि बैंक 31 मार्च 2018 से आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा था।

तथापि, मार्च 2016 में आरबीआईके निर्देशों के बावजूद, ऊपर बताए गए दो[21] बचत खाते दिसंबर 2018 तक चालू थे। इसके अतिरिक्त, बैंक ने मार्च 2016 और दिसंबर 2018 के बीच इन खातों में ₹3.06 करोड़ का ब्याज जमा किया था।

4.7.3 अग्रिम

2013-14 से 2017-18 के दौरान निजी, सार्वजनिक और एससीबी की तुलना में, बैंक के अग्रिमों (सकल) की स्थिति और उनकी वार्षिक वृद्धि **तालिका-4.6** में दी गई है:

तालिका-4.6: अग्रिमों की वर्ष-वार स्थिति

(₹करोड़ में)

वर्ष	अग्रिम (सकल)	साल दर साल वृद्धि	जम्मू और कश्मीर बैंक के अग्रिमों की वृद्धि (प्रतिशत)	अग्रिमों की वृद्धि दर (प्रतिशत)[22]		
				सभी एससीबी	निजी क्षेत्र के बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
2013-14	47,137.54	7,283.84[23]	18.28	15.14	18.15	14.38
2014-15	46,300.54	-837.00	-1.78	9.96	18.16	7.68
2015-16	52,493.74	6,193.20	13.38	8.07	22.73	3.65
2016-17	53,573.45	1,079.71	2.06	3.74	14.91	0.76
2017-18	60,298.28	6,724.83	12.55	9.31	20.26	4.69

(स्रोत: बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और आरबीआई की रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी)

21 जेएंडके सरकार के वित्त विभाग और पीएचई विभाग द्वारा अनुरक्षित बचत बैंक खाते

22 स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

23 मार्च 2013 के अंत में अग्रिम ₹39,853.70 करोड़ थे

बैंक ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान, अग्रिमों में 51.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि साल दर साल (वाईओवाई) की वृद्धि दर (-) 1.78 प्रतिशत और 18.28 प्रतिशत के बीच थी जो **चार्ट-4.5** में दर्शायी गयी है।

चार्ट-4.5: अन्य बैंकों की तुलना में बैंक के अग्रिमों की वृद्धि (प्रतिशत)

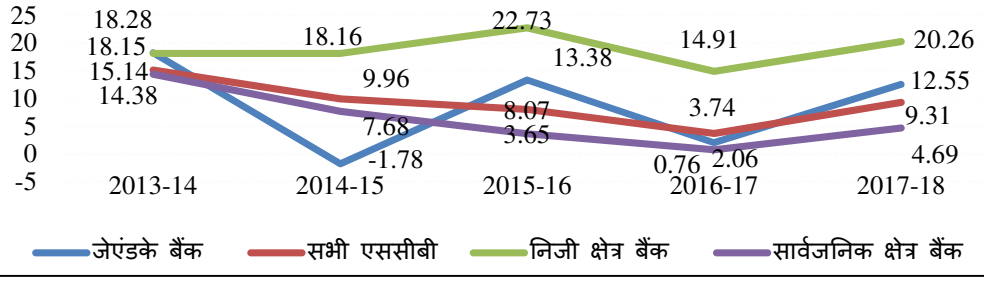

राज्य के भीतर अग्रिमों में 2013-14 से 2017-18 के दौरान 82.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, राज्य के बाहर के अग्रिमों में 2013-14 से 2017-18 के दौरान 11.72 प्रतिशत की कमी देखी गई। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, बैंगलोर और मुंबई के क्षेत्रों में अग्रिमों की क्रमशः 29.02 प्रतिशत और 16.26 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि देखी गई। इसके अतिरिक्त, 2014-15 और 2016-17 के दौरान, बैंक के अग्रिमों में वृद्धि सभी एससीबी के राष्ट्रीय औसत से कम रही।

प्रबंधन ने सितंबर 2014 में बाढ़ और राज्य में 2016 में सामाजिक गड़बड़ी को 2014-15 और 2016-17 के दौरान कम क्रेडिट ऑफ टेक के लिए जिम्मेदार ठहराया (दिसंबर 2018)। उन्होंने कहा, कि बैंक ने जम्मू और कश्मीर राज्य में कम टिकट उच्च-मात्रा वाले ऋण वितरण को जारी रखा और देश के बाकी हिस्सों में चयनात्मक बड़े-टिकट ऋण दिए।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 2014-2018 के दौरान अग्रिमों के लक्ष्यों की प्राप्ति में 5.89 प्रतिशत और 19.73 प्रतिशत के बीच कमी रही जो **तालिका-4.7** में वर्णित है:

तालिका-4.7: अग्रिमों के संबंध में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य (सकल)	उपलब्धियाँ	कमी	
			राशि	(प्रतिशत में)
2013-14	50,304.00	47,137.54	3,166.46	6.29
2014-15	57,679.00	46,300.54	11,378.46	19.73
2015-16	55,778.00	52,493.74	3,284.26	5.89
2016-17	62,117.00	53,573.45	8,543.55	13.75
2017-18	70,822.00	60,298.28	10,523.72	14.86

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

2014-15 के दौरान, बैंगलोर ज़ोन में 39.15 प्रतिशत, 2017-18 के दौरान, मुंबई ज़ोन में 28.84 प्रतिशत, 2017-18 के दौरान, दिल्ली ज़ोन में 37.26 प्रतिशत, 2015-16 के दौरान, जम्मू सेंट्रल-I में 16.36 प्रतिशत और 2016-17 के दौरान, कश्मीर सेंट्रल-I में 16.25 प्रतिशत के अग्रिमों में कमी देखी गई। अग्रिमों के लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि के परिणामस्वरूप, निधियाँ कमी की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि अग्रिमों में कम वृद्धि के परिणामस्वरूप, लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आई और राज्य के बाहर खुदरा उधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।

i) अग्रिमों की गुणवत्ता

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान, सकल अग्रिमों में 51.30 प्रतिशत[24] की वृद्धि हुई और **चार्ट-4.6** में यथा वर्णित निवल अग्रिमों[25] में अनुगामी वृद्धि 45.18 प्रतिशत[26] रही।

चार्ट-4.6: निवल अग्रिमों की तुलना में सकल अग्रिमों की वृद्धि

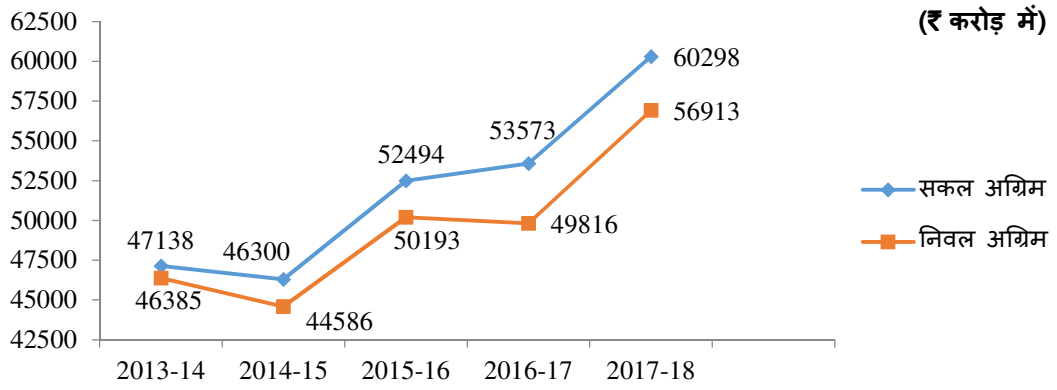

समीक्षा अवधि के दौरान, सकल अग्रिमों और निवल अग्रिमों के बीच बढ़ता अंतर अग्रिमों की बिगड़ती गुणवत्ता का संकेत है क्योंकि बैंक को संदिग्ध अग्रिमों के लिए अधिक प्रावधान करना पड़ा। प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि सितंबर 2014 में बाढ़ और 2016 में सामाजिक गड़बड़ी के कारण बैंक को व्यावसायिक व्यवधानों का सामना करना पड़ा। प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बाढ़ और सामाजिक गड़बड़ियों ने, राज्य के भीतर व्यापार को प्रभावित किया है, जबकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, राज्य के बाहर बैंक का सकल एनपीए अनुपात राज्य के भीतर की तुलना में बहुत अधिक रहा, जो बैंक के अग्रिमों की गुणवत्ता बिगड़ने का संकेत देता है।

---

[24] मार्च 2013 के अंत में सकल अग्रिम ₹39,853.70 करोड़ थे

[25] निवल अग्रिम सकल अग्रिम माइनस प्रावधान के बराबर है

[26] मार्च 2013 के अंत में अग्रिम ₹39,200.41 करोड़ थे

ii) असुरक्षित अग्रिमों की स्थिति

31 मार्च 2018 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के लिए असुरक्षित अग्रिमों की स्थिति नीचे **तालिका-4.8** में दी गई है:

तालिका-4.8: असुरक्षित अग्रिमों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

निवल अग्रिम की श्रेणी	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वास्तविक परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	36,983	34,130	37,922	36,584	40,453
बैंक/ सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया	51	342	583	596	582
असुरक्षित	9,351	10,114	11,688	12,636	15,878
कुल निवल अग्रिम	**46,385**	**44,586**	**50,193**	**49,816**	**56,913**
कुल निवल अग्रिमों के लिए असुरक्षित अग्रीमों का प्रतिशत	20.16	22.68	23.29	25.37	27.90

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

कुल निवल अग्रिमों के लिए, असुरक्षित अग्रिमों का प्रतिशत मार्च 2014 के अंत में 20.16 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 के अंत में 27.90 प्रतिशत हो गया, जो असुरक्षित जोखिम के लिए बैंक द्वारा निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक था। वृद्धि इंगित करती है कि बैंक ने ऋणों को एनपीए में परिवर्तित होने के मामले में अग्रिमों की वसूली नहीं होने के जोखिम के प्रति, खुद को सुरक्षित किए बिना, असुरक्षित अग्रिमों के लिए अपने जोखिम को बढ़ा दिया था।

प्रबंधन ने असुरक्षित अग्रिमों में वृद्धि को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया कि यह जोखिम भरे अग्रिमों (समवर्ती रूप से सुरक्षित) के बजाय, शेष भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अग्रिम देने के लिए प्राथमिकता देता है। प्रबंधन विवाद तथ्यों पे आधारित नहीं है क्योंकि पीएसयू के असुरक्षित अग्रिम मार्च 2014 के अंत तक, कुल असुरक्षित अग्रिमों का मात्र 9.62 प्रतिशत थे जो 31 मार्च 2018 को 6.23 प्रतिशत पर आ गए।

4.7.4 जोखिम प्रबंधन ढांचा

वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में बैंक विभिन्न प्रकार के वित्तीय और गैर-वित्तीय जोखिमों के साथ क्रेडिट, बाजार, तरलता, कानूनी, नियामक, प्रतिष्ठित, परिचालन आदि का सामना करते हैं। ये जोखिम अत्यधिक अन्योन्याश्रित हैं और जोखिम के एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली घटनाओं में अन्य जोखिम श्रेणियों के लिए प्रभावी हो सकते हैं। इस प्रकार, बैंकों के शीर्ष प्रबंधन को जोखिम के समग्र स्तर की पहचान करने, मापने, निगरानी करने और नियंत्रित करने की क्षमता में सुधार करने को काफी महत्व देना चाहिए।

i) ऋण एकाग्रता जोखिम

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो का एक विस्तृत एकाग्रता जोखिम विश्लेषण करता है। विश्लेषण का उद्देश्य सीमा की स्थिति का आकलन करने और इसके अतिरिक्त, उधार रणनीतियों को तैयार करने के लिए विभिन्न खंडों में एकाग्रता की तस्वीर खींचना है।

31 मार्च 2016 को उद्योग-वार जोखिम के लिए बैंक के एकाग्रता जोखिम को 'मध्यम' रूप में वर्गीकृत किया गया था, क्योंकि बुनियादी ढांचे के उद्योग के लिए अग्रिम कुल उद्योग जोखिम का 42.64 प्रतिशत था। अवसंरचना अग्रिम के कारण, इसे 2016-17 और 2017-18 के दौरान 'उच्च' के रूप में वर्गीकृत किया गया था जो मार्च 2017 के अंत में 45.10 प्रतिशत और मार्च 2018 की समाप्ति पर 49.04 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

उद्योग-वार एक्पोज़र के लिए बैंक का एकाग्रता जोखिम अधिक था जब समग्र बैंकिंग उद्योग के औसत के साथ इसकी तुलना की गई, जैसा कि **चार्ट-4.7** में दिखाया गया है:

चार्ट-4.7: कुल औद्योगिक अग्रिमों के लिए अवसंरचना अग्रिम का प्रतिशत

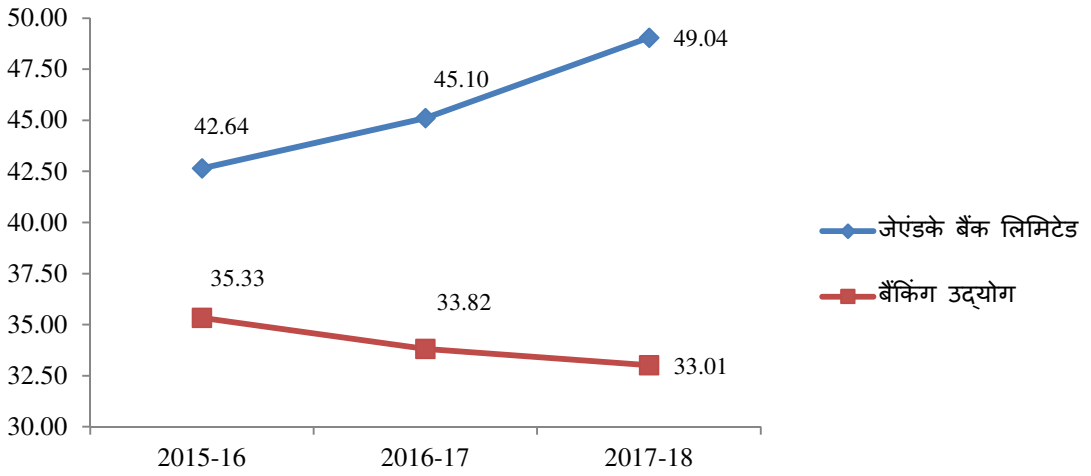

अवसंरचना क्षेत्र में जोख़िम बढ़ने के बावजूद, बैंक ने इस क्षेत्र में आगे कर्ज देने को नियंत्रित करने हेतु कदम नहीं उठाये। इसके अतिरिक्त, बैंक ने एनपीए के बैंकिंग उद्योग-वार वृद्धि का विश्लेषण नहीं किया।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एकाग्रता जोखिम की बैंक द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है और 31 मार्च 2019 तक, उद्योग एक्सपोज़र के लिए, अवसरंचनात्मक अग्रिमों का प्रतिशत घटकर 42.02 प्रतिशत हो गया है।

ii) मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति

एक बैंक में मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की भूमिका संभावित जोखिमों की समीक्षा और प्रबंधन करना है, जो कि विनियामक परिवर्तन/ या अर्थव्यवस्था/ राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन, बाजार, क्रेडिट और परिचालन जोखिमों के अंतर्संबंधों के विश्लेषण और सुविधा प्रदान करने से उत्पन्न हो सकते है। इसके अतिरिक्त, उसे जोखिम प्रोफ़ाइल की समीक्षा करने और संभावित जोखिमों को कम करने की कार्रवाई को प्राथमिकता देनी होती है।

सर्वोत्तम अभ्यासों के साथ जोखिम प्रबंधन प्रणाली को संरेखित करने के लिए, आरबीआई ने (अप्रैल 2017 में) सभी बैंकों को मंडल के अनुमोदन के साथ एक निश्चित कार्यकाल के लिए, सीआरओ नियुक्त करने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त, बैंकों को सलाह दी गई कि वे सीआरओ की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए, मंडल द्वारा अनुमोदित नीति निर्धारित करें।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अप्रैल 2017 और मई 2018 के बीच सीआरओ का पद रिक्त रहा क्योंकि मई 2018 तक सीआरओ की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर कोई मंडल-अनुमोदित नीति नहीं थी।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि अप्रैल 2017 से मई 2018 की अवधि के दौरान, कार्य की देखरेख, अध्यक्ष, जोखिम प्रबंधन द्वारा की गई थी।

iii) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति

आरबीआई ने (दिसंबर 2002 में) बैंकों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) पर मार्गदर्शन नोट जारी किया और सभी बैंकों को जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए मंडल द्वारा अनुमोदित एक अच्छी तरह से परिभाषित नीति विकसित करने की सलाह दी। नीति के लिए, जोखिम मूल्यांकन क्षेत्रों को पहचानने के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति को शामिल करना आवश्यक था जिसके आधार पर लेखापरीक्षा योजना तैयार की जानी थी।

इस तथ्य के बावजूद कि, मंडल की लेखापरीक्षा समिति ने 8 दिसंबर 2013 को हुई बैठक में सिफारिश की थी कि आरबीआईए नीति तैयार करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, बैंक के पास 2013-14 से 2018-19 के दौरान, मंडल द्वारा अनुमोदित आरबीआईए नीति नहीं थी। तथापि, आरबीआईए नीति को मार्च 2019 में मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो खराब अनुपालन ढांचे को दर्शाता है।

आरबीआईए नीति की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा संसाधनों के आवंटन को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती और फील्ड कर्मचारियों के बीच जोखिम संवेदनशीलता पैदा नहीं की जा सकती है।

iv) निवारक सतर्कता ढांचा

आरबीआई ने (मई 2011 में) आंतरिक सतर्कता पर निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को आंतरिक सतर्कता (सीआईवी) प्रमुख के रूप में उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करना था जो बैंक के आंतरिक सतर्कता प्रभाग का प्रमुख होगा। तथापि, सीआईवी को प्रसंस्करण और निर्णय लेने की प्रक्रिया का पक्ष या अन्य प्रशासनिक लेनदेन में शामिल नहीं होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट सतर्कता संवेदनशीलता होने की संभावना हो।

अक्टूबर 2016 और मई 2017 की अवधि के दौरान, बैंक के सीआईवी के रूप में नामित अधिकारी, अग्रिम और परिसंपत्ति नियोजन (जम्मू-कश्मीर) पोर्टफोलियो और परिसंपत्ति निगरानी और सूचना विभाग की देख रेख कर रहा था जो उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार, सीआईवी को समय-समय पर बैंक की सतर्कता गतिविधियों पर एक रिपोर्ट मंडल को प्रस्तुत करनी आवश्यक थी। तथापि, बैंक का सीआईवी, 2013-14 से 2017-18 के दौरान मंडल को कोई रिपोर्ट देने में विफल रहा। बैंक ने केवल नवंबर 2018 में निवारक सतर्कता ढांचे पर एक नीति दस्तावेज तैयार किया।

प्रबंधन ने स्वीकार किया कि सतर्कता से काम करने की रिपोर्ट को लेखापरीक्षा जांच के दौरान मंडल के सामने नहीं रखा गया और (अगस्त 2019 में) कहा कि अब समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

v) मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी की नियुक्ति

तकनीक के क्षेत्र में, बैंकों के जोखिम अभिशासन ढांचे को मजबूत करने के लिए, आरबीआई ने (मई 2017 में) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, बैंकों में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) नियुक्त करने की सलाह दी। नियामक ने निर्धारित किया कि सीटीओ के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

तथापि, मई 2017 और जून 2019 के बीच की अवधि के दौरान, बैंक के प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार संभालने वाले अध्यक्ष, नियामक द्वारा निर्धारित अर्हता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) इसके लिए उपाध्यक्ष स्तर पर, आईटी प्रोफेशनल की अनुपलब्धता को जिम्मेदार ठहराया।

4.7.5 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ

2013-14 से 2017-18 के दौरान, बैंक के सकल एनपीए की प्रवृति को नीचे **तालिका-4.9** में दर्शाया गया है

तालिका-4.9: गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	**वर्ष की शुरुआत में एनपीए**	643.77	783.42	2,764.08	4,368.62	6,000.01
2.	**वर्ष के दौरान योग**	410.60	2,525.80	2,383.23	3,278.41	3,104.69
3.	**वर्ष के दौरान कुल एनपीए**	**1,054.37**	**3,309.22**	**5,147.31**	**7,647.03**	**9,104.70**
	कम					
4.	उन्नत किए गए लेखे[27]	117.70	343.77	188.92	154.76	185.64
5.	की गई वसूली	146.16	197.53	272.07	664.34	1,300.63
6.	रिटन ऑफ	7.09	3.84	317.70	827.92	1,611.73
7.	**एनपीए में कुल कमी (पंक्ति 4+5+6)**	**270.95**	**545.14**	**778.69**	**1,647.02**	**3,098.00**
8.	प्रत्येक वर्ष के अंत में एनपीए	783.42	2,764.08	4,368.62	6,000.01	6,006.70
9.	सकल अग्रिम	47,137.54	46,300.54	52,493.74	53,573.45	60,298.28
10.	सकल अग्रिम में एनपीए (प्रतिशत)	1.66	5.97	8.32	11.20	9.96

(स्रोत: बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी और बैंक के वार्षिक खाते)

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि बैंक के सकल एनपीए में ₹5,362.93 करोड़ (833.05 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो 01 अप्रैल 2013 को ₹643.77 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2018 तक ₹6,006.70 करोड़ हो गया। 2014-2018 की अवधि के दौरान, बैंक ने ₹11,702.73 करोड़ के अग्रिमों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया। इसमें से, 2014-2017 के दौरान तीन ज़ोन[28] द्वारा ₹7,164.98 करोड़ (61.22 प्रतिशत) का एनपीए में योगदान दिया गया। 2013-14 से 2017-18 के दौरान, एनपीए में ₹6,339.80 करोड़ की समग्र कमी में, ₹2,580.73 करोड़ (40.71 प्रतिशत) की वास्तविक वसूली, ₹990.79 करोड़ उन्नत किए गए लेखों से (15.63 प्रतिशत) और ₹2,768.28 करोड़ (43.66 प्रतिशत) रिटन ऑफ के कारण हुई थी।

सकल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत जो मार्च 2014 के अंत में 1.66 प्रतिशत था, वह मार्च 2018 के अंत में बढ़कर 9.96 प्रतिशत हो गया।

बैंक का सकल एनपीए अनुपात, देश के निजी क्षेत्र के बैंकों और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (2017-18 को छोड़कर) के औसत से ऊपर था जैसा कि नीचे दिए गए **चार्ट-4.8** में दर्शाया गया है:

---

27 एक बार पिछला बकाया चुकाने के बाद, खाते को नियमित किया जाएगा और एनपीए से मानक संपत्ति में परिवर्तित किया जाएगा

28 दिल्ली ज़ोन: ₹3,544 करोड़; मुंबई जोन: ₹2,718.15 करोड़; कश्मीर सेंट्रल-I ज़ोन: ₹902.83 करोड़

चार्ट-4.8: बैंकिंग उद्योग के साथ बैंक के सकल एनपीए अनुपात की तुलना (प्रतिशत)

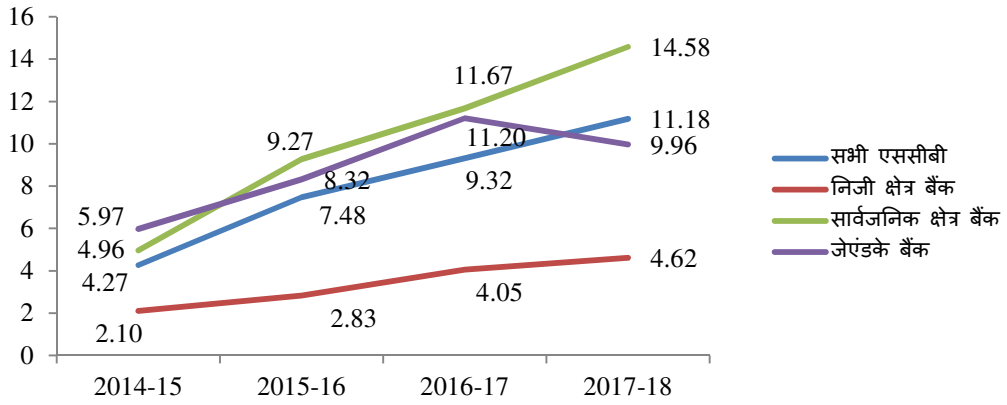

डिवीजन-वार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि राज्य के बाहर के ग्राहकों की तुलना में, 31 मार्च 2018 को सकल एनपीए का प्रतिशत राज्य के भीतर कम था। जम्मू डिवीजन में यह 4.37 प्रतिशत, कश्मीर डिवीजन में 5.23 प्रतिशत और राज्य से बाहर 18.10 प्रतिशत था, जैसा कि नीचे दिए गए **चार्ट-4.9** में दर्शाया गया है:

चार्ट-4.9: डिवीज़न-वार सकल एनपीए (प्रतिशत)

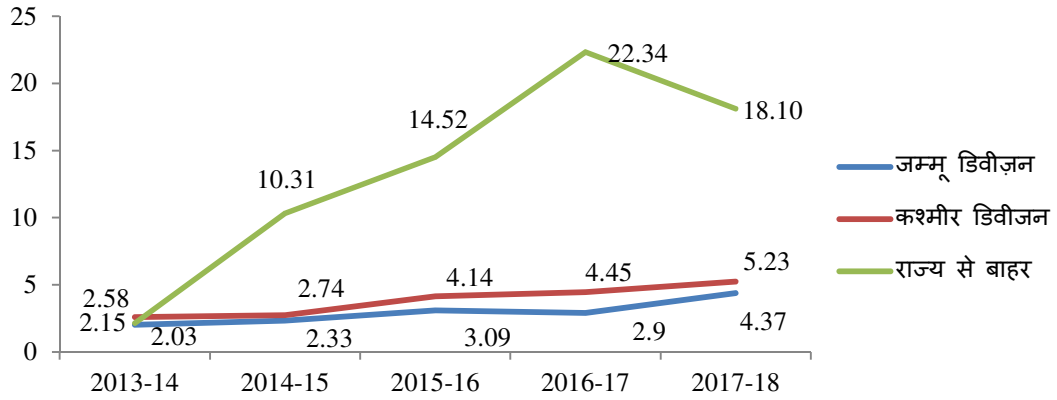

यह दर्शाता है कि बैंक राज्य के बाहर एनपीए के लिए, अग्रिमों की एनपीए में फिसलन को प्रभावी ढंग से जांचने में विफल रहा।

कंसोर्टियम वित्तपोषण

ऋण जोखिम को साझा करने के लिए कंसोर्टियम व्यवस्था के अंतर्गत बैंक की ऋण नीति बैंक को अग्रिम देने के लिए अधिकृत करती है। कंसोर्टियम के अंतर्गत ऋण का विस्तार करते समय, अग्रणी बैंक के अतिरिक्त, बैंक को भी परियोजना का स्वतंत्र मूल्यांकन करना पड़ता है।

- इस खंड के अंतर्गत, 2014-15 से 2017-18 के दौरान अग्रिमों का प्रतिशत, कुल अग्रिमों के 10.78 प्रतिशत और 16.86 प्रतिशत के बीच था।

- मार्च 2018 के अंत में कंसोर्टियम के अंतर्गत अग्रिमों की बकाया राशि ₹6,502.60 करोड़ थी जिसमें ₹3,312.69 करोड़ का एनपीए शामिल था। 31 मार्च 2018 को 9.96 प्रतिशत के समग्र सकल एनपीए अनुपात के प्रति, कंसोर्टियम अग्रिमों के अंतर्गत एनपीए 50.94 प्रतिशत थे।
- इस तथ्य के बावजूद कि कंसोर्टियम अग्रिमों के अंतर्गत एनपीए एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, बैंक ने कंसोर्टियम ऋण के अंतर्गत ऋण को आगे बढ़ाने के लिए कोई विवेकपूर्ण सीमा/ सीमा तय नहीं की थी।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) अवसंरचना/ इस्पात/ उर्जा क्षेत्रों में मंदी के लिए, एनपीए के उच्च प्रतिशत के लिए राज्य के बाहर दिए गए अग्रीमों को उत्तरदायी ठहराया। प्रबंधन ने कहा कि बैंक ने ज्यादातर कंसोर्टियम फाइनेंस के भाग के रूप में ऋण दिया और देश में आर्थिक मंदी के कारण खाते एनपीए में खिसक गए और कहा कि लिए गए फैसलों के कारण, सकल और निवल एनपीए जो एक वर्ष पूर्व 11.20 प्रतिशत और 4.87 प्रतिशत थे, मार्च 2018 तक इनको 9.96 प्रतिशत और 4.90 प्रतिशत तक ला दिया। राज्य के भीतर विस्तारित अग्रिमों हेतु, उच्च एनपीए अनुपात के लिए प्राकृतिक आपदा और सामाजिक अशांति को जिम्मेदार ठहराया गया।

तथापि, यह पाया गया कि 2014-15 से 2016-17 के दौरान, जम्मू और कश्मीर बैंक के एनपीए अनुपात ने देश के निजी क्षेत्र और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों दोनों के औसत सकल एनपीए अनुपात को पार कर दिया। मार्च 2017 के अंत में, बैंक का सकल एनपीए अनुपात 11.20 प्रतिशत दर्ज किया गया था, जबकि 31 मार्च 2017 तक सभी एससीबी का सकल एनपीए 9.32 प्रतिशत था। साथ ही, बैंक के तर्क जो बाढ़ और गड़बड़ी के कारण उच्च एनपीए अनुपात को उत्तरदायी ठहराते है, वह भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि राज्य के भीतर बैंक का सकल एनपीए अनुपात 31 मार्च 2014 के अंत में 2.41 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2017 तक 3.90 प्रतिशत हो गया, जबकि राज्य के बाहर सकल एनपीए इस अवधि के दौरान 2.15 प्रतिशत से बढ़कर 22.34 प्रतिशत हो गया था।

मुख्य रूप से ₹1,611.73 करोड़ के राइट-ऑफ़ के कारण, मार्च 2018 में एनपीए के प्रतिशत में कमी हुई।

2017-18 के दौरान एनपीए के ₹1,611.73 बट्टे खाते डालने के बाद ही, मार्च 2017 के अंत तक बैंक का सकल एनपीए अनुपात 11.20 प्रतिशत से घटकर मार्च 2018 तक 9.96 प्रतिशत हुआ।

4.7.5.1 वसूलियाँ करने में विफलता के कारण संदिग्ध वसूली और हानियाँ

2013-14 से 2017-18 के दौरान, वित्तीय वर्ष के अंत में तीन श्रेणियों के अंतर्गत अर्थात उप-मानक, संदिग्ध और हानि जनित परिसंपत्तियों के एनपीए की स्थिति नीचे **तालिका-4.10** में दी गई हैं:

तालिका-4.10: एनपीए का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	31.03.2014		31.03.2015		31.03.2016		31.03.2017		31.03.2018	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
उप-मानक	2,909	171.29 (21.86)	11,743	1,317.27 (47.66)	9,655	2,052.08 (46.97)	7,748	614.27 (10.24)	4,721	1,092.53 (18.19)
संदिग्ध	8,751	533.03 (68.04)	8,227	1,215.21 (43.96)	13,112	1,473.84 (33.74)	17,693	5,062.57 (84.38)	18,212	4,864.59 (80.99)
हानि	5,382	79.10 (10.10)	5,365	231.60 (8.38)	4,548	842.70 (19.29)	4,091	323.17 (5.38)	3,327	49.58 (0.82)
कुल	**17,042**	**783.42**	**25,335**	**2,764.08**	**27,315**	**4,368.62**	**29,532**	**6,000.01**	**26,260**	**6,006.70**

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, संबंधित तारीखों के अनुसार कुल एनपीए के लिए कोष्ठक में प्रतिशत आंकड़े हैं

बैंक पुराने एनपीए के मामलों में वसूली करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2014 के अंत में संदिग्ध और हानि जनित परिसंपत्ति श्रेणी के अंतर्गत एनपीए ₹612.13 करोड़ (कुल एनपीए का 78.14 प्रतिशत) से बढ़कर मार्च 2017 के अंत में ₹5,385.74 करोड़ (कुल एनपीए का 89.76 प्रतिशत) हो गया। तथापि, मुख्य रूप से 2017-18 के दौरान, मुख्यत: एनपीए के ₹1,611.73 करोड़ के बट्टे खाते के कारण, मार्च 2018 के अंत में यह घटकर ₹4,914.17 करोड़ (कुल एनपीए का 81.81 प्रतिशत) पर आ गया था।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि इनमें से अधिकांश खाते कंसोर्टियम बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत हैं और इन खातों में कुल अग्रिमों में बैंक की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से लेकर पाँच प्रतिशत तक है, इसलिए बैंक को इन खातों में बकाया वसूली के लिए कंसोर्टियम के फैसले का पालन करना होगा।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि मार्च 2018 के अंत में, संदिग्ध और हानि परिसंपत्ति श्रेणी के अंतर्गत, ₹4,914.17 करोड़ के एनपीए में से, कंसोर्टियम सेगमेंट के अंतर्गत, एनपीए ₹2,627.16 करोड़ था और बैंक, मल्टी-बैंकिंग तथा एकमात्र-बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत, ₹2,287.01 करोड़ रुपये एनपीए के संबंध में वसूल नहीं कर सका।

4.7.5.2 गैर-निष्पादित परिसंपत्ति मामलों का अध्ययन

एनपीए के मामलों[29] की नमूना जांच से पता चला कि बैंक के हितों को अनदेखा करते हुए, ऋण और जमा सुविधाएं बढ़ाई गई थीं। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के गैर-प्रवर्तन, अपर्याप्त सुरक्षा कवर, अनुचित क्रेडिट मूल्यांकन, प्रतिबंधों के पूर्व या बाद के संवितरण की शर्तों का पालन न करने, अनियमित निगरानी आदि के कारण ₹197.98 करोड़ की हानि/ गैर-वसूली, ₹1,599.14 करोड़ की संदिग्ध वसूली और 29 मामलों[30] में ₹14.10 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान ***परिशिष्ट-4.1.2*** में वर्णित है। इन कारणों से अग्रिम एनपीए में परिवर्तित हुए और यदि समय पर कार्रवाई की होती, तो बैंक को सुधारात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी मिल गई होती। निम्नलिखित मामलों पर प्रकाश डाला गया है:

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
1.	मैसर्स छपरिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	• बैंक ने परिसंपत्ति, स्टॉक और देनदारों पर प्रभार द्वारा, नकद क्रेडिट (सीसी), सावधि ऋण (टीएल) और अंतर्देशीय साख पत्र (आईएलसी) सहित ₹41.95 करोड़ की क्रेडिट सुविधा का (फरवरी 2011 तक) विस्तार किया। • बैंक ने (अक्टूबर 2011 में) ₹तीन करोड़ की एक और आईएलसी को मंजूरी दी जिसका अनादरण हो गया। • बैंक ने क्रेडिट की सर्विसिंग में कंपनी की डिफ़ॉल्ट पर, सुविधाओं का (जुलाई 2012 में) पुनर्गठन किया और कंपनी के 1.23 (औसत) के अनुमानित ऋण सेवा अनुपात[31] (डीएससीआर) को स्वीकार किया जो कि न्यूनतम स्वीकार्य अनुपात[32] से कम था, जो कमजोर क्रेडिट जोखिम नियंत्रण को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने कंपनी के दीर्घकालिक/ अल्पावधि ऋणों के लिए उच्च/ बहुत उच्च जोखिम की बाह्य श्रेणी[33] के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा कवर सुनिश्चित नहीं किया। • बैंक ने (जून 2013 में) ₹पांच करोड़ ऋण अनावरण भी बढ़ाया। • बैंक ने ऋण सुविधाओं की गैर-सर्विसिंग के बावजूद, स्वीकृत ₹छः करोड़ की तदर्थ नकद ऋण सुविधा को (मई 2014 में) स्वीकृत किया और उधारकर्ता कंपनी द्वारा बैंक के साथ गिरवी रखी अपनी संपत्तियों में से, एक को बेचने की अनुमति दी, जिससे उसका सुरक्षा कवर कम हो गया।

29 पांच चयनित क्षेत्रों में, 312 एनपीए मामलों का परीक्षण किया गया था, जहां 31 दिसंबर 2017 तक बकाया राशि ₹पांच करोड़ से अधिक थी

30 इसमें मेसर्स गो फ्रेश शामिल है जिसने मेसर्स केहवा स्क्वेयर प्राइवेट लिमिटेड की क्रेडिट सुविधा ली थी।

31 डीएससीआर का तात्पर्य ऋण पर वार्षिक ब्याज और मूल भुगतान को पूरा करने के लिए उपलब्ध नकदी प्रवाह से है

32 क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार, न्यूनतम डीएससीआर 1.50 के औसत के साथ, 1.30 होना चाहिए

33 क्रेडिट विश्लेषण और अनुसंधान (सीएआरई), एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा बाह्य अनावरण

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		• कंपनी अपने ऋण की अदायगी में विफल रही और बैंक ने खातों को (दिसंबर 2014 में) एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया। • ₹47.20 करोड़ के मूल और अनपेक्षित ब्याज के प्रति, बैंक ने (सितंबर 2016 में) ₹22.15 करोड़ की प्रतिभूति रखी। • यह परिसंपातियाँ, एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को ₹19 करोड़ में (फरवरी 2017 में) बेची गई। • अपर्याप्त सुरक्षा कवर और बैंक की ऋण नीति के विचलन में, ऋण सुविधाओं का विस्तार करने के परिणामस्वरूप, ₹28.20 करोड़[34] का नुकसान हुआ
2.	मेसर्स आरईआई एग्रो लिमिटेड	• बैंक ने ₹400 करोड़[35] के तीन फसल ऋण किसानों के 80 संयुक्त देयता समूहों (जाइंट लायब्लीटि ग्रुप)[36] को (दिसंबर 2012 और अगस्त 2013 के बीच में) स्वीकृत किए। बासमती धान के विपणन में लगी कंपनी को तीन संरचित किश्तों में कंपनी को चुकाया जाना था। • कंपनी की कॉरपोरेट गारंटी, कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई बासमती धान के खिलाफ जेएलजी द्वारा प्राप्त रसीदें और उत्तर दिनांकित चेक के प्रति ऋण प्राप्त किया गया था। • कंपनी ब्याज और मूलधन चुकाने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप, ऋण को (जून 2014 में) एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। • बैंक ने किसानों/ जेएलजी से उद्योषणा प्राप्त नहीं की थी कि प्राप्त धन का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाएगा, तथापि यह मंजूरी की शर्तों में से एक थी। • निधि के अंतिम उपयोग के संबंध में, बैंक ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा प्रमाणन पर भरोसा किया। इसमें कमी पाई गई क्योंकि प्रमाणीकरण केवल जेएलजी के नेताओं द्वारा किसानों को धन के हस्तांतरण के संबंध में था और किसानों द्वारा धन का अंतिम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया था। यह ऋण के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को यह पश्च-मंजूरी पर्यवेक्षण को मजबूत करने और संचालित करने के लिए आरबीआई के दिशा निर्देशों के खराब अनुपालन को दर्शाता है।

34 ₹47.20 करोड़ - ₹19 करोड़

35 दिसंबर 2012 में ₹200 करोड़, फरवरी 2013 में ₹100 करोड़ और अगस्त 2013 में ₹100 करोड़ का फसल ऋण

36 जाइंट लाइयब्लीटि ग्रुप (जेएलजी) एक उधार मॉडल है जो एक समूह बनाकर, आय सृजन गतिविधि के लिए ऋण लेने के लिए व्यक्तियों के एक समूह को सक्षम बनाता है

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		• ऋण के संवितरण के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार, ऋण का अंतरण किसानों/ जेएलजी के बचत खातों में होना था और खाते जेएंडके बैंक में खोले जाने थे, लेकिन यह ऋण जेएलजी के नेताओं के खातों में अंतरण कर दिया जो अन्य बैंकों में खुले थे। इस प्रकार ये खाते, बैंक के नियंत्रण से बाहर हो गऐ जो परिचालन स्तर पर खराब अनुपालन प्रक्रियाओं को दर्शाता है। • बैंक ने किसानों के अधीन भूमि और उनकी वित्तीय स्थिति का विवरण प्राप्त नहीं किया। ऐसे जेएलजी को ऋण के विस्तार की कोई विशेष नीति लागू नहीं थी। किसानों के केवाईसी विवरण प्राप्त नहीं किए गए थे और अलग-अलग जेएलजी में किसानों के नामों की नकल पाई गई थी ***(परिशिष्ट-4.1.3)***। • बैंक ने अपनी ऋण नीति के विचलन में, रिस्क स्कोर एप्लिकेशन के माध्यम से ₹5 करोड़ के प्रत्येक 80 जेएलजी खातों को रेट नहीं किया था और केवल कंपनी के कॉर्पोरेट गारंटी पर ऋण देना, कमजोर ऋण जोखिम नियंत्रण को दर्शाता है। • बैंक के हित को सुरक्षित रखने के लिए ठोस सुरक्षा प्राप्त न करने के साथ-साथ, फसली ऋणों की मंजूरी/ संवितरण में उचित कार्रवाई न करने के कारण, ₹639.42 करोड़[37] की संदिग्ध वसूली हुई।
3.	मेसर्स आरईआई एग्रो लिमिटेड	• बैंक ने संपार्श्विक प्रतिभूति, कंपनी की कॉर्पोरेट गारंटी और उत्तरदिनांकित चेकों के प्रति, ₹100 करोड़ रुपये की बिल डिस्क्काउंटिंग (बीडी) सुविधा को (मई 2011 में) मंजूरी दी। • कंपनी को पहचान प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं से बासमती धान की खरीद करनी थी और बैंक को इन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा, ड्रा किए गए बिलों को डिस्काउंट करना था। • जब कंपनी का चालू अनुपात (1.27), बैंक के न्यूनतम स्वीकार्य स्तर (जो 1.33 है) से कम था तब भी बीडी सुविधा का (अक्तूबर 2013 में) नवीकरण करना, कमजोर क्रेडिट जोखिम नियंत्रण को दर्शाता था। • सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, ₹15 करोड़ का तदर्थ बीडी को (जनवरी 2014 में) विस्तारित करना, इसके बावजूद कि मौजूदा सुविधा 90 दिनों से अधिक लंबित थी जो पहले ही एनपीए के रूप में प्रतिदायी हो गई थी, कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती है। • अतिदेय डिस्काउंट बिल्स को समायोजित करने में कंपनी विफल रही और खाते को एनपीए के रूप में (जून 2014 में) वर्गीकृत किया गया।

[37] ₹400 करोड़ का एनपीए और ₹239.42 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		• कंपनी द्वारा प्राप्त संपार्श्विक प्रतिभूति पर पहले ही बैंक द्वारा बैंक की अन्य शाखाओं से लिए गए ऋणों के लिए प्रभार किया गया था जो जून 2014 में एनपीए में बदल गए थे। प्रभारित संपत्तियां, जिनका मूल्य ₹149.82 करोड़ की बुक वैल्यू के प्रति, ₹305.38 करोड़ लगाया गया था और उनका (नवम्बर 2015/ मार्च 2016 में) अधिग्रहण ₹168 करोड़ पर निर्धारित किया गया था तथा उन्हें ₹60 करोड़ के आरक्षित मूल्य पर भी नहीं बेचा जा सका। • बैंक के वित्तीय हितों की सुरक्षा किए बिना, आपूर्तिकर्ता बिलों को डिस्काउंट करने के कारण, ₹172.45 करोड़[38] की संदिग्ध वसूली हुई।
4.	मैसर्स आंजनेय लाइफकेयर लिमिटेड	• कंपनी ने (सितंबर 2011 में) चार लाख प्रमोटर्स इक्विटी शेयरों की प्राथमिक प्रतिभूति और दूसरे प्रभार के रूप में, स्थायी परिसंपत्ति और उत्तरदिनांकित चेक पर संपार्श्विक प्रतिभूति के प्रति बैंक से ₹20 करोड़ का लघु अवधि ऋण (एसटीएल) लिया। • बैंक ने (दिसंबर 2011 में) आईएलसी/ एफएलसी की ₹15 करोड़ की स्वीकृति दी और अन्य बैंक से ₹10.66 करोड़ का मौजूदा आवधिक ऋण अधीन लिया। • कंपनी ने ₹20 करोड़ की एसटीएल की सर्विसिंग में चूक की और बैंक ने (नवंबर 2012 में) खाते का पुनर्गठन किया और इसका पुनर्भुगतान सितंबर 2012 से जून 2014 तक पुनर्निर्धारित किया गया। • सितंबर 2013 में ऋण को उप-मानक के रूप में निर्धारित किया गया। तथापि, बैंक ने बिना पर्याप्त सुरक्षा कवर सुनिश्चित किए, ₹8.71 करोड़ के आईएलसी और ₹18.38 करोड़ की एक बार पैकिंग क्रेडिट[39] (पीसी) को (दिसंबर 2013 में) मंजूरी दी जो एक कमजोर ऋण जोखिम नियंत्रण को दर्शाता है। • निर्यात शिपमेंट के लिए सुविधा का संवितरण नहीं किया गया और बैंक द्वारा वितरित पीसी सुविधा का उपयोग, कंपनी द्वारा एक अन्य फर्म के माध्यम से लेन-देन करके विभिन्न अन्य खातों (₹20 करोड़ का एसटीएल और ₹10.66 करोड़ का सावधि ऋण)[40] में अतिदेय राशि के ब्याज और किश्तों का उपयोग करने के लिए किया गया था, जो पश्च-संवितरण की अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

38 एनपीए ₹111.27 करोड़ और ₹61.18 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

39 पैकिंग क्रेडिट निर्यातकों को शिपमेंट से पहले माल खरीद को वित्त प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया ऋण है

40 जेएंडके बैंक लिमिटेड द्वारा अग्रिम

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		• कंपनी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रही और उसे (मार्च 2014 में) एनपीए घोषित कर दिया गया। • बैंक के हितों की सुरक्षा किए बिना, ऋण सुविधाओं की स्वीकृति/ संवितरण से ₹40.32 करोड़[41] की संदिग्ध वसूली हुई।
5.	मैसर्स पैराडाइज एवेन्यू, एक साझेदारी फर्म (फर्म) नरवाल बाला, जम्मू जो आवासीय टाउनशिप के निर्माण के लिए स्थापित थी	• बैंक[42] ने ₹177.68 करोड़ के चार सावधिऋण (टीएल-I: जनवरी 2012 में ₹74.27 करोड़; टीएल-II: मई 2014 में ₹68.91 करोड़; टीएल-III: जून 2015 में ₹20 करोड़ और टीएल-IV: फरवरी 2017 में ₹14.50 करोड़,) स्वीकृत किए जिसके प्रति ₹175.60 करोड़ का संवितरण किया गया था। • बैंक की ऋण नीति के अनुसार, साझेदारी फर्म के लिए ऋण अनावरण ₹50 करोड़ तक सीमित होना चाहिए और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने पर, असाधारण मामलों में उधारकर्ताओं को रियायतें देने पर मंडल विचार कर सकता है। तथापि, बैंक ने अपनी ऋण नीति के विचलन और मंडल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, ₹74.27 करोड़ की टीएल-1 का संवितरण किया। • संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त किए बिना ऋण को विस्तारित किया गया था, जिससे ऋण न चुकाने के मामले में होने वाले नुकसान के जोखिम को उजागर किया। स्वतंत्र बाह्य एजेंसी से डेब्ट पोर्टफोलियो की आवश्यक क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं की गई थी जिससे बैंक की ऋण नीति का विचलन हुआ। • बैंक ने मई 2014 में ₹68.91 करोड़ के टीएल-II के विस्तारण के लिए मंडल की स्वीकृति प्राप्त की। तथापि, इसने बीओडी को (मई 2014 में) इस बात से अवगत नहीं कराया कि यह फर्म अपेक्षित प्रोत्साहक के योगदान[43] को प्रभावित करने में विफल रही है। इसके अतिरिक्त, फर्म को (मार्च/ अप्रैल 2014 में) अध्यक्ष द्वारा, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए ₹6.59 करोड़, एस्क्रो खाते से आहरण की अनुमति दी गई थी, जिसे केवल आवधिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए नामित किया गया था। तथापि, अध्यक्ष की कार्रवाई को मई 2014 में मंडल द्वारा कार्योत्तर से स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। • बैंक ने 2:1 के बेंचमार्क के प्रति 2.75:1 के ऋण-इक्विटी अनुपात को (मई 2014 में) स्वीकार किया और अपनी क्रेडिट नीति के अनुसार, आवश्यक होने पर भी तिमाही आधार पर, फर्म के क्रेडिट

41 ₹40.96 करोड़ के बकाया के प्रति (मूल राशि: ₹27.96 करोड़ और अनपेक्षित ब्याज: ₹13 करोड़), प्रतिभूतियों का मूल्य ₹0.64 करोड़ था

42 बिजनेस यूनिट, न्यू यूनिवर्सिटी कैंपस, जम्मू

43 फरवरी 2014 तक बैंक द्वारा पूरी तरह से जारी किए गए ₹74.27 करोड़ के टर्म लोन के प्रति, प्रमोटर का योगदान ₹22.09 करोड़ होना चाहिए था, जबकि फर्म ने केवल ₹6.96 करोड़ का ही योगदान दिया

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		लेखापरीक्षा का संचालन नहीं किया। • बैंक ने बार बार, अक्टूबर 2014 से जून 2017 तक टर्म लोन के पुनर्भुगतान को परियोजना के कार्य क्षेत्र और आकार में बदलाव करते हुए ₹96.36 करोड़ से ₹209.90 करोड़ कर दिया। • मई 2017 तक, बैंक ने ₹128.79 करोड़[44] रुपये का संवितरण किया और फर्म को ₹46.72 करोड़ का मार्जिन निहित करना था, यानि कुल ₹175.51 करोड़ (ऋण जमा मार्जिन) की वित्तपोषण करनी थी। तथापि, (जनवरी 2018 में) इस परियोजना का मूल्य ₹118.16 करोड़[45] था, जिससे यह संकेत मिलता है कि फर्म द्वारा मार्जिन धन को नियोजित नहीं किया गया था। • चार्टर्ड इंजीनियरों और चार्टर्ड एकाउंटेंटों की रिपोर्टों के बीच अंतरों की अनदेखी की गई, जो यह इंगित करती है कि निगरानी अपर्याप्त थी। • फर्म ने कोई पुनर्भुगतान नहीं किया और खाते को सेवा देने में उसकी विफलता के कारण, लेखाओं को (दिसंबर 2017 में) एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया। • ₹156.47 करोड़ के बकाया मूलधन और ₹28.19 करोड़ के अनपेक्षित ब्याज के प्रति, इस खाते का निपटान ₹130 करोड़ में तय हुआ। • बैंक ने ₹26.47 करोड़ के मूलधन और ₹28.19 करोड़ के अनपेक्षित ब्याज का परित्याग किया।
6 (i)	मैसर्स कहवा स्क्वेयर प्राइवेट लिमिटेड	• बैंक[46] ने नियंत्रित वातावरण भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए, ₹42.76 करोड़ का सावधिऋण (अगस्त 2013 में) स्वीकृत किया और पूंजीगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ₹7.50 करोड़ की सीसी सीमा को मंजूरी दी। • मंजूरी की संवितरण शर्तों के अनुसार, संयंत्र के चालू होने के बाद ही सीसी को जारी किया जाना था। तथापि, बैंक ने संयंत्र के (नवंबर 2014 में) चालू होने से पहले ही सीसी सीमा के अंतर्गत (जुलाई 2014 और अक्टूबर 2014 में) ₹5.91 करोड़ जारी किए, जो परिचालन स्तर पर खराब अनुपालन परपंरा को दर्शाता है। • रेशम उत्पादों के व्यवसाय में लगी सहयोगी संस्था के लिए, मेसर्स केएसपीएल के सीसी खाते से, ₹3.02 करोड़ (मार्च 2016 में) आहरित किऐ गए। बैंक ने, उपलब्ध आहरण शक्ति से अधिक धनराशि भी जारी की जो अपर्याप्त मॉनीटरिंग को दर्शाती है।

44 निर्माण के दौरान ₹46.81 करोड़ के ब्याज को छोड़कर

45 भूमि की लागत सहित: ₹21.96 करोड़

46 बिजनेस यूनिट, एयर कार्गो, श्रीनगर

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		• निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित किए बिना, कंपनी के सीसी खाते से ₹2.30 करोड़[47] की नकद निकासी की अनुमति दी गई थी, और ₹2.45 करोड़[48] के नकद जमा भी सीसी खाते में स्वीकार किए गए थे। • कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए सहयोगी संस्थाओं[49] के लिए (दिसंबर 2015 में) संस्वीकृत ₹6 करोड़ की अस्थाई ओवरड्राफ्ट की राशि को मैसर्स केएसपीएल को भेज दिया गया जो परिचालन स्तर पर खाते की निगरानी की कमी का संकेत है। • कंपनी ने ब्याज/ किस्त की अदायगी में चूक की, जिसके परिणामस्वरूप, बैंक ने (जून 2016 में) खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया। • मैसर्स केएसपीएल द्वारा कार्यान्वित भंडारण सुविधा परियोजना, राष्ट्रीय बागवानी मंडल (एनएचबी) की पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत पात्र थी। • योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, ₹16.50 करोड़ की सब्सिडी एनएचबी द्वारा बैंक को जारी की गई थी, जिसे अलग 'सब्सिडी रिजर्व फंड' में रखा जाना था और उधारकर्ता के टीएल खाते में सब्सिडी राशि को केवल अंतिम किस्त की वसूली के तौर पर समायोजित किया जाना था। तथापि, बैंक ने (मार्च 2016 में ₹चार करोड़ और मार्च 2017 में ₹12.50 करोड़) एनएचबी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में मैसर्स केएसपीएल के आवधिक ऋण को समायोजित करने के लिए सब्सिडी राशि हस्तांतरित की। • 31 मार्च 2017 तक, मैसर्स केएसपीएल के प्रति कुल बकाया राशि, ₹12.50 करोड़ की सब्सिडी के समायोजन से पहले, ₹58.61 करोड़[50] थी। • बैंक ने, कंपनी की परियोजना को प्राप्त करने के लिए मैसर्स गो फ्रेश के पक्ष में ₹40.10 करोड़ के सावधि ऋण को (31 मार्च 2017 में) संस्वीकृत किया। • मंजूरी की शर्तों के अनुसार, मैसर्स गो फ्रेश के पक्ष में संस्वीकृत की गई ऋण राशि को सीधे मैसर्स केएसपीएल के मौजूदा सावधि ऋण खाते में जमा किया जाना था। मैसर्स केएसपीएल के लेखाओं (टीएल - ₹25.64 करोड़ और सीसी - ₹10.30 करोड़) को जमा करके और मैसर्स गो फ्रेश के बराबर राशि डेबिट करके, मैसर्स गो

47 28 जुलाई 2014: ₹0.80 करोड़; 1 सितंबर 2014: ₹1.50 करोड़

48 1 सितंबर 2014: ₹2 करोड़; 29 जून 2015: ₹0.45 करोड़

49 श्री आदिल शोकत, श्री अब्दुल अजीज और मेसर्स होटल ग्रैंड महल

50 टीएल: ₹46.62 करोड़ (₹40.04 करोड़ का एनपीए और ₹6.58 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज) और सीसी: ₹11.99 करोड़ (₹10.30 करोड़ का एनपीए और ₹1.69 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज)

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		फ्रेश को ऋण राशि को एक लेखा समायोजन के माध्यम से वितरित किया गया था। • मैसर्स केएसपीएल की ₹10.30 करोड़ से सीसी सीमा का समायोजन सावधि ऋण की मंजूरी की शर्तों के उल्लंघन में था। • मैसर्स केएसपीएल की क्रेडिट सुविधाओं के समायोजन की प्रक्रिया में, बैंक ने मैसर्स केएसपीएल के टीएल खाते में ₹6.58 करोड़ और सीसी खाते में ₹1.69 करोड़ का ब्याज माफ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹8.27 करोड़ का नुकसान हुआ। • मैसर्स गो फ्रेश का खाता ₹39.56 करोड़ की बकाया राशि के साथ अप्रैल 2019 में एनपीए हो गया।
6 (ii)	मैसर्स केहवा व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड	• बैंक ने राज्य में बस सेवा स्थापित करने और उपलब्ध कराने के लिए मैसर्स केहवा व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड (केडबल्यूपीएल) के पक्ष में ₹30.89 करोड़ का टीएल (फरवरी 2013 में) संस्वीकृत किया। • फरवरी 2015 में, बैंक ने मौजूदा टीएल का पुनर्गठन किया और 2014 के 'रिहबीलेशन पैकेज' के अंतर्गत, मैसर्स केडबल्यूपीएल के पक्ष में ₹1.76 करोड़ के नए टीएल को भी मंजूरी दी। • कंपनी द्वारा क्रेडिट सुविधाओं की किस्तों की गैर-सर्विसिंग के कारण, बैंक ने मार्च 2016[51] में एनपीए के रूप में खातों को वर्गीकृत किया। • बैंक ने किसी भी बाह्य एजेंसी से कंपनी के डेबिट पोर्टफोलियो की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं की, जिससे उसकी क्रेडिट नीति कमजोर क्रेडिट जोखिम नियंत्रण को दर्शाती है। • बैंक ने दुकानों के पट्टे विलेख नहीं लिए (जो क्रेडिट सुविधा के प्रति प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में रखी गई थी) जिसके परिणामस्वरूप, संपत्ति पर प्रभार का सृजन नहीं हुआ। • प्रवर्तकों द्वारा मार्जिन राशि का उपयोग सुनिश्चित किए बिना, ऋण राशि का संवितरण किया गया था। अप्रैल और जून 2013 के बीच, कंपनी के टीएल से चालू खाते में ₹4.68 करोड़ की निधि का स्थानांतरित किया, जिसके परिणामस्वरूप निधि का परिवर्तन हुआ, जो परिचालन स्तर पर खराब अनुपालन प्रक्रियाँ और अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।
6 (iii)	केहवा ग्रुप ऑफ कंपनीज	• मैसर्स केएसपीएल और मैसर्स केडब्ल्यूपीएल द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के अतिरिक्त, केहवा ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसे, मैसर्स केहवा एक्सप्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (केएक्सएसपीएल), मैसर्स कश्मीर सनसिल्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (केएसआईपीएल), मैसर्स सिल्क एंटरप्राइजेज, मैसर्स केहवा फूड एंड रिटेल, मैसर्स

[51] प्रभावी तिथि 30 सितंबर 2014

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		कश्मीर थ्रेड्स एंड कलर मिल्स और मैसर्स बैंगलोर सिल्क हाउस भी बैंक से विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। • केहवा ग्रुप द्वारा ऋण सुविधाओं की किस्तों की गैर-सर्विसिंग के कारण, बैंक ने मार्च 2016[52] में एनपीए के रूप में खातों को वर्गीकृत किया। • बैंक ने वसूली के लिए समूह के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर नहीं किया, इस प्रकार बैंक ने वसूली नीति का विचलन किया। • बैंक ने ₹159.84 करोड़[53] की बकाया राशि के प्रति, केहवा ग्रुप के पक्ष में (मार्च 2017 में) ₹105 करोड़ का एक मुश्त निपटान (ओटीएस) मंजूर किया। ओटीएस के अनुसार, समूह को मार्च 2017 तक ₹50 करोड़ और जून 2017 तक शेष ₹55 करोड़ जमा करना आवश्यक था। • समूह ने सहमति शर्तों के अनुसार निपटान राशि का भुगतान नहीं किया और बैंक द्वारा योजना को (अक्टूबर 2017 में) समाप्त कर दिया गया। इस बीच, समूह ने अपने विभिन्न ऋण खातों (एनपीए) में ₹11 करोड़ (मार्च 2019 में) जमा किए, जिसमें से ₹दो करोड़ की राशि नकद में जमा की गई थी। • संवितरण की शर्तों का, पूर्व-मंजूरी पर निगरानी का और धन के अंतिम उपयोग की सुनिश्चितता का पालन न करने के परिणामस्वरूप, ₹8.27 करोड़ का नुकसान हुआ और केहवा समूह से ₹124.06 करोड़[54] और मैसर्स गो फ्रेश से ₹39.56 करोड़[55] की वसूली संदिग्ध हो गई। बैंक ने, कंपनी को ₹16.50 करोड़ की सब्सिडी भी अनियमित रूप से जारी की।
7.	मैसर्स हल्दिया कोक एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	• बैंक ने (मार्च 2011 में) ₹12 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट (सीसी) और ₹48 करोड़ की आईएलसी/ एफएलसी की मंजूरी दी और नए सिरे से सुविधाओं का (फरवरी 2013 और जून 2014 में) नवीकरण किया। • बैंक ने बिना संपार्श्विक प्रतिभूति लिए, वर्तमान संपत्तियों, स्टोर्स और स्टॉक्स के प्राथमिक सुरक्षा के प्रति, प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से सुविधाएं विस्तारित की। • सीआरआईएसआईएल ने (मार्च 2012 और अप्रैल 2013 में) कंपनी के डेबिट पोर्टफोलियो के लिए मध्यम से उच्च जोखिम का संकेत

52 एनपीए की प्रभावी तिथि 30 सितंबर 2014/ मार्च 2015 के रूप में ली गई थी

53 फरवरी 2017 तक ₹138.79 करोड़ का एनपीए और ₹21.05 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज (मैसर्स गो फ्रेश द्वारा मेसर्स केएसपीएल के खातों को ग्रहण करने से पहले)

54 जून 2019 तक ₹71.64 करोड़ का बकाया एनपीए और ₹52.42 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

55 ₹39.18 करोड़ का बकाया एनपीए और ₹0.38 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		दिया। बैंक ने सीआरआईएसआईएल रेटिंग्स की अनदेखी करके जिसने क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया में कंपनी की कमियों को उजागर किया था फिर भी (फरवरी 2013 और जून 2014 में) ऋण सुविधाओं का नवीकरण किया। • आहरण शक्तियों से अधिक निधि जारी की गई थी और अनिवार्य ऋण लेखापरीक्षा नहीं किया गया था जो अपर्याप्त निगरानी तंत्र को इंगित करता है। • गैर-सर्विसिंग के कारण, कंपनी का खाता ₹84.77 करोड़[56] की बकाया राशि के सहित (जुलाई 2016 में) एनपीए घोषित कर दिया गया। • कंपनी ने इंसोल्वेंसी और बैंकरप्शि कोड के अंतर्गत, समाधान के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और जिससे बैंक को (अप्रैल 2018 में) ₹21.39 करोड़ मिले। • पर्याप्त प्रतिभूतियों को प्राप्त किए बिना और कमजोर पश्च-मंजूरी निगरानी के कारण, बैंक को ₹63.38 करोड़[57] का नुकसान हुआ
8.	मैसर्स एजीएल टेलिवेन्चर्स और मैसर्स ट्रंक एंड रूट्स	• बैंक ने मैसर्स एजीएल और मैसर्स ट्रंक एवं रूट्स को ₹57.40 करोड़ की संचयी ऋण सुविधाएं (दिसंबर 2010 से नवंबर 2013 में) संस्वीकृत की। • आवश्यक मार्जिन राशि की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना, निधि जारी की गई थी। अपने उत्पादों के खरीदारों और फर्मों के साथ हुए एमओयू प्राप्त नहीं किए। • आहरण शक्तियों से अधिक नकद ऋण सीमा के अंतर्गत कोष जारी किए गए थे जो गलत तरीके से तैयार किए गए थे। नियमित ऋण और स्टॉक की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। फर्मों द्वारा निधि का परिवर्तन किया गया जो खराब अनुपालन प्रक्रिया और अपर्याप्त निगरानी तंत्र का संकेत देता है। • दोनों फर्मों द्वारा सुविधाओं का भुगतान नहीं किया गया और एनपीए के रूप में (दिसंबर 2014 और जून 2015 में) वर्गीकृत किया गया था। • बैंक ने संपत्तियों में से, ₹23 करोड़ की एक संपत्ति पर स्वयं का (दिसंबर 2017 में) कब्ज़ा कर लिया। • उपरोक्त राशि को समायोजित करने के बाद दोनों फर्मों के खिलाफ बकाया राशि ₹51.09 करोड़[58] थी।

[56] ₹53.54 करोड़ बकाया एनपीए का शेष (सीसी: ₹12 करोड़; आईएलसी/ एफ़एलसी: ₹41.54 करोड़) और ₹31.23 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

[57] ₹32.15 करोड़ का मूलधन और ₹31.23 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

[58] ₹24.92 करोड़ का एनपीए और ₹26.17 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		• संवितरण शर्तों, अनुमोदन के बाद की निगरानी और निधियों के उपयोग की सुनिश्चितता का पालन न करने पर, ₹30.53[59] करोड़ की संदिग्ध वसूली हुई।
9.	मैसर्स क्रेन सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड	• बैंक ने मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं[60] के पुनर्गठन और ₹25 करोड़ और ₹19.58 करोड़ के दो कार्यशील पूंजी सावधि ऋण (डबल्यूसीटीएल) को (सितंबर 2010 में) मंजूरी दी। ₹5.58 करोड़ का सावधिऋण (टीएल) और ₹4.55 करोड़ का निधिबद्ध ब्याज सावधिऋण (एफआईटीएल)[61] भी मंजूर किया गया। • ऋण सुविधाओं को प्रवर्तकों की अचल संपत्तियों और व्यक्तिगत गारंटी के अतिरिक्त अन्य देनदारों के साथ समरूप आधार पर कंपनी के स्टॉक, बुक डेबिट और स्थिर परिसम्पत्ति के दृष्टिबध के माध्यम से सुरक्षित किया गया था। • पुनर्निर्मित ऋण, त्रैमासिक किश्तों में अक्टूबर 2011 से प्रतिदेय थे। • बैंक ने ₹32.11 करोड़ की गिरवी प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से, जून 2014 तक किस्तों की वसूली की। • बैंक ने इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी ने मौजूदा सुविधाओं की पुनर्भुगतान अनुसूची का पालन नहीं किया, ₹10.46 करोड़ के टेम्परारी ओवरड्राफ्ट (टीओडी) को बिना किसी अतिरिक्त प्रतिभूति कवर के साथ समूह की फर्मों के पक्ष में मंजूरी दी। • टीओडी को सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना जारी किया गया था, जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है। • टीओडी से नकद में धन के आहरण की अनुमति देना खराब निगरानी को दर्शाते था। • ऋण चुकाने में असमर्थता के परिणामस्वरूप, ऋण खाते की ग्रेडिंग को (सितम्बर 2014 में) कम किया गया। • कंपनी ने एक मुश्त निपटान के लिए बैंक से (अगस्त 2017 में) संपर्क किया और उसे ₹23 करोड़ की (सितंबर 2017 में) मंजूरी दे दी। • ₹41.60 करोड़[62] की (जुलाई 2017 में) बकाया राशि के प्रति, बैंक ने ₹3.92 करोड़ के मूलधन और ₹14.68 करोड़ के अनपेक्षित ब्याज का परित्याग करके, ₹23 करोड़ में खाते को चुकता किया।

59 ₹51.09 करोड़ - ₹20.56 करोड़ (संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य)

60 नकद ऋण, सावधि और पोस्ट शिपमेंट की सीमा

61 मौजूदा ऋण के ब्याज घटक के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता को दिया गया विस्तारित ऋण

62 ₹26.92 करोड़ का एनपीए और ₹14.68 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में चर्चा की गई है, मंजूर आदेशों, ऋण नीतियों, आरबीआई निर्देशों आदि के नियमों और शर्तों का विचलन देखा गया था। मंजूरी की शर्तों के अनुपालन के बिना, ऋणों के वितरण की प्रमुख खामियां देखी गई थी, न्यूनतम स्वीकार्य अनुपात के संबंध में बैंक की ऋण नीति से विचलन, बैंक की ऋण नीति के अनुसार गिरवी संपत्तियों के नए मूल्यांकन का संचालन न करना, आरबीआई के विवेकपूर्ण मानकों के अनुरूप, एनपीए के रूप में खातों का गैर-वर्गीकरण, किसी भी बाहरी एजेंसी से उधारकर्ता के डेबिट पोर्टफोलियो की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त न करना जैसा कि बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत आवश्यक है, नियमित अंतराल पर क्रेडिट लेखापरीक्षा और स्टॉक लेखापरीक्षा का संचालन न करना, उपलब्ध आहरण शक्तियों की अधिकता, में धनराशि जारी करना, संस्वीकृत आदेशों में निर्दिष्ट के अलावा प्रयोजन के लिए निधियों का विपथन में, गिरवी रखी गई संपत्तियों पर प्रभार का सृजन नहीं करना, आहरण शक्तियों के रजिस्टर का गैर-रखरखाव और प्रवर्तक द्वारा मिलान योगदान सुनिश्चित किए बिना संवितरण करना।

हमने यह भी देखा कि मंडल की लेखापरीक्षा समिति ने तिमाही आधार पर बैंक के शीर्ष एनपीए की समीक्षा करते हुए इस रिपोर्ट में उजागर किए गए एनपीए मामलों की भी समीक्षा की थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा कमेटी के सामने रखे गए कार्यसूचियों के नोटों का विश्लेषण और इन खातों में पाई गई खामियों को उजागर नहीं किया गया, जैसे संवितरण शर्तों का अननुपालन, खराब निगरानी, बैंक की ऋण नीति से विचलन, एनपीए के रूप में खातों का गैर-वर्गीकरण, ऋण लेखापरीक्षा/ स्टॉक लेखापरीक्षा गैर-संचालन, धनराशि का अनियमित निर्गमन जारी/ विचलन, गिरवी संपत्तियों पर प्रभार का सृजन नहीं करना, पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त न करना आदि। विश्लेषण की गई जानकारी के अभाव में, लेखापरीक्षा समिति इन खातों की ठीक से समीक्षा नहीं कर पाई और बैंक की ऋण प्रक्रिया में कमजोरियों को दूर करने के लिए निर्देश जारी करने के अवसर का उपयोग नहीं कर सकी क्योंकि लेखापरीक्षा समिति की प्रमुख भूमिकाओं में से एक कंपनी की आतंरिक नियंत्रक प्रणाली की निगरानी करना है।

लेखापरीक्षा अवलोकन जहां बैंक द्वारा किए गए अग्रिमों में रिटर्न नहीं मिला है और वसूली संदिग्ध है, भारत के सी एंड एजी की रिपोर्ट में पहले के वर्षों[63] में भी छापा गया था। हालाँकि, बैंक अपनी ऋण प्रक्रिया की कमजोरियों को दूर करने में विफल रहा जैसा कि उपरोक्त चर्चा किए गए एनपीए मामलों से स्पष्ट था।

---

63 जम्मू और कश्मीर सरकार की वर्ष 2018 की रिपोर्ट सं. 1 में पैरा सं. 5.2; 2015 की रिपोर्ट सं. 3 में पैरा सं. 5.1; 2016 की रिपोर्ट सं. 2 में पैरा 3.1

4.7.6 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली

जैसे-जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिक व्यापक होती जा रही है, व्यावसायिक परिचालनों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। आईटी प्रणालियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के क्रम में, स्वचालित आंतरिक नियंत्रणों का प्रभावी डिजाइन और संचालन भी अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के माध्यम से अपने कार्यों को स्वचालित करने के लिए, बैंक ने वर्ष 2003 में एप्लिकेशन 'फिनेकल' को अपनाया। बैंक की आईटी प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कमियों को देखा गया:

i) पैन की गलत लिंकिंग/ नॉन-लिंकिंग

नो योअर कस्टमर (केवाईसी) मानदंडों और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मानकों के बारे में बैंक की नीति बताती है कि बिजनेस यूनिट को बैंक के इंट्रनेट के माध्यम से, सक्षम आयकर वेब पोर्टल पर उसी को प्रमाणित करके ग्राहक द्वारा प्रस्तुत परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड की वास्तविकता को सत्यापित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने (नवंबर 2016 में) सभी बैंकों को सलाह दी कि वे नकद में ₹50,000 से अधिक की जमा राशि स्वीकार करते हुए पैन का उद्धरण सुनिश्चित करें।

पैन आयकर विभाग द्वारा जारी दस अंकों का एक विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। पैन का चौथा अंक पैन धारक[64] की स्थिति को दर्शाता है। डेटा विश्लेषण से पता चला है कि 3,944 खातों के मामले में, फर्जी पैन दर्ज किए गए थे। इसके अतिरिक्त, खातों[65] की नमूना-जांच से पता चला कि ₹50,000 की सीमा से अधिक की नकद जमा राशि को ऐसे 21 खातों के मामले में स्वीकार किया गया था, जो यह दर्शाता है कि फर्जी पैन से जुड़े खातों में उच्च नकदी जमा का खण्डन करने के लिए, तंत्र नहीं था। हमने यह भी देखा कि फिनेकल में प्रवेश करते समय, पैन के प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए बैंक की आईटी प्रणाली में कोई अन्तर्निहित विशेषता नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक पहचान संख्याओं (सीआईडी) के साथ पैन का गैर-लिंकिंग/ गलत लिंकिंग हुआ।

---

64 'पी' व्यक्ति के लिए है, 'सी' कंपनी के लिए है, 'एच' का अर्थ हिंदू अविभाजित परिवार से है, 'ए' का अर्थ है व्यक्तियों का संघ, 'बी' का अर्थ है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, 'जी' का अर्थ है सरकारी एजेंसी, 'जे' का अर्थ है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, 'एल' का मतलब है लोकल अथॉरिटी, 'एफ' का मतलब है फर्म/ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और 'टी' का मतलब है ट्रस्ट

65 3,944 खातों में से 138 खातों की नमूना जाँच की गई

निम्नलिखित कमियों को भी देखा गया:

- 36 सीआईडी[66] के एक नमूना जाँच से पता चला कि तीन पंजीकृत कंपनियों[67] के सीआईडी के मामले में व्यक्तियों के पैन लिंक किए गए थे। इसके अतिरिक्त, छह पंजीकृत कंपनियों[68] के सीआईडी के मामले में पैन को लिंक नहीं किया गया था।
- छह सीआईडी में से जहां पैन लिंक नहीं किए गए थे, अक्टूबर 2017 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान मैसर्स ग्रीन लैंड सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में ₹2.50 लाख और ₹15 लाख के बीच उच्च मूल्य नकद लेनदेन (क्रेडिट) की अनुमति दी गई थी जिससे नियामक की सलाह का उल्लंघन हो रहा था।
- नवंबर 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, दो ग्राहकों[69] के खातों में ₹1 लाख और ₹5.82 लाख के बीच नकद लेनदेन (क्रेडिट) की अनुमति दी गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि पैन को सीआईडी के साथ चिन्हित नहीं किया गया था।
- ब्याज माफी योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले 43 सीआईडी के उधारकर्ताओं के नमूना-जाँच ने यह खुलासा किया कि निजी लिमिटेड कंपनियों के तौर पर पंजीकृत पांच ग्राहकों[70] के मामले में, व्यक्तिगत/ फर्मों के पैन जुड़े हुए थे। इन पांच ग्राहकों में से, मैसर्स केहवा एक्सप्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के चालू जमा खाते में ₹37 लाख से ₹50 लाख के बीच मार्च/ अप्रैल 2019 में नकद जमा किए गए थे।
- दो सीआईडी[71] के मामलों में, फर्जी पैन (चौथे वर्ण के साथ 'डी' के रूप में) जुड़े हुए थे। इन दोनों ग्राहकों अप्रैल/ मई 2017 के दौरान प्रत्येक को ₹10 लाख के उपभोग ऋण अग्रित किए गए थे।

पैन को न जोड़ने या गलत तरीके से जोड़ने पर व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा कर चोरी हो सकती है क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए सभी वित्तीय लेनदेन पर नज़र नहीं रखी जा सकी। इसके अतिरिक्त, पैन विवरण प्राप्त

66 पंजीकृत कंपनियों के एनपीए मामलों से संबंधित

67 सीआईडी-002762993 (मैसर्स मीरा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड), 006167698 (मैसर्स जम्मू केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड) और 001962191 (मैसर्स सुल्तान एग्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड)

68 सीआईडी-003169820 (मैसर्स एस्ट्रा एशिया थेराप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड), 003169831 (मैसर्स टेनवेल टेनरीज प्राइवेट लिमिटेड), 042916165 (मैसर्स ग्रीन लैंड सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड), 004139797 (मैसर्स समश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड), 000732052 (मैसर्स टेनवेल टैनरीज प्राइवेट लिमिटेड) और 001893604 (मैसर्स बाबा अनमोल फ़ूड प्राइवेट लिमिटेड)

69 सीआईडी-011425809 (मैसर्स ड्रीम ट्रैवल) और 003816346 (श्री मोहम्मद रमजान डार)

70 मेसर्स शुहुल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स हैलिकॉन बिल्डर्स डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स हिमालयन रोलिंग स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स केहवा एक्सप्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स शुहुल रोलर फ्लौर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

71 सीआईडी-013511049 (श्री अमित वांचू) और 013635494 (श्री रमेश कौल)

किए बिना ₹50,000 से अधिक की जमाओं की स्वीकृति ने आरबीआई के नवंबर 2016 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) उत्तर दिया कि अधिकांश खाते पैन/ फॉर्म 60 के साथ जोडे गए थे। हालाँकि, सरकारी कार्यालयों, छोटे और अन्य खातों को छोड़कर वे खाते जो पैन/ फॉर्म 60 के साथ नहीं जोड़े गए थे उन्हें सेंट्रली फ़्रोजन कर दिया था। इसके अतिरिक्त, एक ग्राहक के पैन की प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए एक अलग एप्लिकेशन जो पैन/ टैन को सत्यापित करता है, उसे व्यावसायिक इकाइयों के लिए उपलब्ध कराया गया है। फर्जी पैन के संबंध में, प्रबंधन ने कहा कि खातों को ठीक किया जा रहा है।

हालाँकि, बैंक की आईटी प्रणाली में अन्तर्निहित विशेषता नहीं थी, जिससे फिनेकल में प्रवेश करते समय पैन का प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली में फर्जी पैन डाले गए और गलत पैन को सीआईडी से जोड़ा गया था।

ii) पीएमजेडीवाई के अंतर्गत लघु खातों में उच्च मूल्य के लेन-देन

आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति (अगस्त 2014 में) जारी की जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि जिन व्यक्तियों के पास 'आधिकारिक रूप से वैध' दस्तावेज नहीं हैं, वे प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत, बैंकों में 'लघु' खाते खोल सकते हैं। एक 'लघु खाता' एक स्व-सत्यापित तस्वीर के आधार पर खोला जा सकता है और बैंक के एक अधिकारी की उपस्थिति में उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नियामक ने स्पष्ट किया कि ऐसे खातों में कुल क्रेडिट, एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि इन छोटे खातों में कोई रोक नहीं लगाई गई थी और उच्च मूल्य के लेनदेन की अनुमति दी गई थी। 2,271 जन धन खातों में, मार्च 2018 और मार्च 2019 के महीनों के दौरान 2,538 उच्च मूल्य क्रेडिट लेनदेन ₹1 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक देखे गए, जिससे आरबीआईके दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) उत्तर दिया कि पीएमजेडीवाई खातों के मामले में इस तरह के खातों में उच्च मूल्य के लेन-देन को रोकने के लिए प्रणाली में जांच की पर्याप्त रोकथाम की गई थी। तथापि, पूर्ण केवाईसी आवश्यकताओं को पूरा करने पर, लेन-देन की सीमाएं ऐसे पीएमजेडीवाई खातों पर लागू नहीं होंगी, जैसा कि नियामक द्वारा अनुमति दी गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 397 पीएमजेडीवाई खातों में, उच्च मूल्य लेनदेन देखे गए थे जहां पूर्ण केवाईसी जून 2019 तक लंबित थी।

iii) केवाईसी लंबित लघु खातों को बंद नहीं करना

आरबीआई ने (अगस्त 2014 में) स्पष्ट किया कि 'लघु खाते' सामान्य रूप से बारह महीने की अवधि के लिए वैध होंगे। ऐसे खातों को बारह और महीनों की अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, यदि खाताधारक यह दिखाने के लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है कि उसने लघु खाता खोलने के बारह महीने के भीतर आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) में से किसी एक के लिए आवेदन किया है।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बैंक ने 1,64,816 लघु खातों में परिचालन की अनुमति दी जहां केवाईसी दो साल से अधिक समय से लंबित थी, क्योंकि बैंक की आईटी प्रणाली को इन खातों में परिचालन को निष्क्रिय या बंद करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया था। आंकड़ों के आयु-वार विश्लेषण से पता चला है कि 1,64,816 लघु खातों में से, 1,15,428 खातों में केवाईसी चार साल से अधिक समय से लंबित थी।

लघु खातों का बंद न होना, जहां केवाईसी दो साल से अधिक समय से लंबित है, जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक तत्वों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने के जोखिम के साथ-साथ नियामक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) उत्तर दिया कि अधिकांश लघु खाते, सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों और समाज के निम्न आर्थिक स्तर से संबंधित उपभोक्ताओं से जुड़े है।

यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि ऊपर जिन मामलों को उजागर किया गया था वे परिचालन लघु खाते थे जहां केवाईसी दो साल से अधिक समय से लंबित थी।

iv) स्विफ्ट संबंधित नियंत्रणों का गैर-सुदृढ़ीकरण

आरबीआई ने (फरवरी 2018 में) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समय-बद्ध तरीके में स्विफ्ट[72] से संबंधित परिचालन नियंत्रणों को कार्यान्वित करने और मजबूत करने के लिए कहा। रिकॉर्ड्स से पता चला कि बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि सीबीएस[73] में लेन-देन में प्रवेश/ पारित/ अधिकृत करने वाले उपयोगकर्ता, स्विफ्ट में काम करने वाले लोगों से अलग हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक यह सुनिश्चित

72 वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए सोसायटी

73 कोर बैंकिंग सेवा

करने में विफल रहा कि क्या स्विफ्ट से उत्पन्न लॉग को या तो आंतरिक लेखापरीक्षा या समवर्ती लेखापरीक्षा द्वारा दैनिक रूप से वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेशों के लिए पूरी तरह से मेल मिलाप किया गया था। चूंकि बैंक, नियामक द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर स्विफ्ट से संबंधित नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहा, इसलिए नियामक द्वारा बैंक पर (फरवरी 2019 में) ₹दो करोड़ का जुर्माना लगाया गया।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) उत्तर दिया कि आरबीआई निर्देश का अनुपालन किया गया है क्योंकि स्विफ्ट के साथ सीबीएस का एकीकरण पूरा हो गया है और स्विफ्ट संदेश अपने आप ही सीबीएस (फिनेकल) से उत्पन्न हो रहे हैं।

हालाँकि, बैंक नियामक द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्देशों का पालन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप उसे ₹दो करोड़ के जुर्माने का भुगतान करना पड़ा था।

v) फिनेकल सिस्टम में जन्म तिथि को दर्ज करना

ग्राहक के प्रोफ़ाइल के हिस्से के रूप में जन्म तिथि, बैंक को बैंक खाता खोलने के लिए कानूनी उम्र के संभावित ग्राहक की पहचान करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त, जब नाबालिग प्रौढ़ता की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसे खाता संचालित करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना होता है। जन्म की तिथि भी बैंक को वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करने में मदद करती है क्योंकि खाताधारक की आयु तक पहुंचने के बाद, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है।

डेटा विश्लेषण से पता चला है कि 14,51,988 ग्राहक आईडी (सीआईडी)[74] के मामले में, 'जन्म की तिथि' फिनेकल प्रणाली में दर्ज नहीं की गई थी, जिसके अभाव में, ग्राहक की आयु का पता नहीं लगाया जा सका और सही ब्याज दर की प्रयोज्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

ग्राहक की पहचान में 'जन्म की तिथि' के महत्व को ध्यान में रखते हुए, जन्म तिथि को भरना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

vi) स्कैन किए गए हस्ताक्षरों को अपलोडिंग न करना

बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय ने (जून 2017 में) सभी परिचालन स्तरों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी कि बैंक की पात्र योजनाओं में नए ग्राहक खाते खोलने पर हस्ताक्षर को स्कैन और प्रणाली में तुरंत अपलोड किया जाए और यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी लंबित विरासत खातों में हस्ताक्षर की स्कैनिंग

[74] 1,17,97,142 सीआईडी में से

युद्धस्तर पर की जाए ताकि पूरी प्रक्रियाँ कम से कम संभव समय में पूरी की जा सके।

डेटा विश्लेषण से पता चला है कि 17,85,455 खातों के मामले में स्कैन किए गए हस्ताक्षर प्रणाली में अपलोड नहीं किए गए थे। इस प्रकार, इन खातों के संबंध में आईटी प्रणाली के माध्यम से हस्ताक्षर का तत्काल सत्यापन संभव नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक को विशेषकर अंतर-शाखा लेनदेन को संभालने की असुविधा हुई।

हमने आगे देखा कि इन खातों में से, बैंक ने 22,197 खातों के मामले में चेक बुक जारी की थी, जिससे बैंक ने अपने-आप को धोखाधड़ी के जोखिम के प्रति उजागर किया।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि हस्ताक्षर की स्कैनिंग और अपलोडिंग का कार्य युद्धस्तर पर किया गया है।

vii) एक ग्राहक को बहुल ग्राहक पहचान संख्या आवंटित की गई

वित्तीय संव्यवहारों की बढ़ती हुई जटिलता और परिमाणता ने यह आवश्यक बनाया कि ग्राहकों की एक बैंक के भीतर बहुल पहचान न हो। आरबीआई ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्येक ग्राहक के लिए एक विशिष्ट पहचान कोड शुरू करने की (जून 2012 में) सलाह दी, जो बैंकों को ग्राहकों की पहचान करने, उपलब्ध सुविधाओं को ट्रैक करने में मदद, एक समग्र तरीके से वित्तीय लेनदेन की निगरानी करने और बैंकों को ग्राहकों की प्रोफाइलिंग के जोखिम को बेहतर तरीके से अपनाने में सक्षम बनानें, इसके अतिरिक्त, ग्राहकों के लिए बैंकिंग कार्यों को सुचारू बनाने में मदद करेगा।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक ग्राहक को बहुल ग्राहक पहचान संख्या (सीआईडी) आवंटित किए गए हैं। डेटा विश्लेषण से पता चला कि आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) के आधार पर पहचाने गए 9,209 ग्राहकों को दो और 172 सीआईडी के बीच बहुल सीआईडी आवंटित किए गए थे।

डेटाबेस को अविश्वसनीय प्रदान करने के अतिरिक्त, इसने विशिष्ट ग्राहक पहचान बनाने के उद्देश्य को नाकाम कर दिया।

बैंक ने (अगस्त 2019 में) कहा कि वह संबंधित व्यावसायिक इकाइयों के साथ मामलों का अनुसरण कर रहा है।

viii) वाहन ऋण के मामले में आरसी के विवरणों को न पकडना

पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) प्राप्त करने के जुड़वां उद्देश्यों को पूरा करने के क्रम में, अर्थात, बैंक वित्त से वाहन की खरीद और बैंक को इसके हाइपोथिकेशन के प्रमाण में, बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय ने (जनवरी 2009 में) सलाह दी कि सभी व्यावसायिक इकाइयाँ, अपने संवितरण के तुरंत बाद सभी वाहन ऋणों में आरसी की प्रतियां हमेशा प्राप्त करेगी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक की आईटी प्रणाली वाहन ऋण[75] के मामले में आरसी के विवरण का पता नही लगा पर रही थी, जिसके अभाव में, बैंक प्रबंधन व्यवसाय इकाइयों पर प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से नियंत्रण का प्रयोग नहीं कर सकती थी ताकि उनके द्वारा आर सी प्राप्त किया जा सके।

ix) वाहन ऋणों के मामलों में बीमा का विवरण

बैंक के हित को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, वाहन ऋण के मामले में बीमा कवर की प्रति, उधारकर्ताओं से प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त, बैंक के निगम कार्यालय ने सभी व्यापारिक इकाइयों को यह सुनिश्चित करने के लिए (जनवरी 2019 में) सलाह दी कि उनके द्वारा वित्तपोषित वाहनों को बैंक के हितों की सुरक्षा के लिए वित्त के दौरान वाहन का बीमा किया हुआ जाना चाहिए।

हालाँकि, डेटा विश्लेषण से पता चला है कि बैंक की आईटी प्रणाली में फ़ील्ड 'पॉलिसी-एएमटी' में 1,464 वाहन ऋण खातों को नहीं भरा गया था। इसके अतिरिक्त, '0' (28 मामले), '1' (4,551 मामले), '2 से 100' (173 मामले) और '100000000000000' (215 मामले) जैसे फर्जी डेटा डेटाबेस के 'पॉलिसी-एएमटी' क्षेत्र में दर्ज किए गए थे, जिसने डेटाबेस को अविश्वसनीय बना दिया।

x) फिनेकल प्रणाली में प्रतिभूतियों के मूल्य को दर्ज न करना

फिनेकल प्रणाली में कैप्चर डेटा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंक इस डेटा पर विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करने और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पूरी तरह से निर्भर रहता है। बैंक के ऑपरेटिव स्तर को उनके उपलब्ध अभिलेखों के साथ मौजूदा ऋण सुविधाओं के संबंध में फिनेकल में उपलब्ध अन्य विवरणों के साथ-साथ सुरक्षा मूल्य के प्रति-जांच करने और सीबीएस में आवश्यक बदलाव करने की (नवंबर 2017 में) सलाह दी गई थी।

[75] मई 2019 तक 95,385 वाहन ऋण बकाया थे

डेटा विश्लेषण[76] से पता चला है कि प्राथमिक प्रतिभूतियों के मूल्यों को 44 कैश क्रेडिट (सीसी) खातों के मामले में फिनेकल प्रणाली में दर्ज नहीं किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि सीसी सीमाएं स्टॉक/ देनदारों के हाइपोथीकेशन के माध्यम से मुख्य रूप से सुरक्षित थीं। यह भी देखा गया कि 23 खातों के मामले में, प्राथमिक सुरक्षा का मूल्य, स्वीकृत सीमा के 1,038 प्रतिशत और 1,90,533 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया था।

फिनेकल प्रणाली में गलत डेटा दर्ज करने से डेटा बेस अविश्वसनीय हो गया था।

xi) उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के केवाईसी को अद्यतन न करना

आरबीआई ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों और संस्थाओं[77] के लिए कम से कम प्रत्येक दो वर्ष में पूर्ण रूप से 'नो योअर कस्टमर' (केवाईसी) का उपयोग करने का (जुलाई 2013 में) निर्देश दिया।

तथापि, डेटा विश्लेषण से पता चला है कि 11,901 उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के केवाईसी का (मई 2019 तक) अद्यतन नहीं किया गया था। डेटा के सामय-वार विश्लेषण से पता चला कि 11,901 ग्राहकों में से, 2,006 ग्राहकों के मामले में, केवाईसी अद्यतन तीन साल से अधिक समय से लंबित था।

उच्च-जोखिम वाले ग्राहकों के केवाईसी अद्यतन के अभाव में, बैंक द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा, जानबूझकर या अनजाने में, केवाईसी दिशानिर्देशों का उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकता है।

जवाब में, प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि वह व्यवसाय इकाइयों के साथ मामलों का अनुसरण कर रहा है।

xii) वरिष्ठ नागरिकों की सावधिजमा के स्वत: नवीकरण पर ब्याज की अधिमान्य दर का अनुप्रयोग न करना

बैंक की नीति के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के घरेलू सावधिजमा, अन्य सावधिजमाओं पर लागू होने वाली सामान्य दर से, 0.50 प्रतिशत अधिक अतिरिक्त दर अर्जित करेंगे।

---

76 ₹एक करोड़ और ₹पांच करोड़ के बीच स्वीकृत सीमा वाले 2,933 खातों

77 आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जोखिम की धारणा के मापदंडों पर विचार करते हुए जैसे व्यवसाय गतिविधि की प्रकृति, ग्राहक का स्थान, भुगतान का तरीका, कारोबार की मात्रा, सामाजिक और वित्तीय स्थिति आदि के लिए, प्रत्येक बैंक को, ग्राहकों को कम, मध्यम और उच्च जोखिम में वर्गीकृत करना आवश्यक है

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस तथ्य के बावजूद कि ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे, स्वत: नवीकरण किए गए सावधि जमा पर 0.50 फीसदी की अतिरिक्त ब्याज दर लागू नहीं की गई थी।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि फिनेकल वेंडर के साथ इस मामले को उठाया गया है।

xiii) फिनेकल प्रणाली में प्रतिभूति के मूल्यांकन की तारीख को दर्ज न करना

आय प्राप्ति परिसम्पत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर, आरबीआई के विवेकपूर्ण मानकों के संदर्भ में, बैंक के पक्ष में प्रभारित सहायक प्रतिभूतियों को तीन वर्षों में एक बार मूल्यांकित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंक की क्रेडिट नीति यह निर्धारित करती है कि प्राथमिक या सहायक प्रतिभूति के रूप में बैंक को गिरवी रखी गई संपत्ति का नया मूल्यांकन प्रत्येक तीन वर्षों के बाद किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फिनेकल प्रणाली में प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की वास्तविक तारीखों को अंकित नहीं किया गया था, जिसके अभाव में, प्रबंधन प्रतिभूति मूल्यांकन पर एमआईएस के माध्यम से नियंत्रण का प्रयोग नहीं कर सकता था।

यह इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि 14 एनपीए खातों[78] के मामले में, फिनेकल प्रणाली में पकड़ी गई प्रतिभूतियों के मूल्यों को फिनेकल प्रणाली में उनके प्रवेश की तारीख से तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अद्यतन नहीं किया गया है, जिससे नियामक के मानकों का उल्लंघन होता है।

4.7.7 ऋण खातों का पुनर्गठन/ पुनर्निर्धारण

आरबीआई के दिशानिर्देश उन मामलों में ऋणों के पुनर्भुगतान की शर्तों के पुनर्निर्धारण की अनुमति देते हैं जहां उधारकर्ताओं को आंतरिक और बाहरी कारकों के कारण दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिशानिर्देश, ऋणों के पुनरुद्धार को सक्षम बनाने के उद्देश्य से हैं और इन पर विचार इकाइयों की व्यवहार्यता का आकलन करने और पुनर्भुगतान की निश्चितता का पता लगाने के बाद ही किया जाना चाहिए। बैंक नियमित रूप से उनके वित्तीय विवरणों की जांच, उन परियोजनाओं की प्रगति, जिनके लिए ऋण अग्रिम दिया गया है आदि के माध्यम से अपने उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। इसी तरह, जिन ग्राहकों को अग्रिम ऋण दिए है और वे ऋणदाताओं के संघ का हिस्सा है, उन्हें प्रमुख बैंकरों के माध्यम से अनुसरण किया जाता है। बैंक की ऋण नीति यह बताती है कि ऋण

[78] 37 एनपीए खातों में से नमूना-जांच की गई

परिसंपत्तियों के पुनर्गठन के मामले में, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को अगले उच्च प्राधिकारी को बैंक पदानुक्रम में अपने पुनर्गठन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करना होता है।

2014-18 के दौरान, बैंक ने 32,893 ऋण खातों का पुनर्गठन किया, जिसमें ₹5,765.64 करोड़ की राशि शामिल थी। इनमें से, ₹1,906.62 करोड़ (33 प्रतिशत) वाले 1,780 खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां में डाउनग्रेड किया गया और अंततः 79 पुनर्गठन खातों को बंद कर दिया गया, जिसमें ₹344.85 करोड़ की राशि शामिल थी।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि उसे सितंबर 2014 में प्राकृतिक आपदाओं और जुलाई 2016 में अशांति के कारण राज्य में अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो का पुनर्गठन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि 2014 में पुनर्वासित कुछ खाते जुलाई 2016 में सामाजिक अशांति के कारण नकदी प्रवाह के बेमेल के परिणामस्वरूप, एनपीए श्रेणी में चले गए और बैंक, एनपीए ऋण खातों का अनुसरण कर रहा हैं।

बैंक का जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि जुलाई 2016 में प्रभावित खातों को 2016 के विशेष पुनर्वास पैकेज के अनुसार फिर से पुनर्गठित किया गया था और उनके बेमेल नकदी प्रवाह की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफ में की गई है।

4.7.7.1 दंगों/ उपद्रव से प्रभावित कर्जदारों को पुनर्वास पैकेज

जम्मू और कश्मीर सरकार ने (नवंबर 2016 में) राज्य को, 8 जुलाई 2016 से 15 नवंबर 2016 तक "उपद्रव से प्रभावित घोषित किया। अशांति/ उपद्रव के कारण, प्रभावित कर्जदारों को राहत प्रदान करने के लिए, आरबीआई ने (दिसंबर 2016 में) सलाह दी कि 7 जुलाई 2016 तक के सभी उधारी खातों, जो अतिदेय[79] थे, को छोड़कर, पुनर्गठन के लिए विचार किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, बैंक ने पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत, जनवरी और मार्च 2017 के बीच, ₹3,265.83 करोड़ के 36,132 उधार खातों का पुनर्वास/ पुनर्गठन किया। लेखापरीक्षा ने ₹5 करोड़ और उससे अधिक के बकाया शेष वाले उधारकर्ताओं के सभी 64 मामलों की जाँच की जिनका पुनर्वास किया गया था। उन्होंने ₹333.24 करोड़ की राशि वाले दस अपात्र उधार खातों[80] को शामिल किया,

पुनर्गठित ऋणों को डाउनग्रेडिंग और बंद करने से पता चलता है कि पुनर्गठन के माध्यम से ऋणों के पुनरुद्धार का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था।

---

79 किसी भी क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत, बैंक की किसी भी बकाया राशि अतिदेय है यदि उसको बैंक द्वारा तय की गई नियत तारीख पर भुगतान नहीं किया जाता है

80 मैसर्स हिमालयन रोलिंग स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (2 अकाउंट्स), मैसर्स एचके सीमेंट इंडस्ट्रीज (2 अकाउंट्स), मैसर्स मैगपाई हाइडल कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स वैली फ्रेश कोल्ड चेन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स कश्मीर प्रीमियम एप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पिनेकल रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (2 अकाउंट्स) और मैसर्स एल्पाइन फ्रेश (पी) लिमिटेड

जो 7 जुलाई 2016 को अतिदेय थे, लेकिन इस पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत शामिल किए गए थे।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए, बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं पर आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार पुनर्वास पैकेज लिया। इस प्रकार, बैंक ने यह सुनिश्चित किया कि 7 जुलाई 2016 तक की सभी बकाया राशि को निपटाया गया था और केवल उन्हीं खातों का पुनर्वास किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए विशिष्ट दस अयोग्य उधारकर्ताओं के लिए बैंक ने अपनी टिप्पणी की प्रस्तुत नहीं की, जिन्हें पुनर्वास के लिए भी माना गया था।

4.7.8 प्रधान मंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत पुनर्गठित खातों के लिए ब्याज माफी

जम्मू और कश्मीर राज्य में सितंबर 2014 की बाढ़ के दौरान प्रभावित हुए व्यापारियों/ स्वरोजगार/ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि की आजीविका की बहाली के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, 'प्रधान मंत्री विकास पैकेज' के अंतर्गत 7 नवंबर 2015 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ब्याज माफी के लिए योजना की घोषणा की गई थी। तदनुसार, भारत सरकार ने योजना के अंतर्गत (25 अप्रैल 2016) को ₹800 करोड़ जारी किए। चूंकि जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर राज्य स्तरीय बैंकर समिति (जेकेएसएलबीसी) का संयोजक है, बैंक के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा इस योजना को कार्यान्वित और निगरानी की जानी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने (29 अप्रैल 2016) को मंजूरी दी कि:

i. 1 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक की अवधि के लिए, सितंबर 2014 की बाढ़ के बाद विशेष पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत पुनर्गठित खातों के मामले में 50 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज में छूट, प्रति यूनिट ₹पांच लाख की उच्चतम सीमा के साथ; तथा

ii. 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक इन पुनर्गठित खातों को पांच प्रतिशत ब्याज माफी प्रदान करने का प्रावधान, प्रति वर्ष प्रति बिज़नेस यूनिट ₹5 लाख की उच्चतम सीमा के साथ।

पुनर्गठित खातों में ब्याज माफी प्रदान करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बैंक ने 1 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2015 के बीच 11,449 खातों के लिए प्रभारित ब्याज की 50 प्रतिशत की सीमा तक माफी प्रदान की, जो सितंबर 2014 की बाढ़ के बाद पुनर्गठित किए गए थे। हालाँकि, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि नौ अयोग्य उधारकर्ताओं के खाते जो 30 जून 2014 तक अवमानक थे, सितंबर 2014 की बाढ़ के बाद विशेष पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत

पुनर्गठित किए गए थे। इसके बाद, इन खातों को 1 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2015 के दौरान प्रभारित ब्याज के 50 प्रतिशत की ब्याज माफी प्रदान की गई, जो ₹0.16 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, बैंक ने 1 जनवरी 2016 से 30 सितंबर 2018 तक इन नौ उधारकर्ताओं के खातों में ₹0.37 करोड़ की राशि के साथ पांच प्रतिशत ब्याज माफी प्रदान की।

चूंकि इन खातों को विशेष पुनर्वास पैकेज के अनुसार पुनर्गठित नहीं किया जाना था, इसलिए ₹0.53 करोड़ की राशि के लिए ब्याज माफी प्रदान करना सही नहीं था।

4.7.9 एकमुश्त निपटान

बैंक ने अपने एनपीए स्तर को कम करने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत समझौता/ बातचीत निपटान और राइट-ऑफ के माध्यम से एनपीए की वसूली के लिए एक नीति[81] बनाई थी। 2014-2018 के दौरान, ओटीएस के अंतर्गत निपटाए गए मामलों की स्थिति, वसूली की गई राशि और छूट (मूलधन और ब्याज) को नीचे **तालिका-4.11** में दर्शाया गया है:

तालिका-4.11: एकमुश्त निपटान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निपटाए गए मामलों की संख्या	बकाया शेष		समझौता राशि		माफ कर दी राशि	
		एनपीए	अनपेक्षित ब्याज	एनपीए	अनपेक्षित ब्याज	एनपीए	अनपेक्षित ब्याज
2013-14	1,456	70.02	24.73	59.12	3.64	10.90	21.09
2014-15	1,008	47.89	27.63	44.33	3.39	3.56	24.24
2015-16	1,362	95.47	40.17	75.38	5.44	20.09	34.73
2016-17	1,326	619.95	298.66	547.00	16.26	72.95	282.40
2017-18	2,989	547.35	405.76	388.44	8.78	158.91	396.97
कुल	**8,141**	**1,380.68**	**796.95**	**1,114.27**	**37.51**	**266.41**	**759.43**

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बैंक ने, एक मुश्त निपटान (ओटीएस) योजना के तहत, 2014-18 के दौरान, ₹2,177.63 करोड़ (एनपीए: ₹1,380.68 करोड़; अनपेक्षित ब्याज: ₹796.95 करोड़) के बकाया शेष राशि सहित, 8,141 एनपीए मामलों को निपटाया और ₹1,151.78 करोड़ (एनपीए: ₹1,114.27 करोड़; अनपेक्षित ब्याज: ₹37.51 करोड़) समझौता/ बातचीत निपटान के माध्यम से वूसल किए और ₹1,025.84 करोड़ (मूलधन रशि: ₹266.41 करोड़; अनपेक्षित ब्याज: ₹759.43 करोड़)

[81] नीति के अनुसार प्राप्त ओटीएस अनुरोध विभिन्न मापदंडों पर किए जाते हैं और अंतिम निपटान राशि अनुरोधों द्वारा प्राप्त अंकों की मात्रा पर निर्भर होती है। न्यूनतम निपटान राशि एनपीए की मूल राशि के 100 प्रतिशत से भिन्न हो सकती है जो किसी भी राशि की वसूली के लिए संभव हो सकती है

का परित्याग किया जो क्रमश: मूलधन (19.30 प्रतिशत) और अनपेक्षित ब्याज (95.29 प्रतिशत) के बकाया शेष राशि का 47.11 प्रतिशत था।

4.7.9.1 एकमुश्त निपटान मामलों का अध्ययन

21 एकमुश्त निपटान (ओटीएस) मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जहां बकाया राशि ₹एक करोड़ से अधिक थी) ने खुलासा किया कि निम्नलिखित चार मामलों में, बैंक ने वसूली नीति का विचलन करते हुए, ₹17.97 करोड़ की मूल राशि का त्याग किया।

क्र. सं.	ओटीएस मामले	संक्षिप्त अवलोकन
1.	मैसर्स ओरियंटल ट्राइमेक्स लिमिटेड	• बैंक ने मैसर्स ओरियंटल ट्राइमेक्स लिमिटेड (कंपनी) के पक्ष में ₹11.60 करोड़ की एक सीसी सीमा को (दिसंबर 2000 में) मंजूरी दी, जिसे (दिसंबर 2012 में) बढ़ाकर ₹25 करोड़ कर दिया। बैंक ने, आईएलसी/ एफएलसी ₹1.60 करोड़, बीजी ₹1 करोड़ और ₹3.40 करोड़ का सावधि ऋण भी कंपनी के पक्ष में मंजूर किया। • कंपनी ने क्रेडिट सुविधाओं की अदायगी में चूक की और बैंक ने खाते को (मार्च 2016 में) एनपीए घोषित कर दिया। कंपनी के प्रति अगस्त 2017 की समाप्ति पर बकाया राशि, ₹33.56 करोड़ (₹27.22 करोड़ का एनपीए और ₹6.34 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज) थी। • कंपनी ने ₹12 करोड़ की कुल राशि के साथ, ओटीएस के लिए बैंक को (अगस्त 2017 में) प्रस्ताव दिया, जिसे बैंक ने स्वीकार कर लिया। • बैंक की वसूली नीति के अनुसार, ओटीएस के अंतर्गत ₹20.41 करोड़[82] की न्यूनतम वसूली की जानी थी। हालाँकि, बैंक ने ₹12 करोड़ स्वीकार करके मामले को सुलझा दिया और ओटीएस को मंडल से अनुमोदित करवा लिया। बैंक ने इस दलील पर विचलन को उचित ठहराया कि प्रतिभूति के उपलब्ध मूल्य में उसका हिस्सा ₹9.69 करोड़ था। • बैंक में बन्धक रखे होने के बावजूद, संयंत्र और मशीनरी का वास्तविक मूल्य (31 मार्च 2017 तक ₹12.58 करोड़ का बुक वैल्यू) निपटान के समय नहीं माना गया था। • बैंक की वसूली नीति के अनुसार, अग्रिम के समय, इसके मूल्यांकन की तुलना में, ओटीएस पर विचार करते समय संपत्तियों के मूल्यांकन में भारी बदलाव की जांच की जानी थी। • तथापि, बैंक ने इस तथ्य के बावजूद, संपत्ति के मूल्यांकन में भिन्नता

[82] ₹27.22 करोड़ का 75 प्रतिशत

क्र.	ओटीएस	संक्षिप्त अवलोकन
		की जांच नहीं की थी कि अग्रिम के समय प्रतिभूतियों का मूल्य ₹42.55 करोड़[83] था जो निपटान के समय घटकर ₹19.38 करोड़[84] पर आ गया था। • इस प्रकार, बैंक की वसूली नीति के विचलन में एक मुश्त निपटान को मंजूरी देने के परिणामस्वरूप, ₹8.41 करोड़ की मूल राशि को छोड़ दिया गया।
2.	मैसर्स ज़ैन ऑटोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	• बैंक ने संयंत्र और मशीनरी, औजार और उपकरणों आदि की बन्धक प्राथमिक प्रतिभूति के प्रति, मैसर्स ज़ैन ऑटो क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) के पक्ष में ₹5.61 करोड़ की सीसी सीमा, ₹0.50 करोड़ का सावधि ऋण और ₹6.26 करोड़ की मूल्य वाली चार अचल संपत्तियों के (मार्च 2013 में) गिरवी रखने की सहायक प्रतिभूति को (मई 2013 में) संस्वीकृत किया। इसके अतिरिक्त, निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी और चार व्यक्तियों की तीसरे पक्ष की गारंटी भी प्राप्त की गई थी। • कंपनी ने अदायगी में चूक की और बैंक ने कंपनी के खातों को एनपीए के रूप में (मार्च 2017 में) वर्गीकृत किया। कंपनी के प्रति अक्टूबर 2017 के अंत में बकाया राशि, ₹9.17 करोड़ (₹8.19 करोड़ का एनपीए और ₹0.98 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज) थी। • बैंक ने ओटीएस के अंतर्गत (दिसंबर 2017 में) इस खाते का ₹6.15 करोड़ में निपटाया। • बैंक की वसूली नीति के अनुसार, न्यूनतम ₹8.19 करोड़[85] की वसूली की जानी थी। • बैंक ने ₹6.15 करोड़ स्वीकार करके मामले को निपटा लिया और ओटीएस को निदेशक मंडल से अनुमोदित करवा लिया। बैंक ने इस दलील पर विचलन को उचित ठहराया कि उपलब्ध प्रतिभूति का वास्तविक मूल्य ₹5.87 करोड़ था। हालाँकि, निपटान के समय गारंटरों की कुल संपत्ति ₹5 करोड़ थी, इस तथ्य के बावजूद भी व्यक्तिगत गारंटी पर विचार नहीं किया गया था। • इस प्रकार, बैंक की वसूली नीति के उल्लंघन में एक मुश्त निपटान को मंजूरी देने के परिणामस्वरूप, ₹2.04 करोड़ की मूल राशि का परित्याग कर दिया गया।
3.	मैसर्स हिंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड	• बैंक ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति जिसका मूल्य (जुन 2011 में) ₹43.62 करोड़ था के साम्पिक बंधक के प्रति, मैसर्स हिंद एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कॉर्पोरेट गारंटी और उधारकर्ता कंपनी के

83 जून 2012/ जनवरी 2013 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार

84 जनवरी 2017 की मूल्यांकन रिपोर्ट

85 एनपीए बकाया का 100 प्रतिशत

क्र.	ओटीएस	संक्षिप्त अवलोकन
		प्रवर्तक निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी के प्रति, मैसर्स हिंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में ₹40 करोड़ रुपये के सावधि ऋण को (जुलाई 2011 में) स्वीकृत किया। • बैंक ने नरीमन पॉइंट मुंबई में स्थित अचल संपत्ति जिसका मूल्य (जून 2010 में) ₹20.13 करोड़ था, के साम्पिक बंधक के रूप में प्राथमिक प्रतिभूति के प्रति, मैसर्स हिंद एयर लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड[86] के पक्ष में ₹10.60 करोड़ का सावधि ऋण मंजूर किया और कंपनी की वर्तमान परिसंपत्तियों के हाइपोथिकेशन के माध्यम से सहायक प्रतिभूति कंपनी की कॉर्पोरेट गारंटी एवं प्रवर्तक निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी दी। • इसके अतिरिक्त, बैंक ने मैसर्स इंटीग्रेटेड लाइवस्टॉक विलेज फार्म प्राइवेट लिमिटेड[87] के पक्ष में ₹15.60 करोड़ की नकद क्रेडिट सीमा को (जुलाई 2012 में) मंजूरी दी। स्टॉक के हाइपोथीकेशन और कंपनी की वर्तमान परिसंपत्तियों के माध्यम से प्राथमिक प्रतिभूति के प्रति सुविधा को बढ़ाया गया था और अलीगढ़ में स्थित कृषि भूमि, जिसका मूल्य (जनवरी 2011 में) ₹6.20 करोड़ था इसे गिरवी के माध्यम से संपार्श्विक रूप से सुरक्षित किया था। • खातों की गैर-सर्विसिंग के कारण, बैंक ने सभी तीनों कंपनियों के खातों को एनपीए के रूप में (सितंबर 2015 में) वर्गीकृत किया। समूह की कंपनियों के प्रति फरवरी 2017 के अंत में बकाया राशि ₹59.73 करोड़ (₹45.90 करोड़ का एनपीए और ₹13.83 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज) थी। • बैंक ने सभी तीन कंपनियों को एक समेकित इकाई मानकर ओटीएस के अंतर्गत, सभी तीन कंपनियों के खातों को (मार्च 2017 में) ₹35 करोड़ में निपटाया। • वसूली नीति के अनुसार, बैंक को हिंद एयर लिंक प्राइवेट लिमिटेड के मामले में ₹4.13 करोड़[88] का बकाया एनपीए, मैसर्स हिंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में ₹26.17 करोड़[89] का बकाया एनपीए और मैसर्स इंटीग्रेटेड लाइवस्टॉक फार्म प्राइवेट लिमिटेड के मामले में ₹11.69 करोड़[90] का बकाया एनपीए वसूल करना अपेक्षित था। • अपनी वसूली नीति का विचलन करके, बैंक ने समूह की कंपनियों से वसूली की जाने वाली अपेक्षित ₹41.99 करोड़ की न्यूनतम राशि के प्रति, ₹35 करोड़ की राशि स्वीकार की। बैंक ने संपत्तियों के मूल्यांकन

86 मैसर्स हिंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहयोगी संस्था

87 मैसर्स हिंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहयोगी संस्था

88 एनपीए बकाया का 100 प्रतिशत

89 एनपीए बकाया का 100 प्रतिशत

90 एनपीए बकाया का 75 प्रतिशत

क्र.	ओटीएस	संक्षिप्त अवलोकन
		में भिन्नता की जांच इस तथ्य के बावजूद नहीं की थी कि अग्रिम के समय प्रतिभूतियों का मूल्य ₹57.38 करोड़[91] था जो निपटान के समय घटकर ₹28.09 करोड़[92] हो गया था, इस प्रकार छह वर्षों की अवधि में मूल्य में 51 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। • इस प्रकार, बैंक की वसूली नीति में विचलन में, ओटीएस को मंजूरी देने के परिणामस्वरूप, ₹6.99 करोड़ की मूल राशि का परित्याग कर दिया।
4.	मैसर्स राजेंद्र एक्सपोर्ट्स	• बैंक ने मैसर्स राजेंद्र एक्सपोर्ट्स (फर्म) के पक्ष में ₹0.90 करोड़ की एक सीसी सुविधा को (फरवरी 2012 में) मंजूरी दी जिसे आगे (नवम्बर 2012 में) ₹2 करोड़ तक बढ़ाया गया था। स्टॉक और बुक डेबिट उपप्राधीयन माध्यम से प्राथमिक प्रतिभूति के प्रति सुविधा को बढ़ाया गया था और संपत्ति के समतुल्य बंधक के रूप में सुरक्षित किया गया था, जिसका मूल्य ₹2.24 करोड़ था। • खाते की गैर-सर्विसिंग के कारण, बैंक ने खातों को (सितंबर 2014 में) एनपीए घोषित किया । • फर्म के प्रति फरवरी 2017 के अंत में बकाया राशि, ₹3.23 करोड़ (₹2.18 करोड़ का एनपीए और ₹1.05 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज) थी। • वसूली नीति के अनुसार, बैंक को ओटीएस के अंतर्गत न्यूनतम ₹2.18 करोड़[93] की वसूली अपेक्षित थी। • बैंक ने खाते को (अप्रैल 2017 में) ₹1.65 करोड़ में निपटाया जिससे उसकी वसूली नीति विचलन हो गई। • बैंक ने इस तथ्य के बावजूद संपत्ति के मूल्यांकन में भिन्नता की जांच नहीं की थी कि गिरवी संपत्ति के मूल्य में कालावधि में 33 प्रतिशत[94] की गिरावट देखी गई थी। • इस प्रकार, बैंक की वसूली नीति के उल्लंघन में, ओटीएस को मंजूरी देने के परिणामस्वरूप, ₹0.53 करोड़[95] की मूल राशि का परित्याग कर दिया।
	कुल	**₹17.97 करोड़ की मूल राशि को छोड़ दिया**

(स्रोत: बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर गणना)

91 ओखला औद्योगिक क्षेत्र में अचल संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य (जून 2011 में) ₹39.26 करोड़ रुपये और नरीमन पॉइंट मुंबई में स्थित अचल संपत्ति का वास्तविक मूल्य (जून 2010 में) ₹18.12 करोड़ है। इसमें अलीगढ़ में कृषि भूमि का मूल्य शामिल नहीं है क्योंकि निपटान के समय इसे बताया नहीं गया था

92 जून 2016/ जनवरी 2017 की मूल्यांकन रिपोर्ट

93 एनपीए बकाया का 100 प्रतिशत

94 अग्रिम (नवंबर 2012) के समय, संपत्ति का मूल्य ₹2.24 करोड़ था और निपटान (जनवरी 2017) के समय, इसकी कीमत ₹1.50 करोड़ थी

95 ₹2.18 करोड़ माइनस ₹1.65 करोड़

4.7.10 संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को अधिकारों का असाइनमेंट

एसएआरएफ़एईएसआई अधिनियम, 2002 ऐसी वित्तीय सहायता की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किसी वित्तीय सहायता में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था के किसी अधिकार या हित के किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा अधिग्रहण के लिए प्रदान करता है। बैंक ने एसएआरएफ़एईएसआई अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ एनबीएफ़सी को भी प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्निर्माण कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए एक नीति बनाई थी।

बैंक ने 2014-18 की अवधि के दौरान संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को दस एनपीए बेचे, जबकि ₹671.10 करोड़ की मूल राशि और ₹504 करोड़ के अनपेक्षित ब्याज को छोड़ दिया जिसका विवरण नीचे **तालिका-4.12** में विस्तृत है:

तालिका-4.12: संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को अधिकारों का असाइनमेंट

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बेचे गए मामले की संख्या	शेष बकाया		निपटान राशि		त्यागी गई राशि	
		एनपीए	अनपेक्षित ब्याज	एनपीए	अनपेक्षित ब्याज	एनपीए	अनपेक्षित ब्याज
2015-16	1	38.27	1.87	38.27	1.87	0	0
2016-17	3	139.03	35.60	125.83	0	13.20	35.60
2017-18	6	1,606.35	468.40	948.45	0	657.90	468.40
कुल	**10**	**1,783.65**	**505.87**	**1,112.55**	**1.87**	**671.10**	**504.00**

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

बैंक द्वारा एआरसी को बेचे गए मामले की एक नमूना जांच के संबंध में, लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर नीचे चर्चा की गई है:

4.7.10.1 एआरसी को आरक्षित मूल्य से नीचे वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के परिणामस्वरूप ₹21.89 करोड़ का नुकसान

बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय ने, बिक्री के लिए मैसर्स यूरोबॉन्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) के खाते की पहचान (अक्टूबर 2016 में) की, जिसके जवाब में सेल इनिसिएटिव कमिटी ने (जनवरी 2017 में) आरक्षित मूल्य को 25:75 आधार (नकद: सुरक्षा प्राप्तियां) पर ₹36.89 करोड़ निर्धारित करने की सिफारिश की। नवंबर 2016 के अंत में, कंपनी के प्रति बकाया राशि ₹73.83 करोड़[96] के प्रति, उपलब्ध प्रतिभूतियाँ ₹53.43 करोड़ की थी। बैंक प्रबंधन ने ₹36.89 करोड़ के आरक्षित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री/ असाइनमेंट के लिए अनुमोदन को (अक्टूबर 2017 में) मंजूरी दे दी। बैंक ने (अक्टूबर 2017 में) बोलियां आमंत्रित कीं, जिसके जवाब में ₹12 करोड़

[96] ₹59.22 करोड़ के एनपीए और ₹14.61 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

की केवल एक बोली प्राप्त हुई। बोलीदाता के साथ बातचीत के बाद, बैंक ने कंपनी की वित्तीय संपत्ति को सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (बोलीदाता) को ₹15 करोड़, नकद (25 प्रतिशत) और एसआर (75 प्रतिशत) की कीमत पर (मार्च 2018 में) बेच दिया।

स्ट्रेसड़ परिसंपत्ति की बिक्री पर बैंक की नीति यह निर्धारित करती है कि एआरसी को संपत्ति की बिक्री पर वसूली शुद्ध वर्तमान प्राप्त मूल्य (एनपीआरवी)/ आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, बैंक ने ₹36.89 करोड़ के आरक्षित मूल्य के प्रति, ₹15 करोड़ के बिक्री मूल्य पर कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए बोली स्वीकार की और अपनी नीति से विचलित हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹21.89 करोड़ का नुकसान हुआ।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) जवाब दिया कि सीएफएम (एआरसी) ने ₹12 करोड़ का प्रस्ताव दिया, जो पहले ही यूको बैंक के खाते में 20 प्रतिशत ले चुके थे जो कि कंसोर्टियम में 49.26 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते थे। चूंकि जेएंडके बैंक कंसोर्टियम में 32.36 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता था, इसलिए एनपीए शेष के 25 प्रतिशत पर सीएफएम के प्रस्ताव को स्वीकार करना उचित माना गया। इसके अतिरिक्त, खाता पूरी तरह से प्रदान किया गया था और सौदे से, बैंक के पीएंडएल पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं था।

तथापि, आरक्षित मूल्य से नीचे एआरसी को वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री से ₹21.89 करोड़ का नुकसान हुआ और बैंक की दलील कि खाता पूरी तरह से प्रदान किया गया था और बैंक के पीएंडएल पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि पहले के वर्षों के लिए बैंक के पीएंडएल को प्रभार करके खातों में प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, बैंक आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर वित्तीय संपत्ति बेचने के लिए किसी भी दायित्व के अंतर्गत नहीं था।

4.7.11 निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियां[97] और गैर-एसएलआर निवेश[98] शामिल थे। 2014-2018 के दौरान निवेश की स्थिति ***परिशिष्ट-4.1.4*** में विस्तृत है

बैंक को आरआईडीएफ़/ नाबार्ड/ एसआईडीबीआई के अंतर्गत धन का निवेश करना था क्योंकि यह प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा।

97 भारत सरकार का प्रतिभूतियों में निवेश, बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किया गया और बाजार स्थिरीकरण योजना, भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों, राज्य सरकारों के राज्य विकास ऋण बाजार-उधार कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किए गए

98 पीएसयू बांड, कॉर्पोरेट ऋणपत्र, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जमा का प्रमाण पत्र (सीडी) आदि गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में शामिल है

- 31 मार्च 2013 तक, कुल निवेश (एसएलआर और गैर-एसएलआर) ₹25,770.83 करोड़ के प्रति, 31 मार्च 2018 तक, ₹22,036.41 करोड़ था।
- एसएलआर निवेश मार्च 2013 के अंत में ₹14,067.43 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2018 के अंत में ₹17,201.97 करोड़ हो गया, जिसमें 22.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2014-18 के दौरान एसएलआर निवेश पर वार्षिक रिटर्न 7.57 प्रतिशत और 8.60 प्रतिशत के बीच था।
- मार्च 2013 के अंत में, गैर-एसएलआर निवेश ₹11,703.40 करोड़ से घटकर मार्च 2018 के अंत में ₹4,834.44 करोड़ रह गया जिस पर 58.69 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। गैर-एसएलआर निवेश से वार्षिक रिटर्न 2013-14 में 8.87 प्रतिशत था, जो 2017-18 के दौरान घटकर 6.09 प्रतिशत हो गया।
- बैंक ने 2014-2018 के दौरान ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ़)/ नेशनल बैंक फ़ॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड)/ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसआईडीबीआई) के अंतर्गत, ₹10,971.30 करोड़ पर 4.45 प्रतिशत से 5.43 प्रतिशत के बीच रिटर्न की दर रखी थी।
- निवेश पर कुल वार्षिक आय 2013-14 में 8.06 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 7.26 प्रतिशत हो गई।

4.7.11.1 गैर-निष्पादित निवेश

एक गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) वह है जिसमें ब्याज/ किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहती है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान एनपीआई की गतिविधि को नीचे **तालिका-4.13** में दर्शाया गया है:

तालिका-4.13: गैर-निष्पादित निवेशों की गतिविधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1. प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कुल एनपीआई	95.96	144.61	251.24	369.53	569.67
2. वर्ष के दौरान योग	48.80	108.33	209.11	227.95	167.69
3. कुल	**144.76**	**252.94**	**460.35**	**597.48**	**737.36**
4. एनपीआई का रिटन ऑफ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. वसूली की गई					
(क) पूरे में	0	1.70	90.82	27.81	0.00
(ख) निपटान / बिक्री के माध्यम से	0.15	0	0	0	84.14
(ग) ओटीएस के अंतर्गत माफ की गई राशि	0	0	0	0	0.00
6. कुल समायोजन (4+5)	**0.15**	**1.70**	**90.82**	**27.81**	**84.14**
7. प्रत्येक वर्ष के अंत में कुल एनपीआई (3-6)	144.61	251.24	369.53	569.67	653.22
8. प्रत्येक वर्ष के अंत में सकल निवेश	26,215.85	25,126.14	22,882.80	23,553.88	22,036.41

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

2013-14 से 2017-18 के दौरान, एनपीआई मार्च 2013 के अंत में ₹95.96 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2018 के अंत में ₹653.22 करोड़ हो गया था, जबकि निवेश मार्च 2014 के अंत में ₹26,215.85 करोड़ से घटकर, मार्च 2018 के अंत में ₹22,036.41 करोड़ हो गया था। 2014-2018 के दौरान, बैंक ने ₹204.62 करोड़ की वसूली की थी। 2014-2018 के दौरान, कुल एनपीआई के प्रतिशत के रूप में एनपीआई की वसूली 0.10 प्रतिशत और 19.73 प्रतिशत के बीच रही।

4.7.11.2 गैर-निष्पादित निवेश मामलों का अध्ययन

एनपीआई के मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में, अविवेकी निवेश के निर्णयों के कारण, राज्य सरकार की गारंटी को इन्वोक न करना और बैंक के हितों की गैर-सुरक्षा; जिसके कारण 28 एनपीआई मामलों में से चार[99] नमूना जांच किए गए मामलों में ₹180.43 करोड़ की संदिग्ध वसूली हुई, जैसा की नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	एनपीआई के मामले	तथ्य
1.	मैसर्स एल्डर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में सुरक्शित विमोच्य नॉन कन्वर्टिब्ल डिबेंचर (एनसीडी) में (दिसम्बर 2010) ₹20 करोड़ का निवेश, जिसमें 10.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर अर्धवार्षिक में देय और मूल राशि 12 तिमाही किश्तों में चुकानी थीं।	• उधारकर्ता की अचल संपत्तियों पर पहले प्रभार द्वारा सुरक्षित निवेश। • कंपनी ने 23 मार्च 2013, 23 जून 2013 और 23 सितंबर 2013 को मूलधन की पहली तीन तिमाही किस्तों का भुगतान नहीं किया। • 23 जून 2013 को देय छमाही ब्याज भुगतान में चूक कर दि गई थी और निवेश को (सितंबर 2013 में) एनपीआई घोषित किया गया था। • बाहरी रेटिंग एजेंसी (मैसर्स केयर) ने निवेश की पर्याप्त सुरक्षा को दर्शाते हुए सुरक्षा रेटिंग 'ए+' दी थी। • बैंक की आंतरिक रेटिंग ठीक नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप, मध्यम सुरक्षा के कम स्कोर के बजाय, उच्च स्कोर (पर्याप्त सुरक्षा) प्रदान किया गया था। • निवेश नीति के अनुसार, बाहरी एजेंसी द्वारा ऋणपत्र के लिए प्रवेश स्तर न्यूनतम रेटिंग ए(+) और ऊपर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निवेश का प्रस्ताव बैंक की आंतरिक रेटिंग प्रणाली के अधीन था। • बैंक बाहरी रेटिंग के साथ आंतरिक रेटिंग की समता सुनिश्चित नहीं कर सका।

[99] 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 5.1 में पहले से ही टिप्पणी की गई मैसर्स डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (कंपनी) के वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) में ₹48.37 करोड़ के निवेश पर केस अध्ययन शामिल है

क्र. सं.	एनपीआई के मामले	तथ्य
2.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फ़ाइनेंष्यल कोर्पोरेशन (जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार का उपक्रम) के एसएलआर बांड्स में ₹सात करोड़[100] का निवेश	• बांड्स को, जम्मू और कश्मीर सरकार (जीओजेके) की गारंटी के माध्यम से सुरक्षित किया गया था। • ब्याज भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर निगम द्वारा किया जाना था और परिपक्वता की तिथि पर मूलधन चुकाना था। • निगम पुनर्भुगतान करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप, बैंक ने निवेश को (सितंबर 2012 में) एनपीआई घोषित कर दिया। • जून 2016 के अंत तक, कुल बकाया ₹9.14 करोड़ (मूलधन ₹7 करोड़ और ब्याज ₹2.14 करोड़) था। • बैंक ने पूर्ण मूलधन और उस पर उपार्जित ब्याज की अदायगी के लिए राज्य सरकार की गारंटी को इन्वोक नहीं किया। • ₹9.14 करोड़ के कुल बकाया के प्रति, ₹7 करोड़ को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार करते हुए खाते का निपटान किया गया। • ₹2.14 करोड़ के देय ब्याज का परित्याग।
3.	मैसर्स लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डीप डिस्काउंट कन्वर्टिबल डिबेंचरो (डीडीसीडी) में (मई 2010 में) ₹100 करोड़[101] का निवेश ।	• बाहरी रेटिंग एजेंसी (मैसर्स केयर) ने प्रमोटर कंपनी, मैसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड पर 'पुट ऑप्शन' के वादे के आधार पर पर्याप्त सुरक्षा रेटिंग- 'A+'[102] दी भी। • केवल ₹0.50 करोड़ मूल्य की एक एकड़ भूमि पर गिरवी रखकर ₹100 करोड़ का निवेश सुरक्षित किया गया था। • असुरक्षित वित्तीय साधनों में निवेश के लिए बैंक के पास कोई विशिष्ट नीति/ दिशानिर्देश नहीं थे। • डीडीसीडी को 12 मई 2015 में 10.75 प्रतिशत ब्याज दर पर वार्षिक विमोच्य गैर-परिवर्तनीय डिबेन्चरों (एनसीडी) में (अगस्त 2010 में) परिवर्तित किया गया।

100 20 फरवरी 2012 की परिपक्वता तिथि के साथ ब्याज दर 8.30 प्रतिशत पर ₹तीन करोड़ के अंकित मूल्य के बांडों, 26 जुलाई 2012 की परिपक्वता की तारीख के साथ ब्याज दर 7.92 प्रतिशत पर ₹दो करोड़ अंकित मूल्य के बांडों और 12 मार्च 2013 की परिपक्वता तिथि के साथ ब्याज दर 6.50 प्रतिशत पर ₹दो करोड़ के अंकित मूल्य के बांडों में निवेश

101 ₹छः करोड़ की छूट पर

102 इस रेटिंग के साथ साधन ऋण दायित्वों की समय पर सर्विसिंग के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं

क्र. सं.	एनपीआई के मामले	तथ्य
		• प्रस्ताव के समापन की तारीख से बैंक के पास 39वें, 48वें और 60वें महीने के अंत में या अनुबंध की सामग्री भंग होने पर यदि 60 दिनों के भीतर ठीक नहीं होने पर मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए 'पुट ऑप्शन' का प्रयोग करने का अधिकार था। • कंपनी ने अगस्त 2011 तक ब्याज भुगतान किया और आगे ब्याज का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए 'पुट ऑप्शन' के प्रयोग न करने का अनुरोध किया। • पुट ऑप्शन न लेने की एवज में, ब्याज की दर 10.75 प्रतिशत प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12.50 प्रतिशत कर दी। • कंपनी फरवरी 2015 को देय ब्याज का भुगतान नहीं कर सकी और बैंक ने 60वें महीने में उपलब्ध पुट ऑप्शन का प्रयोग किया। • कंपनी ने एनसीडी के पुनर्भुगतान में असमर्थता व्यक्त की, बैंक ने एनसीडी को (जून 2015 में) एनपीआई घोषित किया। • निवेश को एआरसी को (अक्टूबर 2018 में) ₹13.50 करोड़ में बेच दिया गया था। • बैंक को बिक्री में ₹130.87 करोड़ (मूलधन: ₹82.89 करोड़ और ब्याज: ₹47.98 करोड़) का नुकसान हुआ।
4.	मैसर्स डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (कंपनी) के वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) में ₹48.37करोड़ का निवेश	• आरबीआई के दिशा-निर्देशों के विचलन में (27 मार्च 2012 में) निवेश किया गया था क्योंकि बैंक द्वारा सीपी का आंतरिक क्रेडिट विश्लेषण नहीं किया गया था और यह मैसर्स क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) द्वारा 'A1+'[103] की बाहरी रेटिंग पर निर्भर था। • सीपी ₹50 करोड़ की परिपक्वता मूल्य के साथ मोचन के लिए (26 जून 2012 में) देय थे। • कंपनी मोचन राशि का भुगतान करने में विफल रही और बैंक ने निवेश को (सितंबर 2012 में) गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के रूप में घोषित किया। • बैंक ने (नवंबर/ दिसंबर 2012 में) डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल-1 (डीआरटी), मुंबई में बकाया की वसूली के लिए आवेदन

[103] इस रेटिंग के साथ साधन ऋण दायित्वों की समय पर सर्विसिंग के लिए सुरक्षा की बहुत मजबूत डिग्री प्रदान करते हैं

क्र. सं.	एनपीआई के मामले	तथ्य
		और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में समापन के लिए याचिका दायर की। अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसार, बैंक का हिस्सा ₹0.95 करोड़ था। हालाँकि, संकल्प योजना का कार्यान्वयन (अक्टूबर 2019 तक) लंबित था। • बैंक ने मैसर्स सीएआरई द्वारा उजागर की गई बाधाओं[104] को नजर अंदाज कर दिया जबकि उसने कंपनी को A1+ की रेटिंग दी थी। • दिसंबर 2011 में समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ में 73.87 प्रतिशत की गिरावट के साथ-साथ ही दिसंबर 2010 की समाप्ति अवधि के लिए लाभ का संज्ञान बैंक ने नहीं लिया। • बैंक ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया कि अप्रैल 2010 के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचैंज में ₹180 पर कारोबार करने वाली कंपनी के शेयर, दिसंबर 2011 में गिरकर ₹49.20 पर आ गए थे। • बैंक द्वारा कंपनी को जारी समान मूल्य ₹50 करोड़ के सीपी डिफाल्ट हो गए, जिसकी निपटान तिथि 27 मार्च 2012 थी व रोल ओवर से जो वर्तमान सीपी की प्रारम्भ तिथि है। इसने संकेत दिया कि सीपी का ताज़ा निर्गम कंपनी के पहले सीपी में पुनर्भुगतान की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए धन मुहैया कराने का एक नवीकरण या साधन था। • इस प्रकार, आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सीपीमें निवेश और सीएआरई की रेटिंग पर पूरी निर्भरता रखने के कारण, ₹47.42[105] करोड़ की संदिग्ध वसूली हुई।
	कुल	**संदिग्ध वसूली/ हानि: ₹180.43 करोड़**

(स्रोत: बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर गणना)

104 उच्च संग्रह के दिनों में कार्यशील पूंजी चक्र की ओर अग्रसर, लाभप्रदता मार्जिन में गिरावट और निहित उद्योग जोखिम, आंध्र प्रदेश में अपने प्रकाशन व्यवसाय के लिए राजनीतिक अनिश्चितता, मार्च 2010 और मार्च 2011 के बीच वर्तमान अनुपात और त्वरित अनुपात में गिरावट आई और कंपनी ने 2010-11 में प्रकाशन प्रभाग में 11.15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जो कंपनी का मुख्य व्यवसाय था

105 ₹48.37 करोड़ -₹0.95 करोड़

4.7.12 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

सभी वाणिज्यिक बैंकों को समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर पर समायोजित निवल बैंक क्रेडिट (एएनबीसी)[106] के 40 प्रतिशत पर प्राथमिकता क्षेत्र[107] को ऋण देने के लिए आरबीआई द्वारा सलाह दी जाती है। प्राथमिकता क्षेत्र के लिए विस्तारित अग्रिमों का विवरण ***परिशिष्ट-4.1.5*** में दिया है।

कृषि क्षेत्र को ऋण देने में, 2014-2018 के दौरान सभी वर्षों में कमी रही थी। सबसे अधिक कमी ₹4,601.56 करोड़ (2016-17 में) और सबसे कम ₹1,815.63 करोड़ (2017-18 में) थी। सूक्ष्म और लघु और अन्य उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत, कमी 2013-14 के दौरान ₹828.72 करोड़ (लक्ष्य का 14.57 प्रतिशत) की कमी थी। 2016-17 के दौरान कमजोर वर्गों के लिए ऋण देने में ₹756.20 करोड़ (लक्ष्य का 13.81 प्रतिशत) की कमी देखी गई।

बैंक ने वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था और 2013-2018 के दौरान, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत एनपीए की गतिविधि से संबंधित डेटा नहीं रखा था। मार्च 2014 के अंत में, इस क्षेत्र के अग्रिमों के लिए एनपीए अनुपात 2.28 प्रतिशत और मार्च 2018 के अंत में 4.77 प्रतिशत हो गया था।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) कहा कि बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत ऋण संवितरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। बैंक को अशांति/ आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिसे प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

राज्य में अशांति/ आपदाओं के कारण प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत ऋण लक्ष्यों को प्राप्त न रकने का प्रबंधन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, 2013-14 और 2015-16 के दौरान, क्रमश: 44.06 प्रतिशत और 31.66 प्रतिशत की कमी थी, जो कि कठिन कारोबारी उद्धृत अवधि के पहले था।

4.8 अनुपालन ढांचा

बैंक की गतिविधियाँ, अपने स्वयं के आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के अलावा विभिन्न नियामक और सांविधिक निकायों के अधीन और नियंत्रित की जाती हैं। बैंक में अपने स्वयं के व्यापक आंतरिक नियंत्रण हैं जैसे कि:

---

106 कृषि क्षेत्र, समाज के कमजोर वर्ग और सूक्ष्म, लघु और अन्य उद्यम

107 निवल बैंक क्रेडिट (सकल अग्रिम माइनस प्रावधान) बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर बॉन्ड में किए गए निवेश को 'हेल्ड टू मैच्योरिटी' श्रेणी में रखा गया है

- **स्टॉक लेखापरीक्षा,** जिसमें बैंक समय-समय पर, स्टाकों के भौतिक सत्यापन के माध्यम से उधारकर्ता की क्रेडिट प्राप्त करने की क्षमता की समीक्षा करता है जिनके प्रति बैंक ने क्रेडिट बढ़ाया है;
- **ऋण लेखापरीक्षा** जिसमें बैंक ऋण का विस्तार करते समय निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन की समीक्षा करता है;
- **समवर्ती लेखापरीक्षा,** इसकी शाखा स्तर के संचालन और **जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)** यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिचालन जोखिम स्तर स्वीकार्य सीमा के भीतर हैं।

बैंक पर बाहरी नियंत्रणों का विभिन्न अधिनियमों और नीति ढांचों[108] के संचालन द्वारा उपयोग किया जाता है और नियामक, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है जो सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सीएजी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत बैंक के खातों का अनुपूरक लेखापरीक्षा करता है।

सीएजी बैंक की अनुपालन लेखापरीक्षा भी करता है और लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण मुद्दों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से राज्य विधानमंडल को सूचित किया जाता है।

4.8.1 अग्रिमों की पश्च-मंजूरी की जांच करना

बैंक आंतरिक नियंत्रण के एक भाग के रूप में नियमित आधार पर अपने अग्रिम पोर्टफोलियो की समीक्षा करता है। बैंक की क्रेडिट नीति निकट पर्यवेक्षण को निर्धारित करती है और चेतावनी संकेतों का समय पर पता लगाने और एनपीए में संभावित फिसलन से बचने के लिए निवारक उपाय करने के लिए पश्च संवितरण अग्रिमों का पालन करती है। अग्रिमों की समीक्षा के लिए प्रक्रियाओं पर नीचे चर्चा की गई है:

4.8.1.1 कार्यशील पूंजी सीमाओं की गैर-आवधिक समीक्षा

बैंक कार्यविधियाँ, सभी कार्यशील पूँजी क्रेडिट सीमाओं की बकायों का नवीकरण/ समीक्षा, वर्ष में कम से कम एक बार अनुमोदित करती हैं। सभी स्वीकृत कार्यशील पूंजी का नवीकरण नियत तारीखों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा और खातों में नियत तारीख के तीन महीने बाद नहीं किया जाएगा, जहां यह विशिष्ट कारणों से संभव नहीं था।

---

108 आय प्राप्ति, सम्पत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) और अग्रिम से संबंधित प्रावधान अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानक, आरबीआईए आदि पर विवेकपूर्ण मानक

बैंक ने सभी कार्यशील पूंजी (डबल्यूसी) सीमा खातों की समीक्षा/ नवीकरण नहीं किया था, जैसा कि क्रेडिट नीति में निर्धारित था। 2013-14 से 2017-18 के दौरान, खातों की समीक्षा/ नवीकरण में कमी 3,612 (2.33 प्रतिशत) और 37,126 (7.42 प्रतिशत) के बीच रही। खातों के समय-वार विश्लेषण से पता चला है कि 5,00,403 खातों में से, 3,143 खाते मार्च 2018 तक तीन महीने से अधिक समय तक असमीक्षित/ अनवीकृत रहे, जिससे इन खातों के एनपीए में फिसलन की संभावना बढ़ गई।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) कार्यशील पूंजी सीमा के नवीकरण में लम्बित में मुख्य हिस्से केसीसी को बताया जहां समीक्षा वार्षिक आधार पर होती है, लेकिन सुविधाओं का नवीकरण पांच साल बाद किया जाता है। बैंक ने कहा कि खातों की समीक्षा/ नवीकरण के लिए अनुवर्ती तंत्र को मजबूत किया गया है।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केसीसी खाते तीन महीने से अधिक समय तक असमीक्षित/ अनवीकृत रहे, जो 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान कुल कार्यशील पूंजी खातों का क्रमशः 21.96 प्रतिशत, 36.53 प्रतिशत और 30.26 प्रतिशत है।

नियत तारीख के तीन महीने के बाद ऋणों की कार्यशील पूंजी सीमाओं की गैर-समीक्षा/ नवीकरण ने, 3,143 खातों की अपर्याप्त निगरानी की और अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण का संकेत दिया।

4.8.1.2 स्टॉक लेखापरीक्षा

बैंक की क्रेडिट नीति (2013) ₹एक करोड़ और उससे अधिक की कार्यशील पूंजी की सीमा का निधि आधारित लाभ लेने वाले सभी खातों का वार्षिक स्टॉक लेखापरीक्षा[109] करती हैं। उन खातों में जहां कार्यशील पूंजी की सीमा ₹0.50 करोड़ और उससे अधिक है, लेकिन उच्च जोखिम के रूप में नामित, वार्षिक स्टॉक लेखापरीक्षा किया जाता है।

तालिका-4.14, 2013-18 के दौरान योजनाबद्ध और संचालित स्टॉक लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें ₹एक करोड़ और उससे अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा है:

[109] जिसमें बुक डेट्स शामिल है

तालिका-4.14: स्टॉक लेखापरीक्षा

वर्ष	लक्ष्य/ योजना	वास्तव में संचालित	कमी	कमी की प्रतिशतता
2013-14	838	777	61	7.28
2014-15	687	610	77	11.21
2015-16	765	697	68	8.89
2016-17	500	354	146	29.20
2017-18	810	731	79	9.75

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) समय पर पात्र खातों की स्टॉक लेखापरीक्षा को पूरा करने का आश्वासन दिया।

समय पर स्टॉक लेखापरीक्षा के अभाव में, बैंक प्रबंधन खातों के निष्पादन की समीक्षा और धन का अंतिम उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सका। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया है कि जिन मामलों में स्टॉक लेखापरीक्षकों द्वारा कमियों को इंगित किया गया था, कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं को नवीनीकृत करने से पहले बैंक द्वारा सुधारात्मक उपाय किए गए थे।

4.8.1.3 क्रेडिट लेखापरीक्षा

बैंक की क्रेडिट नीति यह भी निर्धारित करती है कि सभी उधार खाते जहां बैंक का ₹एक करोड़ का ऋण जोखिम है, वार्षिक आंतरिक केडिट लेखापरीक्षा के अधीन होगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि बैंक ने 2013-2018 के दौरान सभी पात्र खातों की न तो क्रेडिट लेखापरीक्षा की योजना बनाई और न ही इस अवधि के दौरान कवरेज के लिए योजनाबद्ध सभी खातों की क्रेडिट लेखापरीक्षा की गई।यह कमी 50.78 प्रतिशत से 70.80 प्रतिशत के बीच थी, जैसा कि **तालिका-4.15** में विस्तृत है:

तालिका-4.15: क्रेडिट लेखापरीक्षा

वर्ष	₹ एक करोड़ और उससे अधिक के ऋण जोखिम वाले खातों की संख्या (ए)	लक्ष्य/ योजना (बी)	वास्तव में संचालित (सी)	कमी (ए-सी)	कमी का प्रतिशत
2013-14	3,264	1,615	953	2,311	70.80
2014-15	3,159	1,831	1,516	1,643	52.01
2015-16	3,471	1,818	1,585	1,886	54.34
2016-17	3,692	1,749	1,332	2,360	63.92
2017-18	4,145	2,571	2,040	2,105	50.78

फरवरी 2018 तक, प्रलेखन और प्रतिभूतियों की कमियों, बाहरी क्रेडिट रेटिंग के गैर-संचालन, बीमा कवरों में उल्लंघन, संपत्तियों के नए मूल्यांकन के गैर-प्राप्तियों आदि में कमियों से संबंधित 109 टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया जो अनुपालन के लिए लंबित थी।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) जवाब दिया कि विशेष वर्ष के दौरान सभी खातों को कवर करने के लिए ध्यान रखा जाता है लेकिन समय पर पूरा होने में कुछ कमियां थीं। उन्होंने कहा कि क्रेडिट लेखापरीक्षा में उठाए गए 109 टिप्पणियों में से, 50 प्रतिशत से अधिक अवलोकन संबंधित इकाइयों द्वारा सुधारा गया और बाकी प्रक्रियाधीन हैं।

मुद्दा यह है कि बैंक निर्धारित समय अवधि के भीतर लक्षित खातों के क्रेडिट लेखापरीक्षा को पूरा करने में सक्षम नहीं था। क्रेडिट लेखापरीक्षा में उठाए गए टिप्पणियां, अभी भी अप्राप्य हैं, जिनका समय-समय पर लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि टिप्पणियों के समय-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

नियमित आधार पर क्रेडिट लेखापरीक्षा के गैर-संचालन करने से, बैंक प्रबंधन को प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को लेने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के अवसर से वंचित किया गया। नमूना जांच से यह भी पता चला कि रिपोर्ट में उजागर किए गए 29 एनपीए मामलों में से, 13 एनपीए मामलों में नियमित रूप से क्रेडिट लेखापरीक्षा नहीं किया गया था।

4.8.2 मुकदमे के अंतर्गत कानूनी लेखापरीक्षा और मामलों की स्थिति

बैंक की क्रेडिट नीति (अप्रैल 2013) निर्धारित करती है कि शीर्षक विलेखों और अन्य दस्तावेज, जो ₹पांच करोड़ के सभी क्रेडिट ऋण जोखिम के संबंध में प्राप्त होते हैं, वार्षिक कानूनी लेखापरीक्षा के अधीन होंगे। संबंधित अधिकारियों के साथ शीर्षक विलेखों का पुन: सत्यापन नियमित लेखापरीक्षा अभ्यास का हिस्सा बनना था, जब तक कि ऋण पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता। हालाँकि, कानूनी लेखापरीक्षा विभाग अप्रैल 2016 तक ही स्थापित किया गया था और बैंक ने 2016-17 और 2017-18 के दौरान कानूनी लेखापरीक्षा के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास जुलाई 2018 तक कोई अनुमोदित कानूनी लेखापरीक्षा नीति नहीं थी, जब बैंक के मंडल द्वारा कानूनी लेखापरीक्षा की पहली नीति को मंजूरी दी गई थी।

प्रबंधन ने (अगस्त 2018 में) कहा कि बैंक ने शुरू में ₹50 करोड़ के क्रेडिट ऋण जोखिम के साथ सभी ऋण खातों के लिए कानूनी दस्तावेजों के लेखापरीक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था जो 31 मार्च 2018 तक प्राप्त किया गया था। उन्होंने कहा

(दिसंबर 2018) कि जुलाई 2018 में निदेशक मंडल द्वारा बैंक की कानूनी लेखापरीक्षा नीति को मंजूरी दी गई थी और अब, ₹पांच करोड़ से अधिक के ऋण जोखिम वाले सभी खातों की कानूनी लेखापरीक्षा को कवर किया जाएगा।

इस प्रकार, कानूनी दस्तावेजों के नियमित सत्यापन की क्रेडिट नीति में निर्धारित की गई नियंत्रण आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी।

4.8.2.1 मुकदमेबाजी के तहत एनपीए के मामलों की स्थिति

मार्च 2018 तक, ₹2,117.61 करोड़ की राशि से जुड़े 1,686 मामले मुकदमेबाजी के अधीन थे। पांच वर्ष से अधिक पुराने दर्ज ₹194.71 करोड़ की राशि से जुड़े 378 मामले मुकदमेंबाजी में लंबित थे, जहां सक्षम अदालतों से अंतिम निर्णय प्रतिषित था। बैंक ₹26.84 करोड़ से जुड़े 518 मामलों में अपने पक्ष में पारित आदेशों को निष्पादित नहीं कर सका। यह ₹241.91 करोड़ से जुड़े 620 मामलों में ऋण की वसूली या संपत्तियों का निपटान प्रभावित नहीं कर सका, जहां बैंक के पक्ष में आदेशों को निष्पादित किया गया था।

प्रबंधन ने (सितम्बर 2018 में) गिरवी संपत्तियों के निपटान में आदेशों और प्रक्रियाओं में देरी को निष्पादन करने के लिए ऋणी/ गारंटरों की अनुपस्थिति में गिरवी संपत्तियों को न लेने में हुई देरी को जिम्मेदार ठहराया।

4.9 अग्रणी बैंक योजना

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, अग्रणी बैंक योजना, शाखा विस्तार, वित्तीय समावेशन, जमा में सुधार और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण/ अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋण देने के उद्देश्यों के साथ अस्तित्व में आई।

i) वित्तीय साक्षरता शिविर

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों (जून 2013) के अनुसार, ग्रामीण शाखाओं को हर महीने कम से कम एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना अपेक्षित था और बैंकों को 2016-17 के दौरान पांच लक्षित समूहों[110] के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की (जनवरी 2016 में) सलाह भी दी गई थी।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले चार वर्षों के दौरान, बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों का विवरण नीचे **तालिका-4.16** में दिया गया है:

[110] किसान, एसएचजी, सूक्ष्म और लघु उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक और स्कूली बच्चे

तालिका-4.16: वित्तीय साक्षरता शिविर

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लक्ष्य	5,070	5,295	33,264	5,676
उपलब्धियां	2,750	2,759	2,182	3,745
कमी	2,320	2,536	31,082	1,931
प्रतिशत	45.76	47.89	93.44	34.02

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) वित्तीय साक्षरता शिविरों का लक्ष्य हासिल करने में आई कमी को, प्राकृतिक आपदा और सामाजिक कारणों को जिम्मेदार ठहराया। बैंक के सामाजिक पहुंच बेहतर बनाने के लिए प्रबंधन प्रयास कर सकता है।

ii) 'भूमिहीन किसान' के संयुक्त देयता वाले कृषि समूहों को वित्त

भारत सरकार द्वारा 'खेती भूमिहीन किसान के कृषि संयुक्त देयता' नामक एक योजना भूमिहीन किसानों के लिए (अक्टूबर 2014 में) शुरू की जिसे नाबार्ड के माध्यम से लागू किया जाना था। बैंक 2016-2018 के दौरान, संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के गठन के लिए नाबार्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। यह कमी 12.02 प्रतिशत और 81.82 प्रतिशत के बीच थी, जैसा कि नीचे **तालिका-4.17** में विवरण दिया गया है:

तालिका-4.17: भूमि हीन किसान योजना के लिए जेएलजी के तहत वित्त

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	गठित जेएलजी की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता	जेएलजी क्रेडिट से जुड़े खाते	क्रेडिट की राशि
2015-16	641	304	337	52.57	207	3.14
2016-17	749	659	90	12.02	546	10.21
2017-18	2,112	384	1,728	81.82	310	3.71

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) सामाजिक कारणों को, जेएलजी योजना की धीमी शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिससे ऋण वितरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

iii) जम्मू और कश्मीर राज्य की वित्तीय समावेशन योजना

आरबीआई ने (दिसंबर 2015 में) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंकों को जहां अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की किसी भी शाखा के बिना 5,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों की पहचान करने की सलाह दी और इन्हें 31 मार्च 2017 तक यहां शाखाएँ खोलने के लिए बैंकों को आवंटित किया। जम्मू और कश्मीर राज्य में, जेएंडके एसएलबीसी द्वारा 104 ऐसे गांवों की पहचान की गई

और 48 गांव बैंक को आवंटित किए गए। आरबीआई ने (मई 2017 में) 'सीबीएस-सक्षम बैंकिंग आउटलेट'[111] खोलकर इन गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी। रिकॉर्ड्स से पता चला है कि बैंक ने मई 2018 के अंत तक, केवल ऐसे नौ गांवों में ही सेवाएं दी थी।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) बताया कि बैंक द्वारा इन स्थानों को शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है तथा 12 और स्थानों को शामिल किया गया, इस प्रकार कुल गांवों की संख्या 21 हो गई है। अन्य गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने की प्रक्रिया चल रही है।

4.10 मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक की भर्ती नीति के अनुसार, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स (पीओ), रिलेशनशिप एक्ज़ीक्यूटिव्स (आरई) और बैंकिंग एसोसिएट्स (बीए) के पदों को इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) या किसी अन्य एजेंसी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से भरना होता है, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। लिखित परीक्षा के बाद, बैंक की चयन समिति द्वारा साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, प्रचलन के अनुसार, बैंक के अध्यक्ष ने सहायक/ उप-कर्मचारियों की आवश्यकता-आधारित नियुक्ति की थी। चूँकि भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, कश्मीर द्वारा सहायक/ उप-कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित रिकॉर्ड जब्त किए गए थे, इसलिए इन्हें लेखापरीक्षा जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था।

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए, बैंक के व्यवसाय और श्रम-बल का विवरण नीचे **तालिका-4.18** में दिया गया है:

तालिका-4.18: बैंक का व्यवसाय और मानव संसाधन

विवरण	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018
कर्मचारियों की संख्या[112]	10,418	10,281	10,161	10,022	11,422
कुल व्यापार[113] (₹ करोड़ में)	1,09,913.17	1,06,061.64	1,15,252.88	1,21,725.15	1,37,870.78
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में)	**10.55**	**10.32**	**11.34**	**12.15**	**12.07**
व्यावसायिक इकाइयों की संख्या	777	817	857	865	904
कर्मचारी प्रति व्यापार इकाई	13.41	12.58	11.86	11.59	12.63
कर्मचारी लागत (₹ करोड़ में)	743.91	894.03	1,057.4	1,122.54	1,286.88
प्रति कर्मचारी लागत (₹ करोड़ में)	**0.07**	**0.09**	**0.10**	**0.11**	**0.11**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए बैंक और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट द्वारा प्रदान किये गए आंकड़े)

111 कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) बैंकिंग आउटलेट को एक निश्चित बिंदु सेवा वितरण इकाई के रूप में सक्षम करता है, जोकि बैंक के कर्मचारियों या इसके बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट द्वारा संचालित होती है, जहां जमा की स्वीकृति, चेक/ नकदी निकासी, ऋण के हस्तांतरण, सप्ताह में कम से कम पांच दिन प्रतिदिन न्यूनतम चार घंटे पैसे के हस्तांतरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं

112 जिसमें संविदा कर्मचारी भी शामिल हैं

113 अग्रिम प्लस जमा (नेट-ऑफ इंटरबैंक जमा)

विश्लेषण से पता चला कि बैंक के कर्मचारियों की संख्या मार्च 2014 के अंत तक, 10,418 से बढ़कर मार्च 2018 के अंत तक 11,422 हो गई थी और प्रति कर्मचारी व्यवसाय, मार्च 2014 के अंत तक, ₹10.55 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2018 के अंत तक, ₹12.07 करोड़ हो गया था। मार्च 2014 में प्रति कर्मचारी लागत, ₹0.07 करोड़ थी जो मार्च 2018 में बढ़कर ₹0.11 करोड़ हो गई।

4.10.1 भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएँ

अपनी श्रमबल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, बैंक के बीओडी ने, 1,014 रिलेशनशिप एग्जिक्यूटिव्स (आरई) और 554 बैंकिंग एसोसिएट्स (बीए) की भर्ती के लिए (दिसंबर 2014 में) निश्चय किया। बैंक ने आरई के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन (मार्च 2015 में) आमंत्रित किए। तथापि बीए के पदों को विज्ञापित नहीं किया। आरई परीक्षाओं के लिए, लिखित परीक्षा, जो सितंबर 2015 में, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) के माध्यम से आयोजित की गई थी, में तीन पपेर्स थे अर्थात, अंग्रेजी भाषा (30 अंक), तर्कशक्ति (35 अंक) और मात्रात्मक योग्यता (35 अंक), कुल मिलाकर 100 अंक के लिए थी। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले 38,000 अभ्यर्थियों में से, आईबीपीएस ने परीक्षण-वार मानदंडों[114] को लागू करते हुए (सितंबर 2015 में) 6,155 उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया।

हालांकि, बैंक ने (दिसंबर 2015 में) जिले-वार आधार पर आरई के पदों की आवश्यकता के लिए 1,327 पदों तक संशोधित किया, जिसमें से 760 रिक्तियां (57 प्रतिशत) कश्मीर प्रभाग को, जम्मू प्रभाग को 520 (39 प्रतिशत) और लद्दाख डिवीजन को 47 (चार प्रतिशत), जो प्रत्येक प्रभाग द्वारा संभाले गए कुल व्यापार के आधार पर आवंटित की गई थी।

हालाँकि बैंक ने नए मापदंड लागू करते हुए, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30 अंक (समग्र)[115] वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने का निर्णय लिया और साक्षात्कार के लिए (दिसंबर 2015 में) 3,107 उम्मीदवारों को बुलाया। सूचीबद्ध 2,851 उम्मीदवारों[116] के साक्षात्कार जून 2016 और सितंबर 2016 के बीच आयोजित किए गए थे।

इस बीच, बीओडी ने दो मूल्यांकनों (दिसंबर 2014/ 2015 और मार्च 2017) के बीच अधिक समय अंतराल का हवाला देते हुए 350 आरई और 1,250 बीए को सृजन सह नियुक्ति के लिए (मार्च 2017 में) मंजूरी दे दी।

---

114 प्रत्येक परीक्षा में प्राप्त होने वाले न्यूनतम अंक

115 प्रत्येक परीक्षण के लिए कोई न्यूनतम अंक मानदंड के बिना

116 256 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं हुए

बैंक ने 350 आरई के पद के लिए अंतिम परिणाम (मार्च 2017) में घोषित किया। 1,250 उम्मीदवारों को (मार्च 2017 में) बीए के पद की पेशकश की गई, जिसके प्रति केवल 872 ने कार्यभार ग्रहण किया। बैंक ने संवर्ग में रिक्त पदों को भरने के लिए, बीओडी की मंजूरी के बाद, 2,851 साक्षात्कार करने वाले उम्मीदवारों में से, मेरिट के क्रम के अनुसार ओर 378 उम्मीदवारों को पद की पेशकश की।

इसके अलावा, बीओडी ने 1,200 बीए और 250 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स (पीओ) की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए (सितंबर 2018 में) मंजूरी दी। बैंक ने अक्टूबर 2018 में रिक्त पदों के लिए भर्ती अधिसूचना का विज्ञापन दिया। बीओडी ने 2,851 साक्षात्कार वाले उम्मीदवारों में से, 582 बचे उम्मीदवारों को भी बीए के रूप में नियुक्त करने के लिए (अक्टूबर 2018 में) स्वीकृति प्रदान की।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित को देखा:

- बैंक में अधिकारी सेवा नियमावली, 2000 थी जिसमें मानव संसाधन (मानव संसाधन) संबंधित मुद्दों के लिए नीतिगत दस्तावेज थे। मैनुअल में अन्य बातों के साथ-साथ, जेएंडके बैंक लिमिटेड अधिकारी भर्ती, अनुशासन, आचरण और अपील नियम, 2000 शामिल थे। हालांकि, जुलाई 2000 और अगस्त 2018 की अवधि के दौरान, मैनुअल की समीक्षा नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान अधिकारियों/ कर्मचारियों की भर्ती उन नियमों के आधार पर की गई थी जिसे अद्यतन नहीं किया गया था, जैसा कि उत्तरवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

- बैंक ने भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की संख्या बताए बिना आरई के पद के लिए (मार्च 2015 में) विज्ञापन दिया, क्योंकि प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार उसे बताने की आवश्यकता नहीं थी। रिक्तियों की संख्या को सूचित करने की आवश्यकता को केवल सितंबर 2018 में निगमित किया गया था।

- बैंक ने 3,107 उम्मीदवारों की जिले-वार मेरिट सूची तैयार की। तथ्य यह था कि भर्ती जिले-वार होगी, विज्ञापन अधिसूचना में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। बैंक की भर्ती नीति में जिले-वार आधार पर योग्यता सूची तैयार करना निर्दिष्ट नहीं किया और बीओडी की स्वीकृति के बिना अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया गया था।

- जिले-वार तैयार योग्यता सूची में, बैंक ने जम्मू प्रभाग से 1,377 उम्मीदवारों (44 प्रतिशत), कश्मीर प्रभाग से 1,614 उम्मीदवारों (52 प्रतिशत) और लद्दाख मंडल से 116 उम्मीदवारों (चार प्रतिशत) को बुलाने की अनुमति दी, जबकि व्यक्तिगत परीक्षाओ में प्राप्त अंकों के आधार पर, आईबीपीएस द्वारा सूचीबद्ध के

अनुसार, 57.60 प्रतिशत सफल उम्मीदवार जम्मू प्रभाग से, 39.80 प्रतिशत कश्मीर प्रभाग से और 2.60 प्रतिशत लद्दाख प्रभाग से थे। इस प्रकार, उम्मीदवारों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं थी।

- बैंक के पास साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए बीओडी द्वारा अनुमोदित कोई परिभाषित मानदंड नहीं थे, जिससे उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने में लचीलेपन की गुंजाइश रहती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि आईबीपीएस ने शुरू में (सितंबर 2015 में) 6,155 उम्मीदवारों[117] को सूचीबद्ध किया था, जिन्हें लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30 अंकों के साथ जिले-वार उम्मीदवारों को कॉल करने का निर्णय लेने के बाद 3,107 तक संशोधित किया गया था। इसके अलावा, अध्यक्ष द्वारा नए मानदंडों को लागू करके उम्मीदवारों की लघु सूची को बीओडी के समक्ष रखे बिना, अनुमोदित किया गया था।
- दिसंबर 2014 में बीओडी द्वारा पूर्व में स्वीकृत 1,014 आरई और 554 बीए की भर्ती के प्रति, 350 आरई और 1,250 बीए की सृजन सह नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी मांगने के लिए बैंक ने बीओडी के समक्ष (मार्च 2017 में) कोई भी कार्यसूची दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे। श्रमबल आवश्यकता के विस्तृत विश्लेषण के बिना बीओडी से इसे अनुमोदित किया गया था। बैंक ने यह भी बीओडी को सूचित नहीं किया कि उसने आरईके पद के लिए (मार्च 2015 में) ही विज्ञापन दिया था और 1,250 बीए के पद की नियुक्तियां, शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों से की जाएगी जो आरई के पद के लिए उपस्थित हुए थे।
- बीओडी चाहता था (20 मार्च 2017) कि चयनित उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण, जो रिक्त रह गई थी, उन रिक्तियों के संबंध में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी। मंडल ने आगे निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि, बीओडी ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और उपलब्ध सूचिबद्ध उम्मीदवारों से, बीए कैडर में 378 रिक्तियों को भरने के लिए (सितंबर 2017 में) मंजूरी दे दी।
- बैंक ने 1,200 बीए के पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया (6 अक्टूबर 2018 में) शुरू की। हालांकि, बैंक ने सितंबर 2015 में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर, चयनित 2,851 में से, 582 बचे हुए उम्मीदवारों को बीए के रूप में (16 अक्टूबर 2018 में) नियुक्त किया।
- बैंक ने आरई के पदों का (मार्च 2015 में) विज्ञापन किया जबकि सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को बीए के पदों की पेशकश की गई थी, जो कर्मचारियों की भर्ती

[117] बैंक की आवश्यकता के अनुसार परीक्षा-वार और श्रेणी-वार मापदंड लागू करने के बाद

में बैंक के अतिविशिष्ट दृष्टिकोण का संकेत देता है। यह आरई और बीए के पदों से जुड़ी विभिन्न भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, योग्यता आदि के आलोक में देखा जा सकता है।

- बैंक की भर्ती नीति के अनुसार, लिपिक कर्मचारी (बैंकिंग एसोसिएट) के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम योग्यता स्नातक थी। हालांकि, बैंक ने ग्रेजुएशन में 55 फीसदी अंक या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 फीसदी अंक की न्यूनतम योग्यता के साथ आरईए के पद के लिए (मार्च 2015 में) आवेदन आमंत्रित किए। बीए पदों के विज्ञापन के बिना, बैंक ने आरई के विज्ञापित पदों के प्रति, सूचीबद्ध उम्मीदवारों के लिए बीए के पदों की पेशकश से राज्य के अपेक्षित योग्यता मानदंड प्राप्त स्नातकों को चयन प्रक्रिया से वंचित कर दिया था।

इस प्रकार, विज्ञापन में पदों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया था और इसे खुला रखा गया था जिसके परिणामस्वरूप, बैंक ने बिना विस्तृत विश्लेषण के समय-समय पर श्रमबल की आवश्यकता को संशोधित किया। मंडल द्वारा जिला-वार/ परीक्षा-वार आधार पर उम्मीदवारों की सूचीबद्ध के संबंध में अनुमोदित नीति नहीं थी। बैंक ने सितम्बर 2015 में, आरई के पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करते हुए मार्च 2017 से अक्टूबर 2018 के दौरान कई हिस्सों[118] में आरई/ बीए के 2,560 उम्मीदवारों को नियूक्त करने की पेशकश की। साक्षात्कार आयोजित करने का उद्देश्य भी विफल हो गया क्योंकि साक्षात्कार के 90 प्रतिशत[119] उम्मीदवारों को, आरई/ बीए के पद के लिए नियुक्ति की पेशकश की गई थी।

प्रबंधन ने माना कि विज्ञापन अधिसूचना में आरई के लिए पदों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था और बताया (नवम्बर 2019) कि भर्ती नीति 2018 में अब विज्ञापन अधिसूचना में रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक वार्षिक आधार पर भर्ती नियमों की समीक्षा करेगा। इसके अलावा विज्ञापन अधिसूचना में बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली किसी भी चयन प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि मंडल के प्रस्ताव के अनुसार आवश्यकता के आधार पर आरई/ बीए का चयन किया गया। प्रबंधन ने आगे बताया कि आरई के पद के लिए जिन अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया गया, उन्हें बीए में

---

118 350 उम्मीदवारों को आरई के पद की पेशकश की गई और 1,250 उम्मीदवारों को मार्च 2017 में बीए के पद की पेशकश की गई, 378 उम्मीदवारों को सितंबर 2017 में बीए के पद की पेशकश की गई और 582 उम्मीदवारों को अक्टूबर 2018 में बीए के पद की पेशकश की गई

119 2,851 में से 2,560 उम्मीदवारों ने साक्षात्कार दिया

रिक्तियों को भरने के लिए बीए के पद की पेशकश की गई थी, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया एक महंगा और समय लेने वाला मामला है।

चूंकि जिलेवार/ परीक्षावार आधार पर अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करने के संबंध में मंडलद्वारा अनुमोदित कोई नीति नहीं थी, इसलिए अभ्यर्थियों को शॉटलिस्ट करने के लिए आवेदन किए गए मापदंड को बीओडी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, दिसम्बर 2014 में बीओडी द्वारा पूर्व में अनुमोदित 1,014 आरई और 554 बीए की भर्ती के प्रति, 350 आरई और 1,250 बीए की नियुक्ति को श्रमबल की आवश्यकता के विस्तृत विश्लेषण के बिना बीओडी से अनुमोदित कर दिया गया था। आरई के विज्ञाप्ति पदों के प्रति चुने गए उम्मीदवारों को बीए के पदों की बैंक की पेशकश ने राज्य के 55 प्रतिशत से कम अंकों वाले सनातकों को इस अवसर से वंचित कर दिया था, जिससे प्रतियोगिता सीमित हो गई।

4.11 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने सीएसआर गतिविधियों के तहत व्यय के लिए सीएसआर नीति तैयार की। बैंक की सीएसआर नीति के मुख्य उद्देश्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय की दृष्टि में टिकाऊ तरीके से काम करने की निरंतर प्रतिबद्धता की परिकल्पना की गई थी, ताकि समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों का उत्थान सुनिश्चित किया जा सके।

बैंक ने 2014-15 से 2017-18 के दौरान सीएसआर के तहत परियोजनाओं/ गतिविधियों पर प्रत्यक्ष या विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, ₹95.80 करोड़ खर्च किए। बैंक की सीएसआर नीति यह निर्धारित करती है कि वह एकल गतिविधि / परियोजना के लिए निर्धारित सीएसआर बजट का अधिकतम 15 प्रतिशत खर्च करेगा और एक ही खंड में, 35 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं करेगी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अपनी सीएसआर नीति के उल्लंघन में, बैंक ने क्रमशः 2016-17 और 2017-18 के दौरान एकल गतिविधि/ परियोजना (कश्मीर गोल्फ कोर्स डेवलपमेंट) पर 53.09 प्रतिशत और 83.82 प्रतिशत खर्च किए थे। इसके अलावा, बैंक ने क्रमशः 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान एकल खंड (पारिस्थितिकी और पर्यावरण) के तहत 49.33 प्रतिशत, 75.99 प्रतिशत और 95.27 प्रतिशत खर्च किए थे।

बैंक ने सीएसआर नीति का उल्लंघन करते हुए, 2015-16 से 2017-18 के दौरान, जीओजेके के स्वामित्व वाले कश्मीर गोल्फ कोर्स के विकास पर ₹39.17 करोड़, पहलगाम में मनोरंजन पार्क पर ₹6.28 करोड़, राज्य सरकार द्वारा 2015-16 में जारी राशन कार्ड (आरसी) की छपाई पर ₹1.51 करोड़ खर्च किए।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि सीएसआर एक मंडल स्तर की गतिविधि है और सीएसआर गतिविधियों/ कार्यक्रमों के बारे में सभी निर्णय मंडल के संज्ञान में रहते हैं। तदनुसार, खंड/ परियोजना अनुमोदन का विचलन मंडल द्वारा अपनी शक्तियों के दायरे में किया जाता है।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंडल को इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया था कि विशेष गतिविधि/ कार्यक्रम पर खर्च सीएसआर नीति के तहत निर्धारित सीमा से अधिक था।

बैंक द्वारा सीएसआर फंड के व्यय में निम्नलिखित अनियमितताओं को देखा गया:

i) सीएसआर निधि से कश्मीर गोल्फ कोर्स के पुनर्विकास पर व्यय

बैंक की सीएसआर नीति जो समाज के हाशिए पर पडे और वंचित वर्गों के उत्थान पर केंद्रित है, इसके विपरीत बैंक ने सीएसआर नीति का उल्लंघन करके, जीओजेके के स्वामित्व वाले कश्मीर गोल्फ कोर्स के पुर्नविकास पर 2015-16 से 2017-18 के दौरान ₹39.17 करोड़ की राशि व्यय की। हमने यह भी देखा कि सीएसआर गतिविधियों के तहत गोल्फ कोर्स के पुनर्विकास को मंडल द्वारा मंडल की सीएसआर समिति के समक्ष रखे बिना ही अनुमोदित किया गया था, जिससे बैंक की सीएसआर नीति से विचलन हो गया था।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) बताया कि 2014 की बाढ़ ने गोल्फ कोर्स को नुकसान पहुंचाया और बैंक ने एक जागरूक कॉर्पोरेट के रूप में सीएसआर के तहत इसका पुनर्विकास शुरू किया।

हमारा विचार है कि जैसे कि बैंक की सीएसआर नीति समाज के हाशिए पर पडे और वंचित वर्गों के उत्थान पर केंद्रित है, गोल्फ कोर्स के पुनर्विकास पर होने वाला व्यय, जिसपर अभिजात वर्ग का संरक्षण है, व्यवस्थित नहीं था। इसके अलावा, 2016-18 के दौरान गोल्फ कोर्स पर व्यय इस अवधि के दौरान बैंक द्वारा सीएसआर गतिविधियों के तहत व्यय किए गए कुल धन का 47.73 प्रतिशत था।

ii) पहलगाम के मनोरंजन पार्क पर व्यय

बैंक ने 2015-16 से 2017-18 के दौरान परिस्थितिकी/ पर्यावरण खंड के तहत पहलगाम मनोरंजन पार्क पर ₹6.28 करोड़ का व्यय किया। मनोरंजन पार्क एक मनोरंजन स्थल है और इस पर हुआ व्यय पारिस्थितिकी और पर्यावरण गतिविधियों से संबंधित नहीं था।

iii) राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्डों की छपाई पर व्यय

बैंक ने 2015-16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड (आरसी) की छपाई पर सीएसआर निधि से ₹1.51 करोड़ का व्यय किया था, बावजूद इसके कि वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए लाभार्थियों से लागत वसूल की गई थी। प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि इस मुद्दे को संबंधित विभागों के साथ उठाया जाएगा।

iv) सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी

सीएसआर नियमों, के 2014 का नियम 5(2) यह निर्धारित करता है कि सीएसआर समिति, सीएसआर परियोजनाओं या कंपनी द्वारा किए गए कार्यक्रमों या गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक द्वारा किए गए व्यय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक पर्याप्त और पारदर्शी निगरानी तंत्र मौजूद नहीं था।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) बताया कि निगरानी प्रणाली को ओर मजबूत किया जाएगा।

4.12 निष्कर्ष और सिफ़ारिशे

- बैंक ने कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित सेबी विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था। गुड कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए बैंक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना सकता है;
- आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की अनदेखी और गैर-प्रवर्तन, अपर्याप्त सुरक्षा कवर, अनुचित ऋण मूल्यांकन, प्रतिबंधों की पूर्व या संवितरण के बाद की स्थितियों का पालन न करने, अनियमित निगरानी आदि को देखा गया, जिससे एनपीए में वृद्धि में योगदान हुआ। ₹197.98 करोड़ मामलों में हानि/ गैर-वसूली, ₹1,599.14 करोड़ की संदिग्ध वसूली और 29 मामलों में ₹14.10 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान था। बैंक ऋण सुविधाओं का विस्तार करते हुए समयक उद्यम कर सकता है, ताकि अपने हितों की रक्षा कर सके;
- बैंक की ऋण नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में कमी थी। बैंक अग्रिमों की निगरानी प्रणाली में सुधार कर सकता हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च जोखिम वाले खातों की समय पर पहचान की जाए और एनपीए को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएं;
- बैंक की आईटी प्रणालियों में कमियों को देखा गया। बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कदम उठा सकता है;

- बैंक ने अपनी वसूली नीति के विचलन में ओटीएस को मंजूरी दे दी जिसके परिणामस्वरूप परीक्षण-जांच के मामलों में ₹17.97 करोड़ की मूल राशि की हानि हुई। बैंक नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, ओटीएस मामलों को सख्ती से निपटा सकता है और मूल राशि की पूरी वसूली सुनिश्चित कर सकता है;
- अविवेक पूर्ण निर्णय लेने, गारंटी इन्वोक न करने और बैंक के हितों की सुरक्षा न करने के कारण जांचे गये एनपीआई मामलों में ₹180.43 करोड़ की संदिध वसूली/ हानि हुई;
- बैंक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। बैंक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं;
- भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई गई। बैंक अपनी भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कदम उठा सकता है; तथा
- बैंक ने अपनी सीएसआर नीति का उल्लंघन करते हुए, गतिविधियों पर अनियमित व्यय किया। बैंक अपनी सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के तहत धन व्यय कर सकता है।

इंगित मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। बैंक समान मामलों की व्यापक जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है।